



मध्यप्रदेश शासन

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

सत्र 2019-2020



उच्च शिक्षा विभाग



मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

अनुबंध-9 (पैरा 7.17.2) के अनुसार

वर्ष 2019 - 2020

प्रस्तावना

‘शिक्षा’ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ विद्यार्थी की आंतरिक शक्तियों का प्रकटीकरण तथा बाह्य जीवन से उसका समन्वय स्थापित करना है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, जीवन मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को हृदयंगम करने की योग्यता प्राप्त करता है। सामाजिक नियमों, व्यवस्थाओं, सामाजिक प्रतिमानों और जीवन मूल्यों की शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त ही विद्यार्थी ‘मनुष्य’ बनने की प्रक्रिया में शामिल होता है।

भारतीय वांगमय भी ‘मनुर्भव’ के उद्घोष के साथ जीवन में श्रेष्ठ की प्रतिष्ठा करता है। इस प्रकार मानव जीवन का मूल आधार शिक्षा ही है। शिक्षा के बिना जीवन से जड़ता के तमस को दूर नहीं किया जा सकता। हमारे महाविद्यालय शिक्षा के ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जो विद्यार्थी के अंतर्मन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने के साथ – साथ ही समाज और संसार को भी ज्ञानालोक से भरते रहते हैं। भेद- भाव और जड़ता से दूर एक उदात्त समाज की स्थापना शिक्षा से ही संभव है।

शिक्षा जीवन-सामर्थ्य का पर्याय है। विद्यार्थी के भीतर जीवन सामर्थ्य शिक्षा से ही आती है। सामर्थ्यवान विद्यार्थी ही अपने समाज और संसार को खूबसूरत बना पाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के मूल में शिक्षा ही रहती है। मानवी चेतना का उत्कर्ष प्राप्त करने में शिक्षा ही मनुष्य की सहयोगिनी बनती है। विद्यार्थी के अंतर्मन में संवेदना का बीज-वपन शिक्षा से ही संभव है। वंचितों, उपेक्षितों और शोषितों की सहायता ही तो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, और यह लक्ष्य शिक्षा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता।

इसी आधार पर स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षा की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा- ‘मनुष्य में अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।’ मनुष्य के भीतर की संपूर्णता का संकेत शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गाँधी ने भी इस प्रकार किया है- ‘शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।’

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन के निरन्तर प्रयास रहे हैं कि मध्यप्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत युवा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर भी सशक्त हों। हमारे युवाओं का बौद्धिक विकास तो हो ही साथ ही उनका भावनात्मक विकास भी हो। हृदय और मस्तिष्क इन दोनों की विकसित अवस्था ही विद्यार्थी को जीवन की संपूर्णता की ओर ले जाती है। इसलिए हमारे शैक्षणिक संस्थानों में इन दोनों पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। म.प्र. में महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन महाविद्यालयों की यह संख्यात्मक वृद्धि, गुणवत्तात्मक शिक्षा की विरोधी नहीं है। निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन तथा उनमें गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है। उच्च शिक्षा विभाग का ध्येय भी यही है कि मध्यप्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत युवा न केवल शाररिक रूप से बलिष्ठ एवं ऊर्जावान



हों वरन उनका नैतिक और भावनात्मक विकास भी हो। इस शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ ही 'दीक्षारंभ कार्यक्रम' के साथ हुआ। उसके पीछे भी यह उद्देश्य था कि विद्यार्थियों में समाज के प्रति सेवा और समर्पण का भाव विकसित हो, वे यह सीख सकें कि उन्होंने जीवन में जो कुछ पाया है वह समाज को लौटाना भी है।

उच्च शिक्षा विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में एन.सी.सी. के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति समर्पण और अनुशासन की भावना विकसित हो रही है तो राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों और विभिन्न शिविरों के माध्यम से विद्यार्थी समाजसेवा सीखते हैं, और इसी से उनका चरित्र निर्माण भी होता है। रासेयो शिविरों में विद्यार्थियों में सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक प्रतिबद्धता का भाव विकसित होता है तथा उनमें सहकार एवं सामंजस्य की भावना भी बलवती होती है। इस प्रकार एन.एस.एस., एन.सी.सी., खेलकूद, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ आदि के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को गढ़ने और सँवारने का कार्य मध्यप्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में किया जा रहा है।

हमारे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद पराश्रित न रहें, वे स्वावलंबी बनें, उनके भीतर कौशल विकसित हो जाए— इस दिशा में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की महती भूमिका है। तकनीक का प्रयोग करते हुए गुणवत्ता मूलक शिक्षा मध्यप्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक पहुँचाने की दृष्टि से वर्चुअल कक्षाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इन वर्चुअल कक्षाओं में विद्यार्थी मध्यप्रदेश के दूरस्थ महाविद्यालयों से भी विषय-विशेषज्ञों से प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह उच्च शिक्षा विभाग निरंतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों के जीवन को सँवारने हेतु प्रतिबद्ध है। गाँव की बेटी, प्रतिभा किरण, पीएच.डी. छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति आदि अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाने का कार्य अबाध गति से जारी है इस प्रकार मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग जनाकांक्षाओं तथा जन-अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए जनकल्याण के सुपथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है।

अनुक्रमणिका

भाग—एक	पेज क्रमांक
संरचना एवं सांख्यिकी	
विभागीय संरचना	
शासकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सांख्यिकी 2019-20	
भाग—दो	
दायित्व, उपलब्धियाँ एवं गतिविधियाँ	
विभाग के दायित्व	
विभाग की उपलब्धियाँ एवं विशिष्ट गतिविधियाँ 2019-20	
भाग—तीन	
बजट	
बजट : 2019-20	
भाग —चार	
राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	
(अ) राज्य की योजनाएँ	
(1) महाविद्यालय विकास हेतु योजनाएँ	
i. शासकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण	
ii. प्रयोगशाला उन्नयन	
iii. पुस्तकालय का विकास	
iv. आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था	
v. खेलकूद प्रोत्साहन योजना	
(2) गुणवत्ता प्रोत्साहन योजनाएँ	
i. नैक द्वारा मूल्यांकित प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों को प्रोत्साहन	
ii. उत्कृष्ट कुलपतियों को पुरस्कार	
iii. उत्कृष्ट प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार	
(3) हितग्राहीमूलक/छात्रवृत्ति योजनाएँ	
i. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को निः शुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी का प्रदाय	
ii. गाँव की बेंटी योजना	
iii. प्रतिभा किरण योजना	
iv. विक्रमादित्य योजना	
v. एकीकृत छात्रवृत्ति योजना	
vi. पीएच.डी. शोधार्थियों को सहायता,	
vii. स्मार्ट फोन प्रदाय योजना	
viii. निः शक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जीवन-निर्वाह एवं परिवहन भत्ता (असहाय छात्रों को छात्रवृत्ति)	
ix. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन	
x. उच्च शिक्षा कोष	

<p>(4) कैरियर मार्गदर्शन योजना</p> <ol style="list-style-type: none"> स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना एवं कौशल विकास व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ <p>(5) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं</p> <ol style="list-style-type: none"> मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना <p>(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ –</p> <ol style="list-style-type: none"> एन.एस.एस. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (ए.आई.एस.एच.ई.) <p>(स) विश्व बैंक के सहयोग से “मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना”</p>	
भाग—पाँच	
<p>सामान्य प्रशासनिक विषय</p> <ol style="list-style-type: none"> सामान्य प्रशासनिक कार्य – अकादमिक, पेंशन, योजना, समन्वय, निर्माण न्यायालयीन, गोपनीय, सम्बद्धता, शिकायत विश्वविद्यालय समन्वय प्रकोष्ठ सम्बन्धी जानकारी मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी राज्य महिला नीति का क्रियान्वयन 	
भाग—छः	
परिशिष्ट-1 : संभागवार समस्त महाविद्यालयों की संख्या	
परिशिष्ट-2 : जिलेवार शासकीय महाविद्यालयों की संख्या	
परिशिष्ट-3 : शासकीय महाविद्यालयों की सूची	
परिशिष्ट-4 : विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों की सूची	
परिशिष्ट-5 : जिलेवार अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या	
परिशिष्ट-6 : अनुदान प्राप्त (Grant In Aid) अशासकीय महाविद्यालयों की सूची	
परिशिष्ट-7 : गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की सूची	
परिशिष्ट-8 : नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन के अन्तर्गत चिह्नित महाविद्यालयों की सूची	
परिशिष्ट-9 : नैक द्वारा मूल्यांकित प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सूची	
परिशिष्ट-10 : संभागीय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों के दूरभाष/फैक्स क्रमांक	
परिशिष्ट-11 : मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के दूरभाष/फैक्स क्रमांक	

भाग-एक

विभागीय संरचना

विश्वविद्यालय

16

निजी विश्वविद्यालय

37

अन्य विश्वविद्यालय

08

अन्य संस्थान

04

शासकीय महाविद्यालय

517

राजपत्रित पद

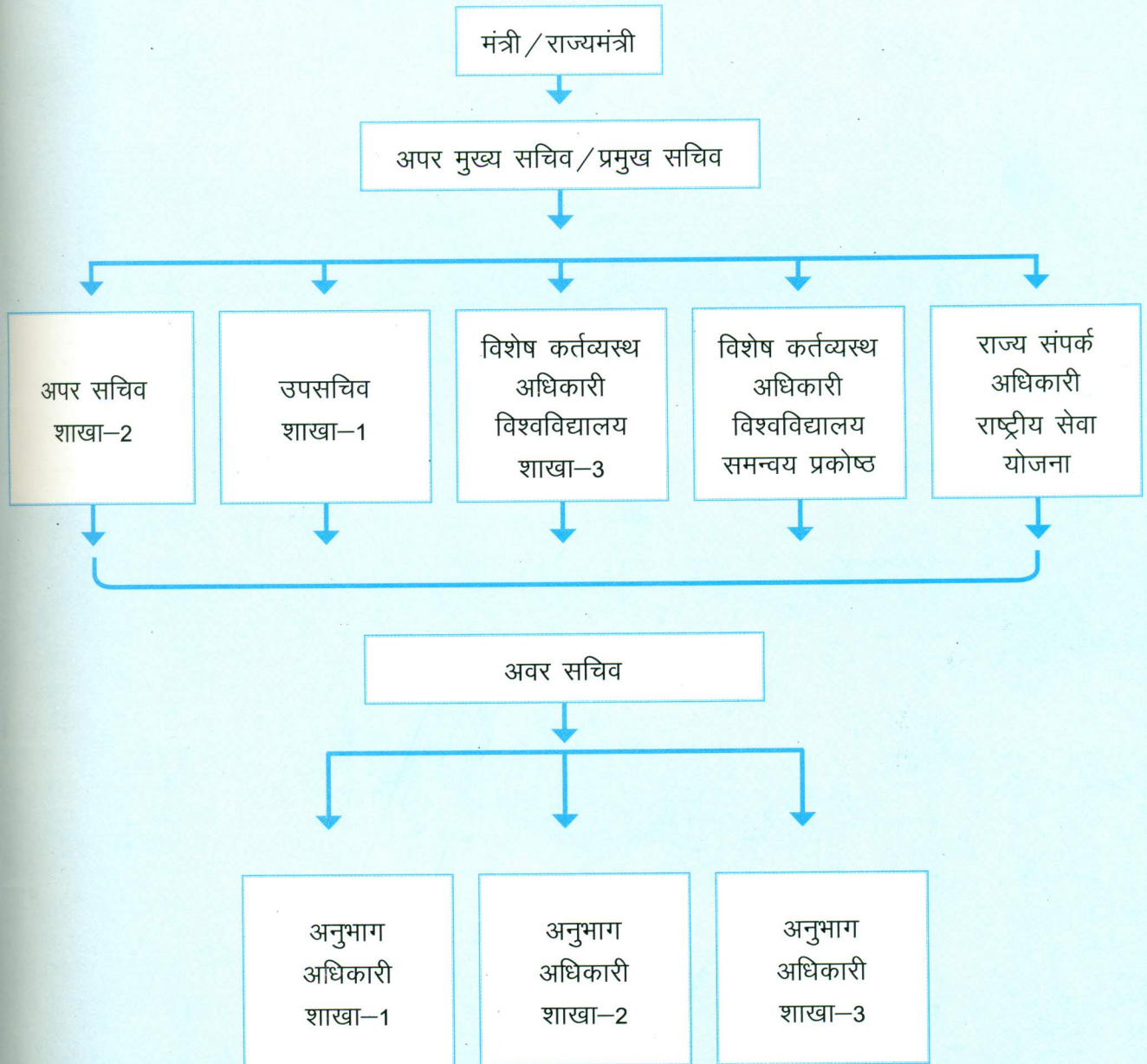
11201

अराजपत्रित पद

7413

अपर
शा

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय की वर्तमान विभागीय संरचना





मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान
1.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय	भोपाल
2.	जीवाजी विश्वविद्यालय	ग्वालियर
3.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	इन्दौर
4.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	जबलपुर
5.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय	रीवा
6.	विक्रम विश्वविद्यालय	उज्जैन
7.	महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	छतरपुर
8.	छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय	छिन्दवाड़ा

पृथक अधिनियमों से स्थापित विश्वविद्यालय

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान
1.	मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय,	भोपाल
2.	महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	चित्रकूट
3.	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय	भोपाल
4.	महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय	उज्जैन
5.	अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय	भोपाल
6.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय	महू
7.	पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय	शहडोल
8.	मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय	जबलपुर

पृथक अधिनियम से स्थापित निजी विश्वविद्यालय

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान
1.	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय	कटनी

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 के अन्तर्गत स्थापित निजी विश्वविद्यालय

वर्ष 2010

क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	अधिसूचना अनुसार स्थापना वर्ष
1	जे.पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर राघौगढ, जिला गुना (मध्यप्रदेश)	जयप्रकाश सेवा संस्थान न्यास, नई दिल्ली	अध्यादेश अधिसूचना दिनांक 30.04.2010 अधिनियम अधिसूचना दिनांक 13.08.2010
2.	आइसेक्ट विश्वविद्यालय ग्राम-मेंदुआ भोपाल चिकलोद रोड़ तह.-गौहरगंज जिला - रायसेन (परिवर्तित नाम रवीन्द्रनाथ टैगौर विश्वविद्यालय)	आल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी भोपाल	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 30.12.2010 अधिनियम अधिसूचना दिनांक 24.08.17
3.	एमीटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग ग्वालियर	रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन नई दिल्ली	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 30.12.2010

वर्ष 2011

4.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय सांवेर रोड़, रेवती रेंज के सामने, जखया, इन्दौर	देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन भोपाल	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 04.05.2011
5.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, पीपुल्स ग्रुप, बाय-पास रोड़, भानपुर, भोपाल	सार्वजनिक जनकल्याण परमार्थिक न्यास, भोपाल	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 04.05.2011
6.	आई.टी.एम. युनिवर्सिटी परिसर, एन.एच-75 झांसी रोड़, सिंथौली ग्वालियर	समता लोक संस्थान ट्रस्ट ग्वालियर	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 04.05.2011
7.	रामकृष्ण धर्मार्थ युनिवर्सिटी, आर.जी.पी. व्ही. परिसर, एयरपोर्ट बायपास के पास गोंदरमऊ गांधी नगर भोपाल	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी भोपाल	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 24.08.2011
8.	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, एन. एच-26 ग्राम सिरोंजा सागर (म.प्र.)	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति सागर	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 31.12.2011
9.	ए.के.एस. युनिवर्सिटी शेरगंज, पन्ना रोड़ सतना, सतना (म.प्र.)	ए.के.एस. चेरिटेबल ट्रस्ट सतना	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 31.12.2011

वर्ष 2013

10.	टेक्नो-ग्लोबल विश्वविद्यालय सिरोंज जिला- विदिशा	टेक्नो इंडिया ट्रस्ट , कोलकाता	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 09.01.2013
11.	जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत-मुंगालिया छाप, तहसील-हूजूर भोपाल	जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 24.04.2013

अधिनियम

अनुसार
वर्ष

अधिसूचना
04.2010

अधिसूचना

08.2010

अधिसूचना

02.2010

अधिसूचना

08.17

अधिसूचना

02.2010

अधिसूचना

05.2011

अधिसूचना

05.2011

अधिसूचना

05.2011

अधिसूचना

03.2011

अधिसूचना

02.2011

अधिसूचना

02.2011

अधिसूचना

01.2013

अधिसूचना

01.2013

क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	अधिसूचना अनुसार स्थापना वर्ष
12.	श्री सत्यसाई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी,भोपाल	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 19.09.2013
वर्ष 2014			
13.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, एन. एच. 12, होशंगाबाद रोड़, जाटखेड़ी, भोपाल	आर.के.डी.एफ एजुकेशन सोसायटी, 202 गंगा-जमना काम्पलेक्स, जोन-1 एम.पी. नगर, भोपाल	अध्यादेश अधिसूचना दिनांक 09.09.14 अधिनियम अधिसूचना दिनांक 08.01.2015
वर्ष 2015			
14.	एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय, जे.के. टाउन, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड़ भोपाल	एच.के.कल्युरी एजुकेशन ट्रस्ट, 31-श्यामला हिल्स, भारत भवन, रोड़, भोपाल	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 08.01.2015
15.	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, ग्राम बारोली, सांवेर रोड़, इन्दौर	श्री वैष्णव विद्यापीठ ट्रस्ट श्री वैष्णव विद्या परिसर, 177 - जवाहर मार्ग, साउथ राज मोहल्ला, इन्दौर	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 08.01.2015
16.	पी.के. विश्वविद्यालय, ग्राम थानरा, तहसील करैरा, एन.एच.-25 शिवपुरी	सोनल एजुकेशन सोसायटी, ग्राम तेहरा, हाथरस रोड़, पोस्ट सोनई, जिला मथुरा, उ.प्र.	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 19.08.2015
17.	मंदसौर विश्वविद्यालय, बायपास स्कवायर, रेवास देवड़ा रोड़ मंदसौर	भंवरलाल नाहटा स्मृति संस्थान, महू-नीमच रोड़, भंवरलाल नाहटा मार्ग, मंदसौर	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 19.08.2015
18.	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, ए.बी. रोड़, पिग्दाम्बर राउ इन्दौर	मेडीकेप्स चेरिटेबल ट्रस्ट, 201, पुष्परत्न पैराडाइज, 9/5 न्यू पलासिया, इन्दौर	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 19.08.2015
वर्ष 2016			
19.	डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, देवास वायपास रोड़, ग्राम अरण्डिया, इन्दौर	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी,भोपाल	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 04.01.2016
20.	मालवांचल विश्वविद्यालय, एन.एच. 59 ए नेमावर रोड़, इन्दौर	मयंकस वेलफेयर सोसायटी 104 त्रिशूल अपार्टमेंट, 05 सांघी कॉलोनी, ए.बी.रोड़, इन्दौर	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 04.01.2016
21.	जी.एच.रायसोनी निजी विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा	जी.एच.रायसोनी फाउण्डेशन, नागपुर	अध्यादेश अधिसूचना दिनांक 13.06.16 अधिनियम अधिसूचना दिनांक 27.08.16

क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	अधिसूचना अनुसार स्थापना वर्ष
22.	सिम्बायसिस निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर	सिम्बायसिस फाउण्डेशन, नई दिल्ली	अध्यादेश अधिसूचना दिनांक 13.06.16 अधिनियम अधिसूचना दिनांक 27.08.16

वर्ष 2017

23.	अवंतिका विश्वविद्यालय, उज्जैन	महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड एजुकेशनल रिसर्च 124 एक्स सर्विसमेन कॉलोनी आफ पाउड रोड कोथरुड पूणे	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 12.01.17
24.	व्ही.आई.टी. भोपाल विश्वविद्यालय, सीहोर	व्ही.आई.टी. ट्रस्ट, 26/47 मुसा स्ट्रीट टी. नगर, चैन्नई, तमिलनाडु	अध्यादेश अधिसूचना दिनांक 13.06.17 अधिनियम अधिसूचना दिनांक 24.08.17
25.	सेज विश्वविद्यालय, इन्दौर	टूबा एजुकेशन सोसायटी, सागर प्लाजा 250, जोन-2 एम.पी.नगर, भोपाल	अध्यादेश अधिसूचना दिनांक 13.06.17 अधिनियम अधिसूचना दिनांक 24.08.17
26.	रैनेसा विश्वविद्यालय, इन्दौर	कौटिल्य चन्द्रगुप्त एजुकेशन सोसायटी, ग्राम रिओटी सांवेर रोड, अरविन्दो हास्पिटल, इन्दौर	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 24.08.17

वर्ष 2018

27.	मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल	वंशपति स्मृति शिक्षा समिति पटेल कॉलेज परिसर रातीवड़, भोपाल	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 11.01.18
28.	भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, 202 गंगा-जमुना काम्पलेक्स, एम.पी.नगर, भोपाल।	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 11.01.18
29.	मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, सीहोर	श्री साई ग्रामोत्थान समिति, शॉप न. 1 मानसरोवर परिसर, कोलार रोड, भोपाल	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 11.01.18
30.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट	विंध्य शिक्षा समिति, बालाघाट	अध्यादेश अधिसूचना दिनांक 26.05.18 अधिनियम अधिसूचना दिनांक 28.07.18
31.	डॉ.सी.व्ही.रमन विश्वविद्यालय, खण्डवा	आईसेक्ट समिति, भोपाल	अध्यादेश अधिसूचना दिनांक 26.05.18 अधिनियम अधिसूचना दिनांक 28.07.18

क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	अधिसूचना अनुसार स्थापना वर्ष
32.	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर	स्व. श्री बलवीर सिंह गौतम शिक्षा समिति, छतरपुर	अध्यादेश अधिसूचना दिनांक 26.05.18 अधिनियम अधिसूचना दिनांक 28.07.18
वर्ष 2019			
33.	संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल	श्री अग्रवाल एजुकेशनल पब्लिक ट्रस्ट 250, सागर प्लाजा जेन-2 एमपी नगर भोपाल।	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 14.08.19
34.	हिमालयन विश्वविद्यालय, जबलपुर	सर्वसहारा फाउण्डेशन, एस-191/सी, द्वितीय तल, मानक कॉम्पलेक्स, शकरपुर, नई दिल्ली-92	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 14.08.19
35.	आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, भोपाल	इन्फोटक एजुकेशन सोसायटी, आई.ई.एस. परिसर, कालखेड़ा, रातीबढ़ मेन रोड, भोपाल।	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 14.08.19
36.	सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन	गुरु हरगोविन्द सोसायटी, 13, लाला लाजपत राय कालोनी, रायसेन रोड भोपाल।	अधिनियम अधिसूचना दिनांक 14.08.19

अन्य विभागों के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान
1.	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय	भोपाल
2.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	भोपाल
3.	राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय	ग्वालियर
4.	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय	ग्वालियर
5.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	जबलपुर
6.	म.प्र. पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	जबलपुर
7.	म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय	जबलपुर
8.	सांची बौद्ध तथा भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय	सांची

विभाग के अन्य संस्थान

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान
1.	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी	भोपाल
2.	सामाजिक शोध संस्थान	उज्जैन
3.	नटनागर शोध संस्थान	सीतामऊ
4.	कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट	इंदौर

९९ आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है;
यदि सागर की कुछ बूँदें गन्दी हैं, तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। ९९
— महात्मा गांधी

विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालय

विश्वविद्यालय	शासकीय महाविद्यालय	अशासकीय महाविद्यालय (अनुदान प्राप्त)	अशासकीय महाविद्यालय	शैक्षणिक संस्थान	अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय	योग
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	77'	10	147	—	—	235
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	72	14	185	—	—	270
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	66	12	132	1	1	212
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	51	16	44	—	1	111
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	68	9	114	—	—	191
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	71	5	63	—	—	139
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर	55	4	44	—	—	103
छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा	48	4	76	—	—	128
महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन	09	—	11	—	—	20
योग	517	74	816	1	2	1409

* उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल को सम्मिलित करने पर।

विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध शासकीय स्वशासी महाविद्यालय

विश्वविद्यालय	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर	योग
स्वशासी महाविद्यालय	04	02	03	05	03	निरंक	02	19

संचालनालय स्थापना (अधिकारी वर्ग)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त / अतिशेष
1.	आयुक्त	01	01	00
2.	अपर आयुक्त / संचालक	01	01	00
3.	अपर संचालक-वित्त	01	01	00
4.	अतिरिक्त संचालक	11	04	07
5.	संयुक्त संचालक	03	00	03
6.	संयुक्त संचालक - पेंशन	01	00	01
7.	उप संचालक	01	00	01
8.	राज्य संप्रक्र अधिकारी (मंत्रालय)	01	01	00
9.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	04	05	00 (01 अतिशेष)
10.	सहायक संचालक	12	05	07
11.	लेखा अधिकारी	01	00	01
12.	सहायक संचालक (वित्त)	01	00	01
	कुल	39	18	21(01 अतिशेष)

९९ खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है,
 खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। ९९
 — महात्मा गांधी

संचालनालय स्थापना (कर्मचारी वर्ग)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त/अतिशेष
00	1. अधीक्षक	14	06	08
00	2. वरिष्ठ लेखा परीक्षक	18	10	08
00	3. वसूली निरीक्षक	06	02	04
07	4. सहायक वर्ग-1	32	21	11
03	5. लेखापाल वर्ग-1	12	08	04
01	6. प्रकाशन सहायक	01	00	01
01	7. कनिष्ठ लेखा परीक्षक	41	10	31
00	8. लेखापाल वर्ग-2	04	02	02
01 अतिशेष)	9. सहायक वर्ग-2	32	21	11
07	10. सहायक वर्ग-3	83	73	10
01	11. स्टेनो टायपिस्ट	02	00	02
01	12. शीघ्रलेखक वर्ग-1	03	03	00
1 अतिशेष)	13. शीघ्रलेखक वर्ग-2	04	03	01
	14. शीघ्रलेखक वर्ग-3	11	08	03
	15. की पंच आपरेटर	01	01	00
	16. सांख्यिकी अधिकारी	01	00	01
	17. वाहन चालक	16	07	09
	18. सुपरवाइजर	02	01	01
	19. दफ्तरी	04	00	04
	20. जमादार	03	01	02
	21. भृत्य	50	30	20
	22. फर्राश	03	04	00(01 अतिशेष)
	23. चौकीदार	06	05	01
	24. स्वीपर	07	06	01
	25. वाटरमैन	02	02	00
	कुल योग	358	224	135(01 अतिशेष)

(नोट: शीघ्रलेखक, सहायक वर्ग-1, सहायक वर्ग-3, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर के 23 पद संविदा/आउटसोर्स से स्वीकृत किये गये हैं।)

मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के पद

राजपत्रित पद (संवर्गवार)

(31.03.2020 की स्थिति में)

क्र.	संवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	संचालक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान (स्नातकोत्तर प्राचार्य के समकक्ष)	01	00	01
2.	स्नातकोत्तर प्राचार्य	98	18	80
3.	स्नातक प्राचार्य	418	18	400
4.	प्राध्यापक	704	230	474
5.	सहायक प्राध्यापक	9037*	7026*	2011
6.	ग्रंथपाल	471	340	131
7.	क्रीड़ा अधिकारी	427	300	127
8.	रजिस्ट्रार	45	03	42
	योग	11201[#]	7935	3266

*सहायक प्राध्यापकों के कार्यरत पदों में सह-प्राध्यापक एवं पदोन्नत प्राध्यापक भी सम्मिलित है।

#संशोधित शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम दिनांक 27.08.2015 में दर्ज एवं तदोपरांत स्वीकृत पदों को जोड़कर।

अराजपत्रित पद (संवर्गवार)

(31.01.2020 की स्थिति में)

स. क्र.	संवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	होस्टल मैनेजर	81	30	51
2.	मुख्य लिपिक	432	82	350
3.	लेखापाल	392	66	326
4.	सहायक वर्ग-2	396	194	202
5.	सहायक वर्ग-3	712	594	118
6.	प्रयोगशाला तकनीशियन	1222	806	416
7.	सहायक ग्रंथपाल	16	16	00
8.	वाहन चालक	05	01	04
9.	सहायक शिक्षक, संस्कृत	35	25	10
10.	व्याख्याता संस्कृत	19	12	07
11.	संस्कृत शिक्षक	30	09	21
12.	प्रयोगशाला परिचारक बुकलिफ्टर, भृत्य एवं अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4073	2189	1884
	योग	7413	4024	3389

मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों में राजपत्रित पद अनु.जा./अनु.ज.जा./ एवं पिछड़ा वर्ग का विवरण

की स्थिति में)
रिक्त
01
80
400
474
2011
131
127
42
3266

क्र.	श्रेणी	कार्यरत		
		अनु.जा.	अनु.जन.	पिछड़ा वर्ग
1.	स्नातकोत्तर. प्राचार्य	11	03	00
2.	स्नातक प्राचार्य	22	00	00
3.	प्राध्यापक	35	17	105
4.	सहायक प्राध्यापक	1090	906	539
5.	ग्रंथपाल	67	41	40
6.	क्रीड़ा अधिकारी	52	39	40
7.	रजिस्ट्रार	02	00	01
	योग	1279	1006	725

विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत अनु.जा./अनु.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग का विवरण

की स्थिति में)
रिक्त
51
350
326
202
118
416
00
04
10
07
21
1884
3389

स.क्र.	श्रेणी	कार्यरत		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग
1	प्रथम	43	53	37
2	द्वितीय	1074	1533	1074
3	तृतीय	278	313	332
4	चतुर्थ	543	438	545
	योग	1600	1314	1239

विद्यार्थी-संख्या से संबंधित सांख्यिकी

शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश 2019-20

संवर्ग	स्नातक				स्नातकोत्तर				महा योग	%
	छात्र	छात्राएँ	योग	%	छात्र	छात्राएँ	योग	%		
ई.डब्ल्यू.एस.	795	841	1636	0.38	200	206	406	0.37	2042	0.38
सामान्य	51803	54891	106694	25.03	10634	20436	31070	28.22	137764	25.69
अन्य पिछड़ा वर्ग	95141	97027	192168	45.09	15438	28065	43503	39.52	235671	43.94
अनुसूचित जाति	37946	32945	70891	16.63	9448	10751	20199	18.35	91090	16.98
अनुसूचित जनजाति	27083	27755	54838	12.87	6369	8535	14904	13.54	69742	13.00
कुल योग	212768	213459	426227		42089	67993	110082		536309	

शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश 2019-20

कक्षा	कुल			%		
	छात्र	छात्राएँ	कुल योग	छात्र	छात्राएँ	कुल योग
प्रथम वर्ष	125411	152690	278101	38.25	32.92	35.12
द्वितीय वर्ष	95807	131206	227013	29.22	28.28	28.67
तृतीय वर्ष	69247	101062	170309	21.12	21.79	21.51
पूर्वार्द्ध	23713	48842	72555	7.23	10.53	9.16
उत्तरार्द्ध	13711	30087	43798	4.18	6.49	5.53
कुल योग	327889	463887	791776			

शासकीय महाविद्यालयों की समस्त कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों की संख्या

क्रमांक	छात्र	छात्राएँ	कुल विद्यार्थी
संख्या	327889	463887	791776
प्रतिशत	41.41	58.59	

शासकीय महाविद्यालयों की समस्त कक्षाओं के संवर्गवार नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या

संवर्ग	स्नातक			स्नातकोत्तर			महा योग	प्रतिशत
	छात्र	छात्राएँ	कुल योग	छात्र	छात्राएँ	कुल योग		
ई.डब्ल्यू.एस.	327	292	619	85	72	157	776	0.11

म वर्ष में

महा योग	%
042	0.38
7764	25.69
5671	43.94
090	16.98
742	13.00
6309	

के

कुल योग
35.12
28.67
21.51
9.16
5.53

द्यार्थी
76

ल संख्या

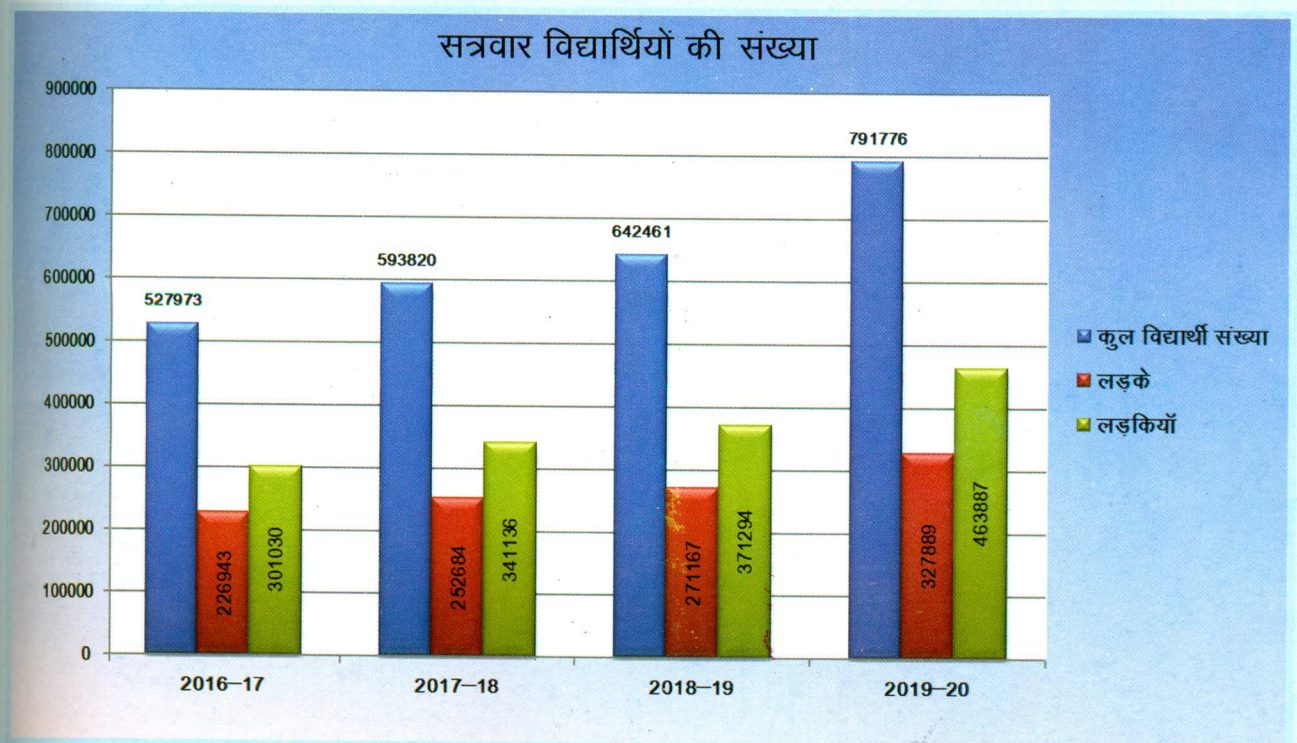
प्रतिशत
0.11

अन्य पिछड़ा वर्ग	143879	108145	252024	29217	14238	43455	295479	43.38
अनुसूचित जाति	48684	43865	92549	10610	7747	18357	110906	16.28
अनुसूचित जनजाति	51549	45309	96858	11885	8653	20538	117396	17.24
सामान्य	74007	52231	126238	20977	9352	30329	156567	22.99
कुल योग	318446	249842	568288	72774	40062	112836	681124	100

सकल पंजीयन अनुपात

(स्रोत ए.आई.एस.एच.ई. 2018-19)

स.क्र.	स्तर	सभी संवर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		छात्र	छात्राएँ	कुल	छात्र	छात्राएँ	कुल	छात्र	छात्राएँ	कुल
1.	प्रदेश स्तर	21.8	21.2	21.5	20.0	19.4	19.7	11.7	11.0	11.4
2.	राष्ट्रीय स्तर	26.3	26.4	26.3	22.7	23.3	23.0	17.9	16.5	17.2
3.	सिक्किम(सर्वश्रेष्ठ राज्य)	54.0	53.9	53.9	40.7	32.6	36.5	27.3	41.3	34.4



९९ शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है— महात्मा गाँधी ९९



भाग
दा
वि

भाग-दो

दायित्व, उपलब्धियाँ एवं
विशिष्ट गतिविधियाँ

विभाग के दायित्व

विभाग की उपलब्धियाँ

विभाग की विशिष्ट
गतिविधियाँ

- महावि
- उपलव
- अध्यय
- करना
- आदिव
- परम्प
- पाठ्य
- महावि
- नैतिक
- महावि
- बढ़ावा
- उच्च
- अशास
- महावि
- राष्ट्रीय
- महावि
- मूल्या
- राष्ट्रीय
- मुक्त
- समस्त
- को छ
- समस्त
- उचित
- खेलव
- बैंक
- विश्व
- महावि
- छात्रवृ
- मध्यप्र
- बनान

विभाग के दायित्व

- महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आवश्यक मूलभूत अधोसंरचना तैयार करना, भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, पदों की पूर्ति करना।
- अध्ययन-अध्यापन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, महाविद्यालयों में अकादमिक एवं शोध कार्य को प्रोत्साहित करना।
- आदिवासी एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना।
- परम्परागत विषयों/पाठ्यक्रमों के साथ-साथ स्थानीय मांग एवं उपयोगिता के अनुसार नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना।
- महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, उनका विस्तार तथा विकास करना।
- महाविद्यालयों को अकादमिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वशासी महाविद्यालयों की अवधारणा को बढ़ावा देना।
- उच्च शिक्षा के विस्तार एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नवीन शासकीय महाविद्यालय खोलने की अपेक्षा अशासकीय महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना।
- महाविद्यालयों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने एवं विकास में जनभागीदारी को सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की इकाइयों की महाविद्यालयों में स्थापना तथा उनका संचालन।
- महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डों के अनुरूप बनाना तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के द्वारा उनका मूल्यांकन कराना।
- राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इग्नू के स्वरोजगार/व्यवसायोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महाविद्यालयों में संचालन।
- मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा को बढ़ावा देना।
- समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों (चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, इंजीनियरिंग, तकनीकी तथा कृषि महाविद्यालयों को छोड़कर) का संचालन, गुणवत्ता की समीक्षा एवं उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- समस्त संकायों में स्नातक, स्नातकोत्तर अध्ययन तथा शोध कार्य हेतु नीति का निर्धारण, क्रियान्वयन, समीक्षा तथा उचित परिवर्तन/संशोधन करना।
- खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण तथा क्रियान्वयन। महाविद्यालयों में पुस्तकालय तथा पुस्तक बैंक की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- विश्वविद्यालय समन्वय समिति के निर्णयों का क्रियान्वयन करना।
- महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में मौलिक शोध कार्य को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- छात्रवृत्तियाँ तथा अध्येतावृत्तियाँ स्वीकृत करना।
- मध्यप्रदेश शासन की उद्योग संवर्धन नीति 2004 के अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को रोजगारमूलक बनाना।

सत्र 2019-20 में विभाग की विशिष्ट उपलब्धियाँ/महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

● नवीन संस्थाएँ/संकाय/विषय :

- ▶ वर्ष 2019-20 में प्रदेश में स्थापित शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 517 (उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्था भी सम्मिलित) हो गयी है।
- ▶ सत्र 2019-20 में स्ववित्तीय योजनान्तर्गत जनभागीदारी निधि से नवीन पाठ्यक्रम/विषय प्रारंभ करने हेतु 24 महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान की गई।
- ▶ प्रदेश में सत्र 2019-20 में 69 नवीन अशासकीय महाविद्यालयों को प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये।
- ▶ उच्च शिक्षा को मध्यप्रदेश में विस्तारित करने के लिये निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में क्रमिक बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2019-20 में 04 नवीन निजी विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं जिससे प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 37 हो गई है।

● महाविद्यालय विकास की योजनाएँ :

- ▶ भवन निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 10000.00 करोड़ का बजट प्रावधानित है। भवन निर्माण कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु 8453.37 करोड़ का व्यय किया जा चुका है एवं राशि 1546.63 करोड़ शेष है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 134.00 करोड़ का बजट प्रावधानित था, यह राशि निर्माण एजेंसियों को हस्तांतरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 हेतु शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु एवं अन्य निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 489.00 करोड़ की निरन्तरता स्वीकृति प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के 16 मुख्य भवनों के निर्माण कार्य एवं 86 अन्य कार्य इस प्रकार कुल 102 निर्माण कार्यों के लिए राशि रुपये 35362.08 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
- ▶ कन्या शैक्षणिक संस्थाओं तथा महिला काम-काजी क्षेत्रों को चिह्नित कर महिला पुलिस चौकी की स्थापना तथा महिला पुलिस गश्त की व्यवस्था शुरू की गई।
- ▶ प्रयोगशाला उन्नयन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रु. 362.78 लाख का प्रावधान किया गया जिसमें से राशि रु. 348.46 लाख का आवंटन 26 महाविद्यालयों को किया गया है।
- ▶ पुस्तकालयों की अंधोसंरचना विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रु. 290.07 लाख का प्रावधान किया गया जिसमें से राशि रु. 235.10 लाख का आवंटन 33 महाविद्यालयों को किया गया है।
- ▶ आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 के लिए राशि रु. 428.78 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। महाविद्यालयों द्वारा राशि रु. 254.26 लाख का व्यय किया गया है।
- ▶ खेलकूद प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये राशि रुपये 176.41 लाख का प्रावधान है। महाविद्यालयों द्वारा राशि रुपये 128.16 लाख व्यय किया गया है।

● गुणवत्ता संवर्धन :

- ▶ 100 महाविद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित कर सत्र 2019-20 में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 68 कक्षाओं का संचालन किया गया।
- ▶ विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिये कम्प्यूटर लैब-153, स्मार्ट क्लासेस-2000, लैंग्वेज लैब-200, ई-लाइब्रेरी-200, रसायन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र प्रयोगशालाओं आदि

की तैयारी पूर्ण की गई।

- » महाविद्यालयीन लेखा पद्धति में सुधार के लिये "यूनिफॉर्म चार्ट ऑफ अकाउंट" तैयार किया गया।
- » वर्ष 2019-20 में (NAAC) द्वारा महाविद्यालयों के मूल्यांकन के अंतर्गत 93 महाविद्यालयों ने Self Study Report (SSR) जमा की। नैक द्वारा 03 महाविद्यालय मूल्यांकित हुए।

• ऑनलाइन प्रवेश :

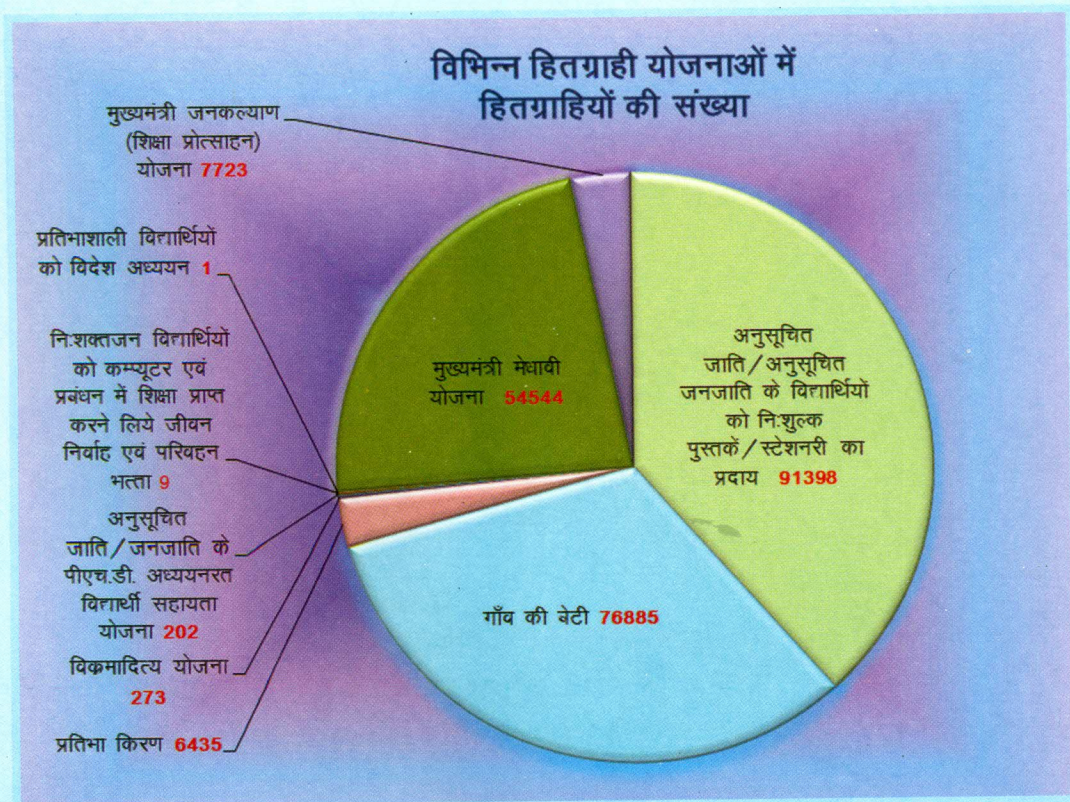
- » प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में सामान्य पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश के माध्यम से 7,91,779 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।
- » ई-प्रवेश प्रक्रिया में छात्राओं को प्रवेश पोर्टल शुल्क से 100 प्रतिशत की छूट दी गई।
- » प्रदेश के 778 अशासकीय महाविद्यालयों में एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश के माध्यम से लगभग 55643 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।

९९ जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। ९९

— महात्मा गांधी

• विभिन्न हितग्राही योजनाओं में वर्ष 2019-20 में उपलब्धियाँ

स.क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (राशि लाख में)	व्यय (राशि लाख में)	हितग्राहियों की संख्या
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें/स्टेशनरी का प्रदाय	2300.56 ✓	1699.44 ✓	113668
2.	गाँव की बेंटी	3848.00	3844.29	76885
3.	प्रतिभा किरण	325.00	321.75	6435
4.	विक्रमादित्य योजना	30.01	06.83	273
5.	एकीकृत छात्रवृत्ति	34.50	18.56	216
6.	अनुसूचित जाति/जनजाति के पीएच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थी सहायता योजना	535.00	160.52	202
7.	निःशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने लिये जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता	5.00	2.87	14
8.	प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन	490.34	23.77	01
9.	मुख्यमंत्री मेधावी योजना	इन योजनाओं के लिए नोडल विभाग (तकनीकी शिक्षा) के पास बजट प्रावधान उपलब्ध होता है।		56544
10.	मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना			7723



• स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना में लाभान्वित विद्यार्थियों की वर्षवार जानकारी-
वर्ष: 2018-19

हिटग्राहियों की संख्या	स.क्र.	गतिविधियाँ	2018 - 19				
			अजा	अजजा.	अपिव	सामान्य	योग
113668	1.	अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (योजना क्र. 6915)	1551	1150	4870	2047	9618
76885	2.	अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (योजना क्र. 7851)	3832	2911	7726	5521	19990
6435	3.	कैरियर अवसर मेलों में भ्रमण से लाभान्वित विद्यार्थी	13333	15243	25736	14831	69143
273	4.	नियमित मासिक गतिविधियों से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (महाविद्यालयीन)	35223	39316	62598	42575	179712
216	5.	नियमित मासिक गतिविधियों से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (स्कूली शिक्षा)	1336	1662	6065	811	9874
202	6.	औद्योगिक भ्रमण से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	114	40	263	229	646
14	7.	कैरियर काउंसिलिंग (हम छू लेंगे आसमां)	.	.	.	.	148085
01	8.	प्लेसमेंट प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या	.	.	.	.	9334
56544		कुल लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या					46402
7723							

अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से लाभान्वित विद्यार्थियों की वर्षवार संख्या

गतिविधि विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण	25414	27482	39296	27980	29608	25289 (दिनांक 10.03.20 की स्थिति में)

नोट - योजनांतर्गत आयोजित होने वाली समस्त गतिविधियों से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 31 मार्च 2020 तक प्राप्त हो सकेगी।

• राजस्व प्राप्ति :

- सत्र 2019-20 में नवीन एवं विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों से म.प्र. राज्य शासन के कोष में शुल्क के रूप में कुल राजस्व राशि रुपये 6,45,74,500/- (रुपये छः करोड़ पैंतालीस लाख चौहत्तर हजार पांच सौ मात्र) अर्जित की गई है।

• व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ :

- प्रदेश में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के महत्व को समझते हुये भोपाल में राज्य स्तरीय व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। सत्र 2019-20 में 152189 विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

● राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) :

- ▶ रूसा चरण एक के अंतर्गत शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय श्योपुर, शासकीय आदर्श महाविद्यालय झाबुआ, पं. एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल में अकादमिक सत्र आरंभ हुआ।
- ▶ रूसा चरण-2 के अंतर्गत 16 वीं पीएबी की बैठक, दिनांक 9.9.2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी इसमें राज्य के 2 विश्वविद्यालयों एवं 16 महाविद्यालयों, की स्थापना हेतु रूसा के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 83.00 करोड़ की अनुदान राशि हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ।

● विश्व बैंक

- ▶ निर्माण कार्य – 50 भवन विहीन महाविद्यालयों, जिनकी अनुमानित लागत राशि रु. 325 करोड़ है, का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिसमें 20 महाविद्यालय इस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो जायेंगे।
- ▶ 200 महाविद्यालयों द्वारा संस्थागत विकास योजना (IDP), अनुमानित राशि रु. 1873.64 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया।
- ▶ विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत महाविद्यालयों के लिये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है।
- ▶ विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य की पूर्ति निम्नानुसार की गई है—
 - विद्यार्थियों का नामांकन (डी.एल.आई-1) – गत वर्ष की तुलना में 10% अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश।
 - योजनाओं की समीक्षा एवं सुधार – विभाग में वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा का उनका सरलीकरण किया जाना।
 - रेमेडियल क्लास— विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत प्रदेश के चयनित 200 महाविद्यालयों में कमजोर छात्रों को अध्ययन अध्यापन सहायता हेतु रेमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।
 - नैक प्रत्यायन (NAAC Accreditation) – गुणवत्ता सुधार गतिविधियों के अंतर्गत प्रदेश के महाविद्यालयों (लगभग 95 महाविद्यालय) को नैक द्वारा मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन शुल्क उपलब्ध कराया गया।
 - वार्षिक प्रतिवेदन— महाविद्यालयों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया।
 - लगभग 3,300 प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापकों को प्रोक्तोरमैंट नीति, रेमेडियल कक्षाओं का संचालन, लीडरशिप एवं मैनेजमेंट, गवर्नेंस बेंचमार्किंग, नैक मूल्यांकन पद्धति, स्मार्ट क्लॉस, लैंग्वेज लैब एवं अध्यापन के नवीन तकनीक संबंधी आदि विषयों की क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया गया।
- ▶ महाविद्यालय स्तर पर द्विस्तरीय लेखा हेतु यूनिफॉर्म चार्ट ऑफ अकाउंट तैयार किया गया।
- ▶ प्रशिक्षण— महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक तथा कर्मचारियों का क्षमता संवर्धन, संस्थागत विकास योजना रेमेडियल क्लॉस का संचालन, नैक प्रत्यायन हेतु एस.एस.आर. तैयार करना, प्रोक्तोरमैंट आदि विषयों पर प्रशिक्षण कराया गया।

● अन्य :

- ▶ प्राचार्यों/कुलसचिवों/प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों एवं अधिकारियों के लिए वर्ष 2019-20 में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों से 199 अधिकारी लाभान्वित हुए।
- ▶ 255 प्रकरणों में स्थानन संबंधी आदेश, 73 प्रकरणों में परिवीक्षा समाप्ति के आदेश एवं 795 प्रकरणों में प्राध्यापक पदनाम दिये जाने संबंधी आदेश जारी किये गये।
- ▶ विदेश में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अर्हकारी अंक और परिवार की आय में छूट की वृद्धि करते हुए योजना को सरलीकृत किया गया।
- ▶ IIT और IIM के उच्च श्रेणी के प्राध्यापकों को पहली बार नवाचार हेतु उच्च शिक्षा परिषद में लिया गया।

- » 45 कर्मचारियों को तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।
- » लोक सेवा आयोग से चयनित 3148 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पहली बार पूर्ण पारदर्शिता से पदस्थापना हेतु ऑनलाइन विकल्प के माध्यम से पूर्ण की गई।
- » प्रदेश के प्राध्यापकों के लिए तदर्थ सेवा को जोड़ते हुए पेंशन में लाभ प्रदान करने हेतु आदेश जारी किए गये।
- » प्रदेश के प्राध्यापकों के लिए 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना के पश्चात प्रवर श्रेणी वेतनमान की बद्धता समाप्त कर 300 से अधिक न्यायालयीन प्रकरण समाप्त कर 3000 से अधिक प्राध्यापकों को लाभान्वित किया।

९९ शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है।
यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। ⁹⁹
— महात्मा गांधी

विशिष्ट गतिविधियां

महात्मा गाँधी जी की 150 वीं जयंती

महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 02 अक्टूबर 2019 को उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में स्वर्ण जयंती सभागार, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन मुख्य आतिथ्य एवं माननीय मंत्री उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन की भव्य उपस्थिति में गरिमामय कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में भोपाल शहर के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापक एवं लगभग 1500 छात्र-छात्राएं सहभागी हुए। माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा एवं माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं एवं प्राध्यापकों को सम्बोधित किया।

सद्भावना दिवस

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. राजीव गांधी की 75 वीं वर्षगांठ को दिनांक 20 अगस्त 2019 को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2019 को भोपाल के रवीन्द्र भवन सभागार में "सद्भावना दिवस" गरिमामय समारोह के रूप में मनाया गया। सद्भावना दौड़ का प्रारंभ लाल फील्ड मैदान, भोपाल से हुआ एवं दौड़ का समापन रवीन्द्र भवन, भोपाल में हुआ। राज्य स्तरीय सद्भावना दिवस कार्यक्रम माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जनसम्पर्क मंत्री, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एवं आयुक्त उच्च शिक्षा मंचासीन रहे। सरोज नायडू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा युवा संकल्प वर्ष के आयोजन की विस्तृत जानकारी एवं रूपरेखा बताते हुए उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भारत रत्न स्व. श्री राजीव गांधी जी के व्यक्तित्व पर केन्द्रित समारोह समापन में उद्बोधन हुआ तथा छात्र-छात्राओं से संवाद किया। कार्यक्रम में भारत रत्न स्व. श्री राजीव गांधी जी पर केन्द्रित मार्गदर्शक चलचित्र का प्रदर्शन किया गया। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा मंचासीन सभी अतिथियों का आभार प्रदर्शन किया गया।

एक अभियान धरती के श्रृंगार का

उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विद्यार्थियों में प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता उत्पन्न करने के दृष्टि से दिनांक 01.08.2019 से 20.08.2019 तक हरियाली महोत्सव के अंतर्गत "एक अभियान धरती के श्रृंगार का" का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को एक अभियान की तरह लेते हुए मध्यप्रदेश की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में राजीव गांधी उद्यान स्थापित किये गये तथा उनमें पौधारोपण किया गया। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में पौधारोपण एवं सेल्फी, पर्यावरण पर भाषण, चित्रकला, निबंध एवं अन्य अभिनव गतिविधि- इन पाँच प्रतियोगिताओं/गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

युवा संवाद कार्यक्रम

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा द्वारा भी जनहितेशी नीतियां बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने हेतु निरंतर प्रयास किये गये हैं। इसके अन्तर्गत विभाग का प्रयास है कि मध्यप्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाये अपितु उनकी समस्याओं का निराकरण भी तत्परता के साथ किया जाये।

शासन व्यवस्था में यह सामान्य बात रही है कि आमजन को अपनी समस्याओं की निराकरण हेतु राजधानी परिक्षेत्र में बुलाया जाये और समस्याओं के समाधान का प्रदर्शन भर किया जाये लेकिन मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थित महाविद्यालयों में युवा संवाद कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से शासन को ही दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मध्यप्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में युवा संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रत्यक्षतः जानने और उनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया।

शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान मध्यप्रदेश के विभिन्न संभागों में स्थित महाविद्यालयों में विभाग द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित कर उस संवेदशीलता का परिचय दिया गया जो एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये अपेक्षित है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को न केवल आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ अपितु उन्हें शासन द्वारा यह आश्वस्ति भी प्राप्त हुई की शासन प्रत्येक कदम पर उनके साथ खड़ा है, साथ ही उनके भविष्य को गढ़ने तथा उनके स्वप्नों को साकार करने हेतु पूर्णरूपेण तत्पर है।

इसके अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2019-20 में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 12 युवा संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह युवा संवाद कार्यक्रम ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, रीवा, भोपाल, सागर आदि संभागों में आयोजित किये गये। परिसंवाद के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा अपने उद्बोधन एवं अपने विचारों से किया गया।

गाँधी तुम्हें नमन

आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था— आने वाली नस्लें शायद ही यकीन करें कि हाड़-मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चलता-फिरता था। गाँधी जी के विचार आज भी सार्थक हैं। गाँधी जी के सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सर्वधर्म समभाव, ब्रम्हचर्य एवं स्वदेशी जैसे व्रत आज भी प्रासंगिक एवं विश्व के लिए दिग्दर्शक हैं। इन सिद्धांतों के आलोक में आज के मनुष्य की विसंगतियों एवं समस्याओं का हल ढूँढ़ा जा सकता है। गाँधी जी के जीवन सिद्धांत वस्तुतः जीवन मूल्यों से अनुप्राणित हैं, इसलिए इन सिद्धांतों को शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 150 शैक्षणिक संस्थानों में महात्मा गाँधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा विश्वविद्यालयों में गाँधी चेयर स्थापित की गई है। यह उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन की एक अभिनव पहल सिद्ध हुई है। प्रदेश के महाविद्यालयों में गाँधी स्तम्भ बना कर गाँधी प्रतिमा स्थापित करने का श्रीगणेश संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय बैरागढ़ से हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा तथा खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश शासन, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन की उपस्थिति में प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में गाँधी स्तम्भ का ई-शिलान्यास किया गया। संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय बैरागढ़ में आयोजित गाँधी तुम्हें नमन समारोह में मध्यप्रदेश हिन्दी गंध अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका रचना का लोकार्पण किया गया। इसी अवसर पर मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के न्यूजलेटर प्रकर्ष का लोकार्पण भी किया गया। इसी समारोह में महात्मा गाँधी के जीवन पर केन्द्रित प्रश्न मंच प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

पं. श्री जवाहरलाल नेहरू जी की 130 वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजन

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. श्री जवाहरलाल नेहरू जी की 130 वीं वर्षगांठ के अवसर पर ज्ञान विज्ञान भवन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में दिनांक 14.11.2019 को गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण, माननीय मंत्री जनसंपर्क विधि एवं विधायी कार्य, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, कुलपति बरकतउल्ला विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट वक्ताओं की

गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरू जी की जीवनी पर केन्द्रित प्रदर्शनी का लोकार्पण सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर नेहरू एवं शिक्षा पर केन्द्रित वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया। माननीय अतिथियों द्वारा स्मारिका का विमोचन किया गया। इसी अवसर पर माननीय माननीय मंत्री जनसंपर्क विधि एवं विधायी कार्य जी एवं माननीय मंत्री उच्च शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण जी का उद्बोधन हुआ। तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन का उद्बोधन एवं युवाओं से संवाद किया गया। कार्यक्रम के अन्त में कुलपति बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा मंचासी सभी अतिथियों का आभार प्रदर्शन किया गया।

सम्पन्न हुआ।
द्वारा स्मारिका
एवं माननीय
श शासन का
द्वारा मंचासीन

भाग-तीन

बजट विहंगावलोकन

कुल बजट
256979.78
(राशि लाख में)

बजट विहंगावलोकन : एक दृष्टि में
बजट-2019-20 बजट प्रावधान एवं व्यय (राशि लाख में)

क्रं.	योजना कोड	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2019-20 (राशि लाख में)	व्यय मार्च 2020 तक (राशि लाख में)
1.	0250	कस्तूरबा ग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट को अनुदान	274.03	219.10
2.	0298	अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा	343.73	339.00
3.	742	अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था	0.02	0.00
4.	743	अनाथ बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा योजना	0.01	0.00
5.	744	प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना	440.34	23.77
6.	0798	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	131160.59	128390.31
7.	1437	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	882.59	843.67
8.	1561	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	876.86	804.12
9.	1562	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	409.29	391.83
10.	1565	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना	350.01	319.2
11.	2194	नटनागर शोध संस्थान सीतामउ, मंदसौर	121.84	112.23
12.	2304	निर्देशन प्रशासन	7.27	1.58
13.	2328	पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल	481.86	401.84
14.	2329	मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर को अनुदान	481.86	401.84
15.	3178	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	552.77	520.21
16.	3357	म0प्र0 हिन्दी ग्रंथ अकादमी को अनुदान	49.09	45.09
17.	3443	महाविद्यालय शिक्षा संचालनालय	2068.57	1643.59
18.	3444	अशासकीय महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	27290.00	20493.34
19.	3446	महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन	176.41	128.16
20.	3753	राष्ट्रीय सेवा योजना	104.45	67.16
21.	3939	विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन	1050.99	980.79
22.	4699	अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें-स्टेशनरी का प्रदाय	2300.56	1827.96
23.	5449	अशा0 महावि0 पेंशन भुगतान योजना हेतु ऋण	5784.00	4627.20
24.	5476	प्रतिभा किरण योजना	325.00	321.75

क्र.	योजना कोड	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2019-20 (राशि लाख में)	व्यय मार्च 2020 तक (राशि लाख में)
25.	5490	निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन नियम	70.76	16.15
26.	5550	पुस्तकालय विकास	290.07	214.96
27.	5551	आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था	378.74	254.26
28.	5553	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध छात्रवृत्ति	0.01	0.00
29.	5674	निर्धन वर्ग के लिये विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना	30.01	6.83
30.	5763	असहाय छात्रों को छात्रवृत्ति	5.00	2.06
31.	5765	प्रयोगशाला उन्नयन	362.78	275.60
32.	5766	प्रोत्साहन योजना	72.74	0.00
33.	5870	उच्च शिक्षा उत्कृष्टता मूलक राज्य संस्थान, भोपाल	50.00	0.00
34.	6064	कला महाविद्यालय (एकीकृत छात्रवृत्ति)	30.00	6.16
35.	6066	संस्कृत महाविद्यालय	2151.61	1471.42
36.	6210	योग प्रसार समिति को अनुदान	13.64	7.64
37.	6411	महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड वि०वि०, छतरपुर की स्थापना	0.02	0.00
38.	6915	स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्ग दर्शन योजना	77.28	33.73
39.	6916	गाँव की बेटी योजना	3848.00	3844.29
40.	6938	हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान	790.93	646.06
41.	6990	छात्र कल्याण निधि	15.73	9.87
42.	7043	जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	25547.76	18588.85
43.	7134	नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु अनुदान	301.92	145.12
44.	7135	नवीन संकाय खोलने हेतु अनुदान	76.24	37.34
45.	7173	छात्राओं को आवागमन सुविधा	0.03	0.00
46.	7174	महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, छतरपुर की स्थापना	100.01	68.00
47.	7300	स्वर्गीय श्री सुशीलचंद वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00
48.	7319	महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन	227.33	127.30
49.	7464	मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	24093.11	11099.84
50.	7599	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा निदेशालय की स्थापना	101.00	100.00

क्रं.	योजना कोड	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2019-20 (राशि लाख में)	व्यय मार्च 2020 तक (राशि लाख में)
51.	7600	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	11902.00	11902.00
52.	7643	शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	10000.00	9578.65
53.	7851	युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण व्यवस्था	86.39	59.56
54.	8236	म0प्र0 सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान को सहायता	76.82	30.02
55.	8518	राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल	208.20	4.58
56.	8855	पी.एच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता	535.00	297.36
57.	9013	संस्कृत छात्रवृत्तियाँ	4.50	0.00
		कुल योग	256979.78	221731.39

प्रथम अनुपूरक बजट 2019-20 में प्रावधान

क्रं.	योजना कोड	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2019-20 (राशि लाख में)	व्यय जनवरी 2020 तक
1.	744	प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना	213.00	
2.	0798	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	6435.00	
3.	7043	जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	16000.00	
4.	8236	म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान को सहायता	45.00	
5.		कुल योग	22693.00	
		सकल योग	256979.78	

2020 तक
लाख में)

02.00

8.65

9.56

0.02

.58

7.36

.00

731.39

भाग-चार

राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

RUSA
7464 - World Bank 60:40
7600 - Central 70:30
7599 -

मुख्यमंत्री मेधावी योजना
से लाभान्वित विद्यार्थी

56544

मुख्यमंत्री जनकल्याण
(शिक्षा प्रोत्साहन
योजना)

से लाभान्वित विद्यार्थी

7723

गांव की बेटी योजना से
लाभान्वित छात्राएँ

76885

प्रतिभा किरण योजना
से लाभान्वित छात्राएँ

6435

विक्रमादित्य योजना से
लाभान्वित छात्र

273

राज्य की योजनाएँ

(1) महाविद्यालय विकास हेतु योजनाएँ

i. शासकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण

इस योजना के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों के मुख्य भवनों का निर्माण, भवन-विस्तार, बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण, अनुरक्षण आदि के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी करते हुए शासकीय एजेंसियों के माध्यम से निर्माण कार्य संपादित किया जाता है।

बजट शीर्ष :- 7643

सत्र	प्रावधान (राशि लाख में)	आवंटन (राशि लाख में)	निर्माण एजेंसियों द्वारा व्यय (राशि लाख में) मार्च 2020 की स्थिति में	हितग्राही महाविद्यालयों की संख्या
2015-16	6455.00	6455.00	6415.00	14
2016-17	6884.00	6884.00	6307.81	51
2017-18	11000.00	11000.00	4206.13	27
2018-19	13400.00	13400.00	6934.53	81
2019-20	10000.00	9891.95	9578.65	—

ii. प्रयोगशाला उन्नयन

वर्तमान परिदृश्य में विज्ञान के क्षेत्र में प्रदेश का गौरव स्थापित करने के उद्देश्य से शासकीय महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने हेतु योजना प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य है कि शासकीय महाविद्यालयों की प्रायोगिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोगों के लिए संसाधन उपलब्ध हों। इस योजना के अन्तर्गत विज्ञान संकाय की विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए निर्धारित किये गए मानदंड के अनुसार महाविद्यालयों से आवेदन प्राप्त करते हुए उपकरण-क्रय के लिए आवंटन जारी किया जाता है।

बजट शीर्ष :- 5765

सत्र	प्रावधान (राशि लाख में)	व्यय (राशि लाख में) मार्च 2020 की स्थिति में	हितग्राही महाविद्यालयों की संख्या
2015-16	350	350	27
2016-17	500	449.7	38
2017-18	450	450	62
2018-19	475	427.59	40
2019-20	362.78	275.60	26

iii. पुस्तकालय का विकास

शासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों की अंधोसंरचना के विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत ई-पुस्तकालय स्थापित किये जाने के लिए शासकीय महाविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है। उक्त अनुदान से महाविद्यालय कम्प्यूटर एवं इसके सहायक उपकरणों का क्रय कर सकते हैं, पुस्तकों का भण्डारण एवं आदान-प्रदान हेतु

सॉफ्टवेयर क्रय कर सकते हैं एवं शोध जर्नल के लिए INFLIBNET की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।

बजट शीर्ष :- 5550

सत्र	प्रावधान (राशि लाख में)	व्यय (राशि लाख में) मार्च 2020 की स्थिति में	हितग्राही महाविद्यालयों की संख्या
2015-16	200	199	23
2016-17	350	288.84	42
2017-18	310	294.19	41
2018-19	295	265.50	40
2019-20	290.07	214.96	33

iv. आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था के लिए स्मार्ट क्लास विकसित किये जाने हेतु आवश्यक सामग्री (कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन) आदि के लिए राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2019-20 के योजना क्रमांक 8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्ययोजना को योजना क्रमांक 5551 में मर्ज किया गया है।

बजट शीर्ष :- 5551

सत्र	प्रावधान (राशि लाख में)	व्यय (राशि लाख में) मार्च 2020 की स्थिति में	हितग्राही महाविद्यालयों की संख्या
2015-16	100.00	99.29	—
2016-17	150.00	147.55	66
2017-18	215.00	173.65	65
2018-19	430.00	350.00	115
2019-20	428.74	254.26	100

v. खेलकूद प्रोत्साहन योजना

राज्य शासन विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के क्षेत्र में विकास हेतु कटिबद्ध है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन के उद्देश्य से खेल सामग्री एवं खेल गतिविधियों के लिये राशि महाविद्यालयों को दी जाती है।

बजट शीर्ष :- 3446

सत्र	प्रावधान (राशि लाख में)	व्यय (राशि लाख में)	हितग्राही महाविद्यालयों की संख्या
2015-16	110.00	107.52	—
2016-17	160.00	146.24	127
2017-18	170.00	129.31	435
2018-19	190.00	138.91	325
2019-20	176.41	128.16	88

(2) गुणवत्ता प्रोत्साहन योजनाएँ

i. नैक (NAAC) द्वारा मूल्यांकित प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों को प्रोत्साहन

प्रदेश में नैक की गतिविधियों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किये जाने वाले प्रोत्साहन अभियानों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण महाविद्यालयों में नैक द्वारा प्रत्यायन एवं मूल्यांकन कराने प्रवृत्ति को बल मिला है तथा मूल्यांकन हेतु किये जाने वाली प्रक्रिया में तेजी आयी है। वर्तमान में 14 शासकीय महाविद्यालय नैक से मूल्यांकित हैं।

नैक से मूल्यांकन कराये जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप महाविद्यालयों को नैक की अनुशंसाओं को लागू करने के उद्देश्य से उनके ग्रेड पर आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना वर्ष 2014 से लागू की गई है। महाविद्यालयों को प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि का उपयोग शिक्षकों, विद्यार्थियों के लिए अकादमिक गुणवत्ता के विकास तथा संस्था की गुणवत्ता और उत्कृष्टता की गतिविधियों, प्रख्यात विद्वानों के व्याख्याता पाठ्य सामग्री, क्रीड़ा गतिविधियों की उन्नति, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के उन्नयन करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रोत्साहन राशि को प्रतिवर्ष 30 महाविद्यालयों को दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें 'ए' ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय, 15 'बी' ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय एवं 07 'सी' ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय शामिल सकेंगे। बजटीय सीमा के अंतर्गत 'ए' ग्रेड महाविद्यालयों को रु. 15.00 लाख, 'बी' ग्रेड महाविद्यालयों को रु. 10.00 लाख एवं 'सी' ग्रेड महाविद्यालयों को रु. 5.00 लाख देने का प्रावधान है।

बजट शीर्ष :- 5766 (पूर्व में 7601)

विगत 03 वर्षों में योजना की प्रगति निम्नानुसार है—

सत्र	प्रावधान (राशि लाख में)	व्यय (राशि लाख में) मार्च 2020 की स्थिति में	हितग्राही महाविद्यालयों की संख्या
2017-18	100.00	90.00	08
2018-19	125.00*	83.75	25
2019-20	72.74	—	—

*वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना क्रमांक 5767, 7601 को योजना क्रमांक 5766 में समाहित किया गया है।

ii. उत्कृष्ट कुलपति को पुरस्कार

दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 को जारी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के द्वारा डॉ. हरीसिंह गौर स्मृति पुरस्कार की स्थापना की गई है।

इसके द्वारा उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं योगदान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपतियों में से चयनित कुलपति को डॉ. हरीसिंह गौर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा तथा उन्हें नगद पुरस्कार राशि के रूप में रुपये 1.00 लाख एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

बजट शीर्ष :- 5766

iii. उत्कृष्ट प्राचार्यों, प्राध्यापकों एवं मेधावी छात्रों को पुरस्कार

स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्राचार्यों, शिक्षकों विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है। यह राज्य-स्तरीय पुरस्कार है।

स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार योजना में तय किये गये मापदंडों के आधार पर राज्य स्तर पर 08 प्राचार्यों, 40 शिक्षकों एवं 200 विद्यार्थियों का चयन पुरस्कार के लिए किया जाता है। पुरस्कार

राशि प्राचार्य हेतु रु. 1.00 लाख व प्रशस्ति पत्र, शिक्षक हेतु रु. 75 हजार व प्रशस्ति पत्र तथा विद्यार्थियों हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक के लिए रु. 50 हजार व प्रशस्ति पत्र है।

बजट शीर्ष :- 5766

(3) हितग्राहीमूलक/छात्रवृत्ति योजनाएँ

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पुस्तकों और स्टेशनरी का निःशुल्क प्रदाय

उद्देश्य— अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता करना।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र— अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को इस योजना में 1500 रुपये की पुस्तकें एवं 500 रुपये की स्टेशनरी प्रतिवर्ष प्रदाय की जाती है।

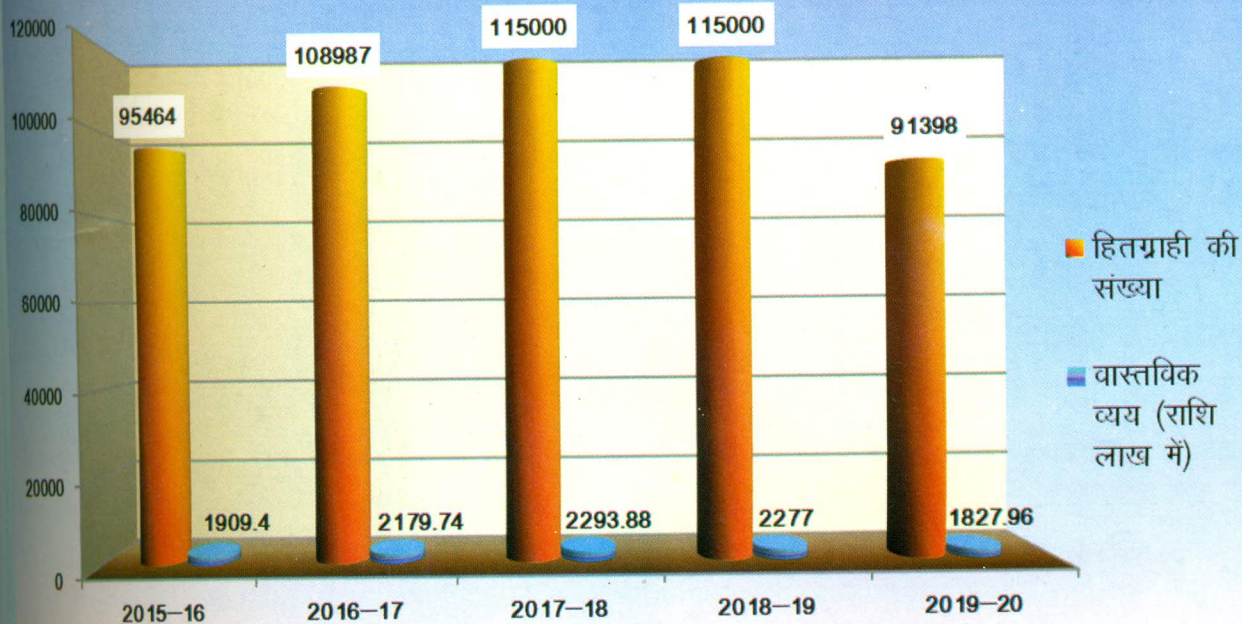
पात्र हितग्राही— शासकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी।

बजट शीर्ष— 4699

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रु 2300.56 लाख का प्रावाधान है जिसमें से राशि रु 1827.96 लाख का व्यय हुआ है जिसमें 113668 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

विगत 05 वर्षों में इस योजना में हितग्राहियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पुस्तकों और स्टेशनरी का निःशुल्क प्रदाय



ii. गाँव की बेटी योजना

उद्देश्य— ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

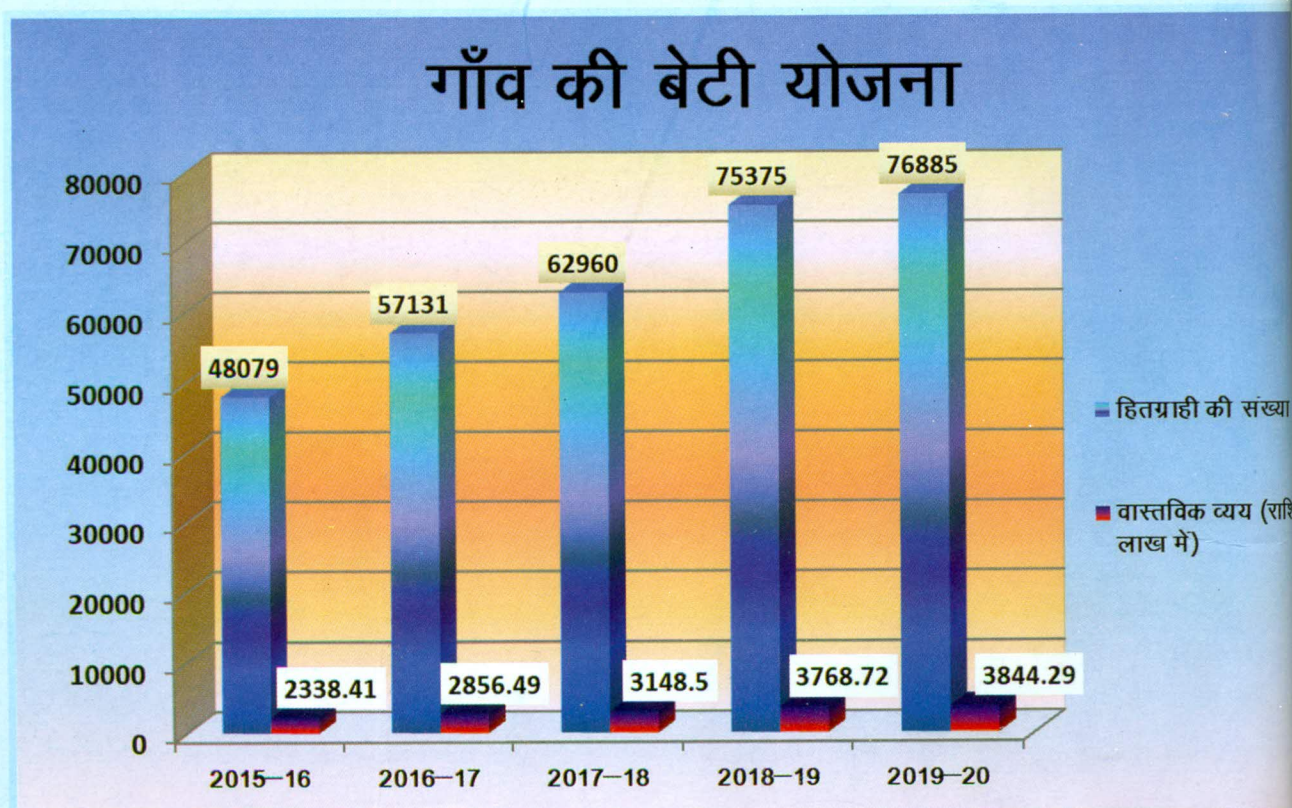
योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र— इस योजना में चयनित छात्रा को परंपरागत स्नातक पाठ्य हेतु 500 रु. प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह के लिए) दिया जाता है। यह राशि प्रोत्साहन राशि है, इसके साथ-साथ अन्य योजना का भी लाभ छात्रा प्राप्त कर सकती है। यह योजना समस्त शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के लिए लागू है।

पात्र हितग्राही— मध्यप्रदेश के गाँव की निवासी छात्रा जिसने गाँव की पाठशाला से 12वीं परीक्षा न्यून 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो।

बजट शीर्ष— 6916

सत्र 2019-20 के लिये राशि रु 3848.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

विगत 05 वर्षों में इस योजना में हितग्राहियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:-



iii. प्रतिभा किरण योजना

उद्देश्य— गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाकर प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र— इस योजना में चयनित छात्रा को परंपरागत स्नातक पाठ्य हेतु 500 रु. प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह के लिए) दिया जाता है। यह राशि प्रोत्साहन राशि है, इसके साथ-साथ अन्य योजना का भी लाभ छात्रा प्राप्त कर सकती है। यह योजना समस्त शासकीय

अशासकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के लिए लागू है।

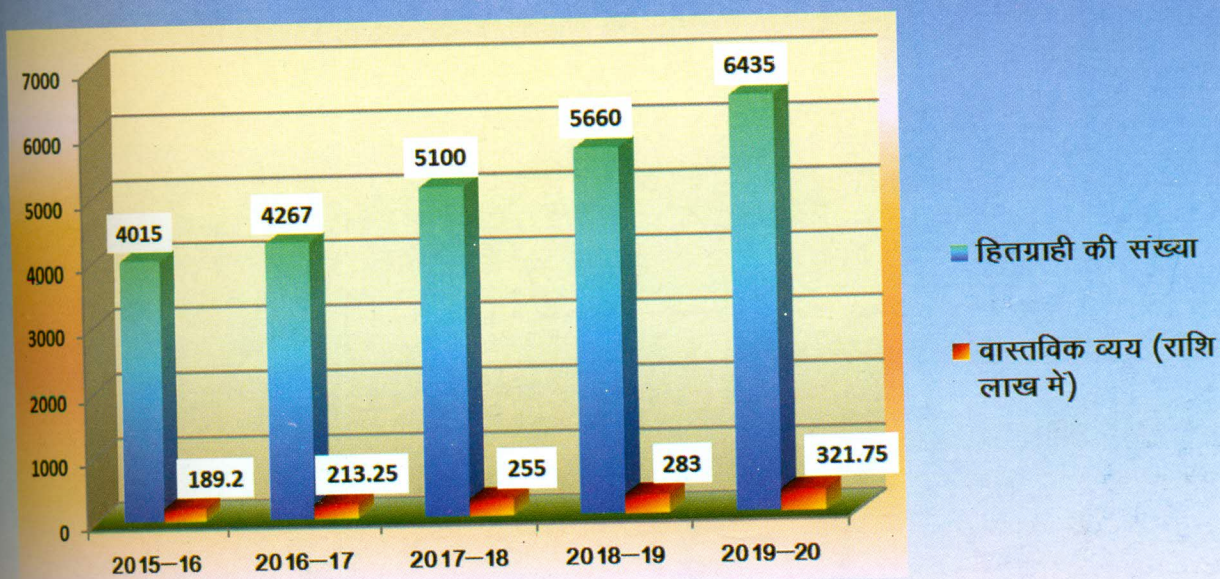
पात्र हितग्राही— मध्यप्रदेश के शहर की निवासी छात्रा जिसने शहर की पाठशाला से 12वीं परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण की हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही हो तथा उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो।

बजट शीर्ष— 5476

सत्र 2019-20 के लिये राशि रु 325.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

विगत 05 वर्षों में इस योजना में हितग्राहियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:-

प्रतिभा किरण योजना



९९ खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं,
जो कहते हैं और जो करते हैं, सामंजस्य में हों। ९९
— महात्मा गांधी

iv. विक्रमादित्य योजना

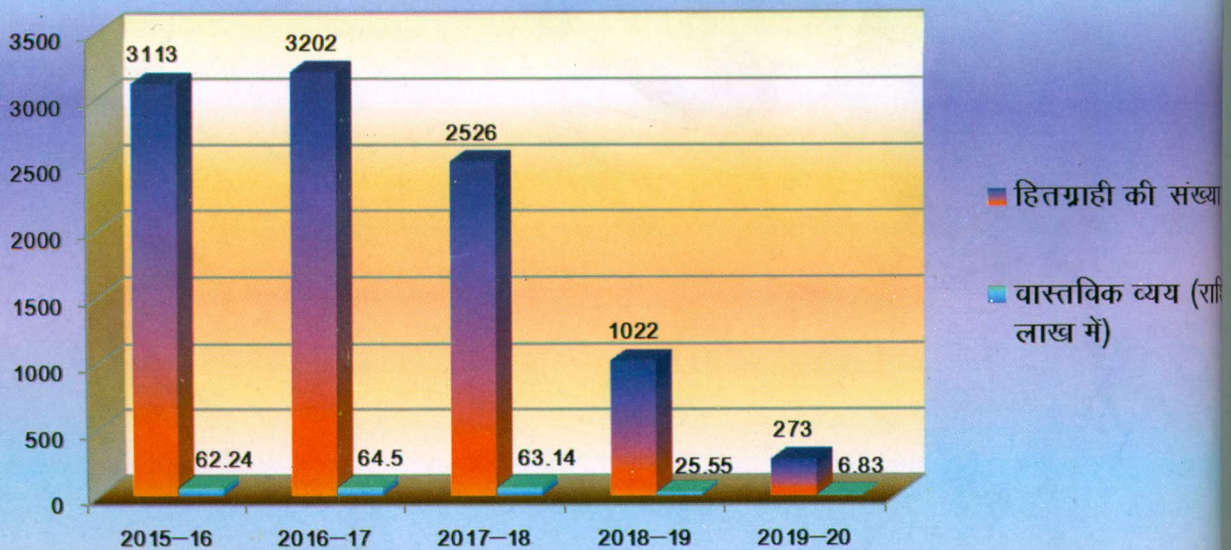
उद्देश्य— निर्धन मेधावी छात्रों को निःशुल्क उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र— यह योजना केवल निःशुल्क शिक्षा देने से संबंधित है, अतः शिक्षा शुल्क की वास्तविक राशि अथवा राशि रुपये 2500/-में जो भी कम हो देय होती है। यह योजना सार्वजनिक शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के लिए लागू है।

पात्र हितग्राही— इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के उन छात्रों को पात्र माना जाता है, जिन्होंने अभिभावकों की वार्षिक आय 54000/- तक हो तथा जिन्होंने 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो।
बजट शीर्ष— 5674

नोट— यह योजना मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (संबल) में समायोजित की गई है। वर्तमान में सत्र में यह योजना द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थी के लिये पूर्वानुसार ही संचालित रहेगी। विगत 05 वर्षों में इस योजना में हितग्राहियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:-

विक्रमादित्य योजना



v. एकीकृत छात्रवृत्ति योजनाएँ

उद्देश्य— विभिन्न कक्षाओं के नियमित विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान कर आर्थिक सहयोग पहुंचाना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र— वर्तमान में संचालित विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ और उनका कोटा निर्धारित है। शोध, एम.फिल, स्नातकोत्तर योग्यता, स्नातकोत्तर योग्यता सह-साधन, खेलकूद, स्नातकोत्तर योग्यता, स्नातक योग्यता सह-साधन, फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान पुणे, राष्ट्रीय अनुसंधान कला, नई दिल्ली, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली, सैन्य महाविद्यालय मध्यप्रदेश में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कोटा निर्धारित कर छात्रवृत्ति दी जाती है।

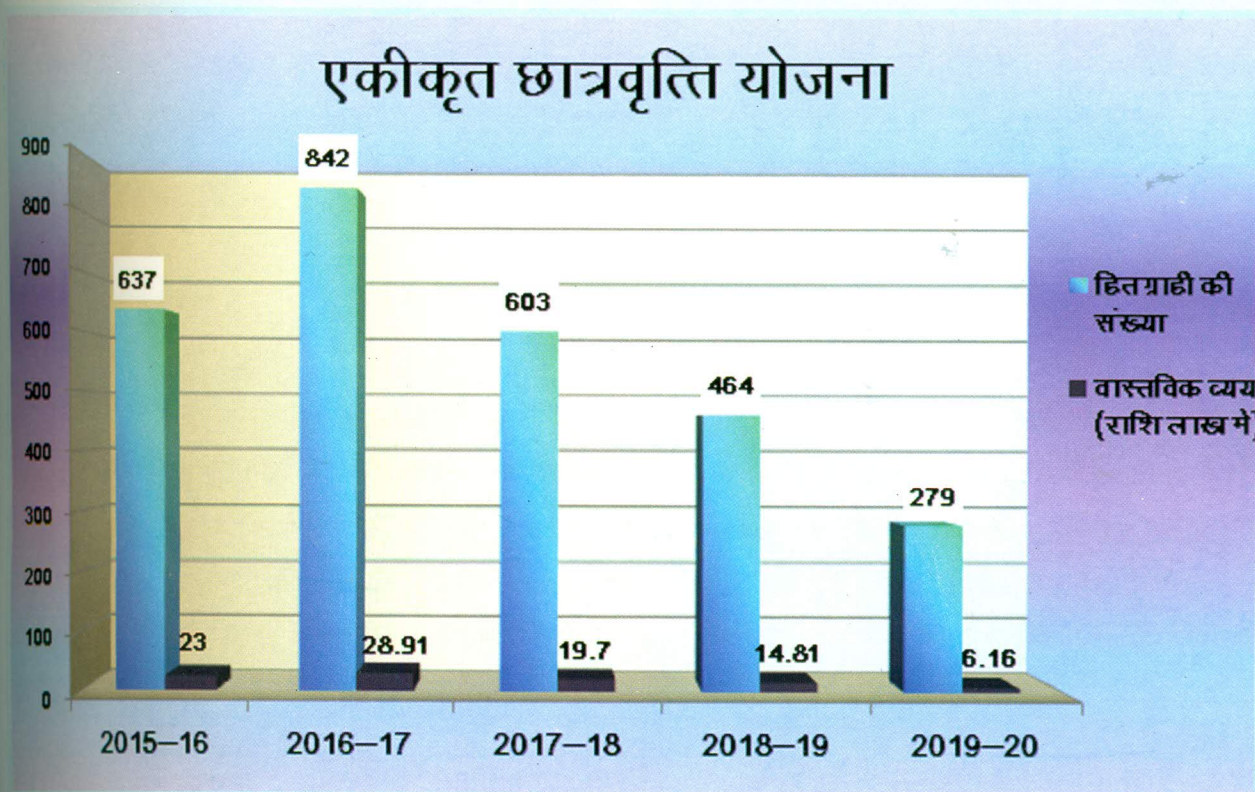
पात्र हितग्राही— शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की पारिवारिक वार्षिक आय रुपये 54,000 से अधिक न हो।

अन्य अर्हता—

- पीएच.डी. : स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंक
- स्नातकोत्तर : स्नातक में 55 प्रतिशत अंक
- खेलकूद : मध्यप्रदेश की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल के सदस्य हों, अथवा प्रदेश की वयस्क टीम के सदस्य हों अथवा प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रहे हों
- स्नातक (योग्यता): माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक
- स्नातक (योग्यता सह साधन): माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक

बजट शीर्ष— 6064

योजनान्तर्गत वर्तमान में संचालित विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ और उनका निर्धारित कोटा निम्नानुसार है:-



छात्रवृत्ति का प्रकार			कोटा	सत्र 2018-19 के लिए आवंटित राशि (लाख में)
(1) एकीकृत छात्रवृत्ति			508	30.00
क्र.	छात्रवृत्ति का प्रकार	राशि प्रतिमाह	कोटा	
i.	पीएच.डी.	600 / -	18	
ii.	एम.फिल.	500 / -	14	
iii.	स्नातकोत्तर (केवल योग्यता आधारित)	500 / -	73	
iv.	स्नातकोत्तर (योग्यता सह साधन आधारित)	500 / -	73	
v.	खेलकूद	300 / -	22	
vi.	स्नातक (केवल योग्यता आधारित)	300 / -	146	
vii.	स्नातक (योग्यता सह साधन आधारित)	300 / -	146	
viii.	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	600 / -	02	
ix.	राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली	600 / -	02	
x.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली	600 / -	02	
xi.	सैन्य महाविद्यालय, देहरादून में अध्ययनरत म.प्र. के मूल निवासी छात्र	1000 / -	10	
	कुल		508	
(2) संस्कृत छात्रवृत्तियाँ			200	4.50
कुल योग			708	34.50

नोट—क्रमांक VIII से XI तक उल्लेखित एकीकृत छात्रवृत्तियाँ पृथक नियमानुसार देय होती हैं।

विगत 05 वर्षों में इस योजना में हितग्राहियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:-

vi. पीएच.डी. शोधार्थियों को सहायता

उद्देश्य— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शोध हेतु आर्थिक सहायता देना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र— यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष अधिकतम अनुसूचित जाति के 100 अनुसूचित जनजाति के 56 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 16,000 रुपये या समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर से देय है, जिसका संकायवार कोटा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है—

क्र.	संकाय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
1	विज्ञान संकाय (विज्ञान, जीवविज्ञान, गृहविज्ञान)	25	14	39
2	वाणिज्य संकाय (वाणिज्य, प्रबंधन, विधि)	25	14	39
3	कला संकाय (कला, सामाजिक विज्ञान)	25	14	39
4	शेष अन्य सभी संकाय	25	14	39
	कुल योग	100	56	156

सत्र 2018-19
के लिए
आवंटित राशि
(लाख में)

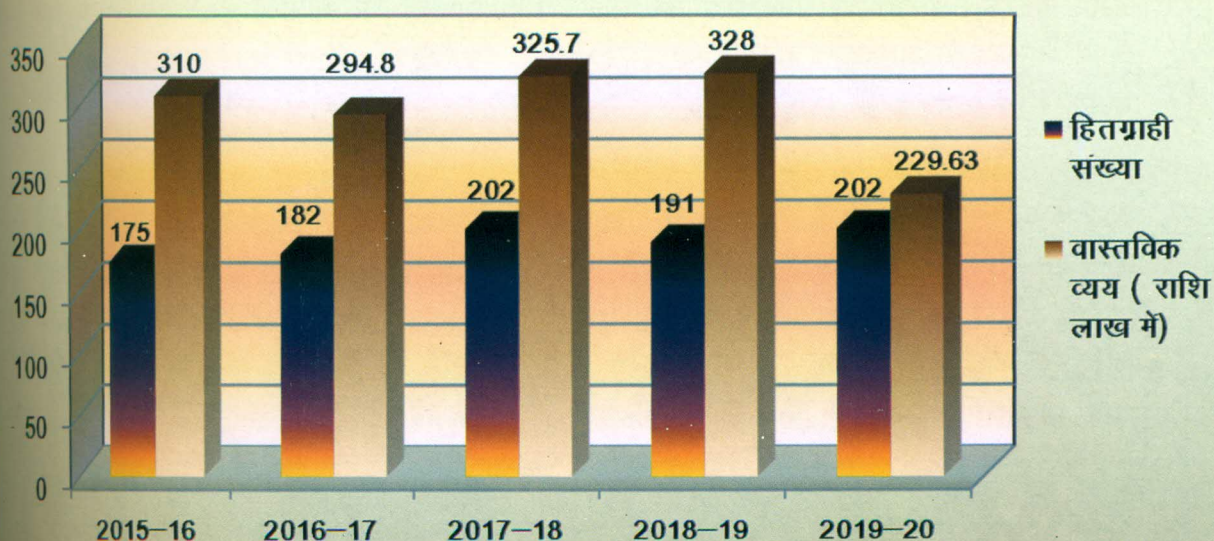
30.00

पात्र हितग्राही— मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, विश्वविद्यालय में शोध-छात्र के रूप में पंजीकृत हो, माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो, यूजीसी के नियमानुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त हो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो।

बजट शीर्ष— 8855

विगत 05 वर्षों में इस योजना में हितग्राहियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:-

पीएच.डी. शोधार्थियों को सहायता



दिव्यांग विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्तियां

उद्देश्य — दिव्यांग विद्यार्थियों को पीएच.डी. के शोध कार्य हेतु प्रेरित करना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र — पीएच.डी. के शोध कार्य हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में शोध उपाधि समिति द्वारा साक्षात्कार उपरांत पंजीकृत अधिकतम 10 दिव्यांग विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति राशि रुपये 16000/- प्रति माह एवं कुल राशि रुपये 1,92,000/- प्रति वर्ष उपलब्ध करायी जाती है।

पात्र हितग्राही— मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो, स्नातकोत्तर उपाधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्राप्त किये हों, माता/पिता/पालकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो, शोध कार्य में पंजीकृत हो एवं विकलांगता का प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

बजट शीर्ष— 8855

vii. शासकीय महाविद्यालय में स्मार्ट फोन प्रदाय योजना

उद्देश्य — विद्यार्थियों को वैश्वीकरण के अंतर्गत ई-लर्निंग से अद्यतन करना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र— शासकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले नियमित विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्रदाय किया जाता है।

पात्र हितग्राही — प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति स्मार्ट फोन दिये जाने तक 75 प्रतिशत हो।

यता देना।

के 100 एवं
द्वारा निर्धारित

योग

39

39

39

39

156

viii. निःशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन-निर्वाह एवं परिवहन भत्ता

उद्देश्य — कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिव्यांग विद्यार्थियों को जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता प्रदान कर अध्ययन हेतु प्रेरित करना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र — शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेशित दिव्यांग विद्यार्थी को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन के पाठ्यक्रमों में ली जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति, रुपये 1500/- प्रतिमाह निर्वाह भत्ता नगर निगम क्षेत्र में रुपये 500/- तथा नगर पालिका क्षेत्र में रुपये 300/- प्रतिमाह परिवहन भत्ता प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष 2000 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है।

पात्र हितग्राही— शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर/प्रबंधन विषय में प्रवेशित दिव्यांग विद्यार्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तता का प्रमाण-पत्र होना चाहिए। माता-पिता/पालकों की वार्षिक आय रुपये 1 लाख से अधिक न हो।

बजट शीर्ष— 5763

ix. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन:-

उद्देश्य — अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु आर्थिक सुविधा प्रदान करना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र — विदेश में अध्ययनरत/पाठ्यक्रम में प्रवेशित अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को अध्यापन हेतु वास्तविक व्यय या अधिकतम कुल 40,000 अमेरिकी डॉलर या उसके समतुल्य अन्य देश की करेंसी में प्रदान किया जाता है। इस पूरी राशि का बॉण्ड आवेदक से प्राप्त किया जाता है।

पात्र हितग्राही— आवेदक विद्यार्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त विद्यार्थी मध्यप्रदेश की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होना चाहिए। पीएच.डी शोध उपाधि हेतु संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक तथा मध्यप्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय से संबंधित विषय में दो वर्षों का अध्यापन अनुभव/एम.फिल उपाधि हो। आवेदनकर्ता की समस्त स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय रुपये 1 लाख से अधिक नहीं हो। आवेदनकर्ता की उच्च स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिये 25 वर्ष एवं पीएच.डी. शोध उपाधि के लिये 35 वर्ष से अधिक न हो आवेदनकर्ता द्वारा जीआई/जीएमएटी/टीओएफआई/आईईएलटीएस की अर्हता प्राप्त होने के साथ विदेश में अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हो चुका हो।

बजट शीर्ष— 0744

x. उच्च शिक्षा कोष

राज्य शासन द्वारा उच्च शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत गरीब व मेधावी विद्यार्थियों के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु उच्च शिक्षा कोष का गठन किया गया है जिसमें निम्न आय के मेधावी विद्यार्थियों को अर्हताकारी अंतिम परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर शिक्षा शुल्क एवं निर्वाहन भत्ता रुपये 24000/- देय होगी किन्तु यह पूर्ण राशि किसी भी स्थिति में रुपये 1,00,000/- से अधिक नहीं होगी।

(4) कैरियर मार्गदर्शन योजना

i. स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना एवं कौशल विकास

युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा तथा योग्यता के अनुरूप अपने कैरियर का चुनाव कर सके इस उद्देश्य से 2005-06 में यह योजना प्रारंभ की गई। यह शासन की एक महती योजना है। योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के सभी शासकीय हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों तथा तकनीकी विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करना है।

क्र.	गति
1.	अल्प संख्य
2.	अल्प संख्य
3.	कैरियर
4.	नियमित संख्या
5.	नियमित संख्या
6.	औद्योगिक
7.	कैरियर
8.	प्लेसमेंट
	कुल

संस्थानों में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से विद्यार्थियों को सतत मार्गदर्शन प्रदान करना तथा रोजगार/प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराना है। विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिये स्वमूल्यांकन के तहत एप्टीट्यूड टेस्ट तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता को पूर्ण किया जाता है। सत्र 2019-20 में योजना क्रमांक 6915 के अंतर्गत रु. 77.28 लाख एवं योजना क्रमांक 7851 में रु. 86.39 लाख बजट का प्रावधान किया गया है।

योजना के तहत सम्पादित होने वाली गतिविधियाँ—

1. नियमित गतिविधियों का आयोजन
2. कैरियर अवसर मेलों का आयोजन
3. अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षणों का आयोजन
4. उद्यमिता शिविरों का आयोजन
5. प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन
6. विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण का आयोजन

वर्ष 2019-20 में जुलाई 2019 से प्रदेश के 251 शासकीय महाविद्यालयों को 328 अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण सत्रों हेतु, 63 शासकीय महाविद्यालयों को कैरियर अवसर मेले आयोजित करने हेतु एवं औद्योगिक भ्रमण हेतु 53 शासकीय महाविद्यालयों को बजट राशि का आवंटन किया गया है। योजनांतर्गत होने वाली गतिविधियाँ 25 मार्च 2020 तक आयोजित की जायेंगी।

स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना लाभान्वित विद्यार्थियों की वर्गवार जानकारी वर्ष 2018-19

क्र.	गतिविधियाँ	2018 — 19				
		SC	ST	OBC	GEN	TOTAL
1.	अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (योजना क्र. 6915)	1551	1150	4870	2047	9618
2.	अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (योजना क्र. 7851)	3832	2911	7726	5521	19990
3.	कैरियर अवसर मेलों में भ्रमण से लाभान्वित	13333	15243	25736	14831	69143
4.	नियमित मासिक गतिविधियों से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (महाविद्यालयीन)	35223	39316	62598	42575	179712
5.	नियमित मासिक गतिविधियों से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (स्कूली शिक्षा)	1336	1662	6065	811	9874
6.	औद्योगिक भ्रमण से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	114	40	263	229	646
7.	कैरियर काउंसिलिंग (हम छू लेंगे आसमां)	.	.	.	.	148085
8.	प्लेसमेंट प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या	.	.	.	.	9334
	कुल लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या					446402

अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से लाभान्वित विद्यार्थियों की वर्षवार संख्या

गतिविधि विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण	25414	27482	39296	27980	29608	24144 (दिनांक 15.02.20 की स्थिति में)

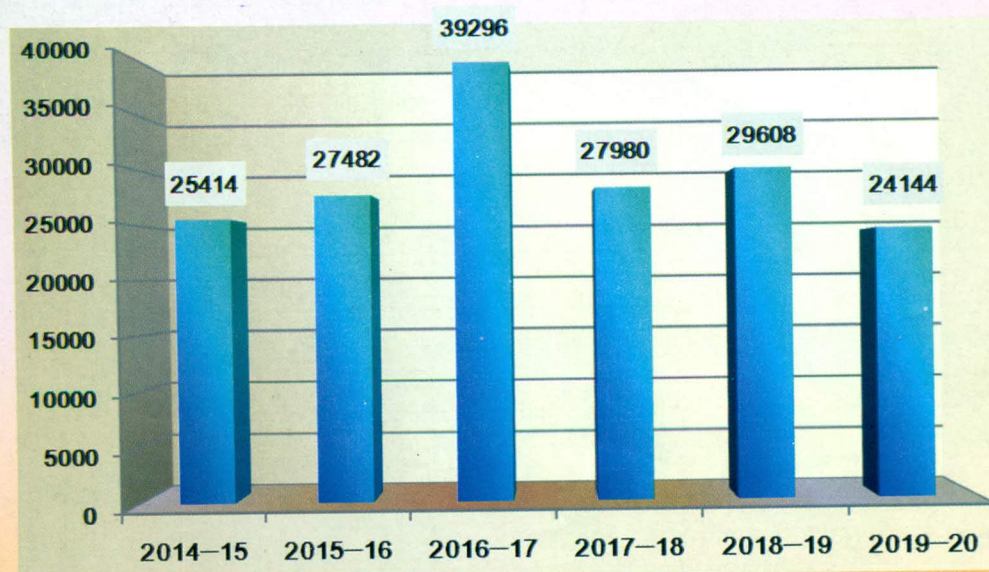
- वर्ष 2019-20 में 15 फरवरी 2020 तक वार्षिक कैरियर कैलेडर के अंतर्गत नियमित गतिविधियों से लगभग 148158 विद्यार्थी, अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से लगभग 24144 तथा औद्योगिक भ्रमण से लगभग 1527 विद्यार्थी लाभान्वित हुये हैं।

अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से लाभान्वित विद्यार्थियों की वर्षवार संख्या

(दिनांक 15.02.20 की स्थिति में)

प्लेसमेंट से लाभान्वित विद्यार्थियों की वर्षवार संख्या						
गतिविधि विवरण	2014.15	2015.16	2016.17	2017.18	2018.19	2019.20
प्लेसमेंट से लाभान्वित विद्यार्थी	6933	8082	8042	12458	9334	4530 (दिनांक 15.02.20 की स्थिति में)

अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण

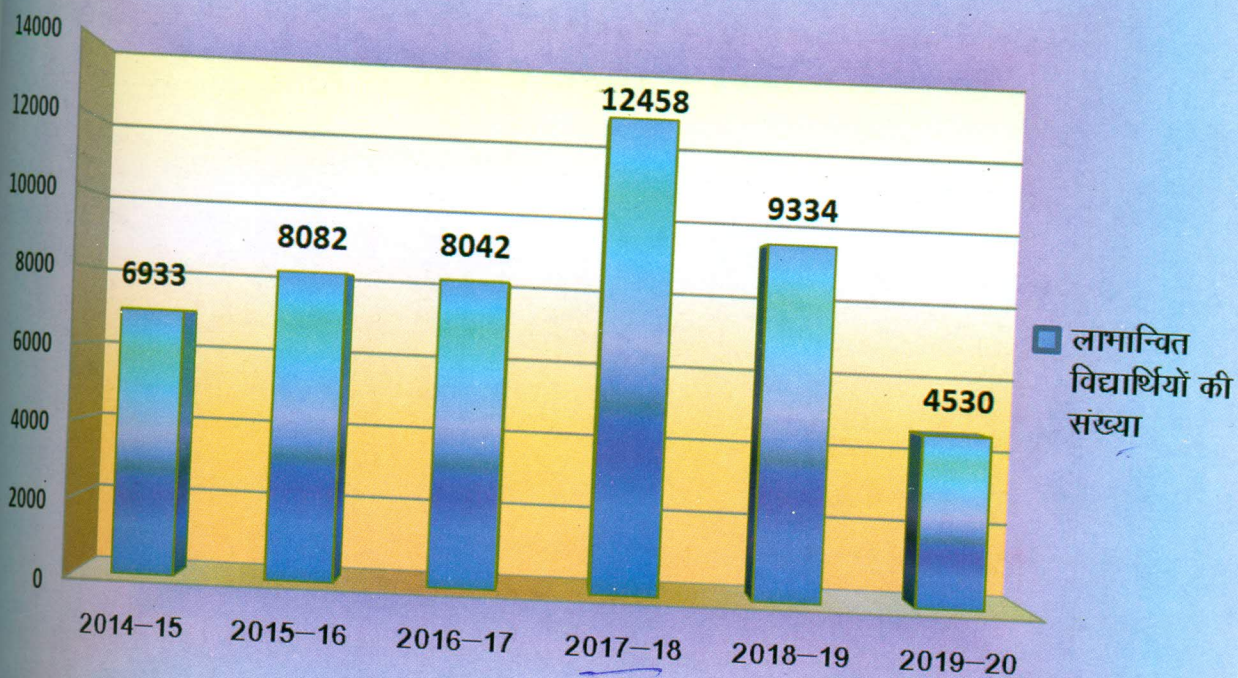


■ लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या

प्लेसमेंट से लाभान्वित विद्यार्थियों की वर्षवार संख्या

(दिनांक 15.02.2020 की स्थिति में)

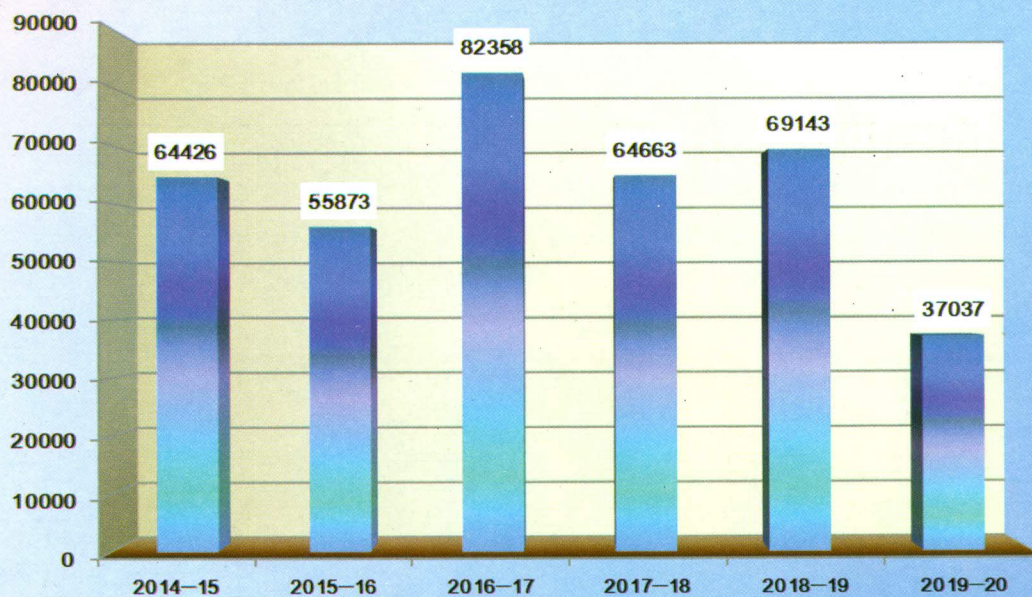
प्लेसमेंट से लाभान्वित विद्यार्थियों की वर्षवार संख्या



कॅरियर अवसर मेलों में भ्रमण से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या

गतिविधि विवरण	2014.15	2015.16	2016.17	2017.18	2018.19	2019.20
	64426	55873	82358	64663	69143	37037
कॅरियर अवसर मेले	(60 कॅरियर अवसर मेलों का आयोजन)	(58 कॅरियर अवसर मेलों का आयोजन)	(65 कॅरियर अवसर मेलों का आयोजन)	(61 कॅरियर अवसर मेलों का आयोजन)	(66 कॅरियर अवसर मेलों का आयोजन)	(63 शासकीय महाविद्यालयों में कॅरियर अवसर मेलों का आयोजन जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक होना है जिसमें भ्रमण से लगभग 60,000 विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की संभावना है)

कॅरियर अवसर मेलों में भ्रमण से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या



वर्षवार कॅरियर मेलों की संख्या	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
2014-15	60
2015-16	58
2016-17	65
2017-18	61
2018-19	66
2019-20	63

— लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या

कॅरियर अवसर मेलों में भ्रमण से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या

(दिनांक 15.02.2020 की स्थिति में)

विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन एवं कौशल विकास योजना के अंतर्गत भावी योजनाएँ -

- वर्ष 2020-21 में प्रदेश के कुछ चयनित शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु 02 माह के विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जायेंगे, ताकि विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर चयनित हो सकें। परिणामों को बेहतर बनाने हेतु इसमें समाज का भी सहयोग लिया जायेगा। नव चयनित प्रशासकीय अधिकारियों से भी प्रतिभागी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिलवाया जायेगा।
- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में आयोजित होने वाले कॅरियर अवसर मेलों के आयोजन को और मजबूत करते हुये अधिक से अधिक विद्यार्थियों को कॅरियर संबंधी जानकारी प्रदान की जावेगी जिससे विद्यार्थी रोजगार के लिये जागरूक होकर उपलब्ध प्लेसमेंट के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें।
- ऐसर, टी.सी.एस., इन्फोसिस, एम्फेसिस, इऑन, विप्रो, एफर्ट बी.पी.ओ., कॉन्सेट्रीक्स (आई.बी.एम. दक्ष), सी.आई.सी.आई बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, एजीसग्लोबल, टेलीपरफार्मेन्स, बजाज फाइनेंस, महिन्द्रा महिन्द्रा, रिलायन्स, इन्डसवेयर, तथा महाविद्यालयों में स्थानीय स्तर पर कार्यरत बीमा कंपनियाँ, प्राइवेट स्कूल, मोटर विक्रेता कंपनियाँ, कम्प्यूटर सेंटर तथा अन्य निजी संस्थानों एवं स्थानीय स्तर पर संचालित हस्तशिल्पकला इत्यादि से सतत् रूप से संपर्क कर किया जायेगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चयन होकर उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

• IIT Bombay Spoken Tutorial Free Training Program -

भारत सरकार के द्वारा संचालित प्रोजेक्ट आई.टी./साफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है, प्रशिक्षण में विद्यार्थियों का आडियो-वीडियो माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है तथा प्रशिक्षण उपरांत उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को IIT Bombay द्वारा सर्टिफिकेट भी प्रदाय किया जाता है।

कैंपस में लगे की संख्या	
15	60
16	58
17	65
18	61
19	66
20	63

मान्य विद्यार्थियों
संख्या

ख्या

योजनाएँ -

प्रतियोगी परीक्षाओं
प्रतियोगी परीक्षाओं
भी सहयोग लिया
दिलवाया जायेगा।

जन को और मजबूत
गी जिससे विद्यार्थी
मात्र प्राप्त कर सकें।

ई.बी.एम. दक्ष), आई.
इनेस, महिन्द्रा एण्ड
मा कंपनियाँ, प्रायवे
स्तर पर संचालित
मधिक विद्यार्थियों का

के अंतर्गत शासकीय
ार्थियों के लिये यह
क्षित किया जाता है,
भी प्रदाय किये जाते

हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल ट्रेनिंग आईआईटी बाम्बे के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण का आयोजन सभी शासकीय महाविद्यालयों, जिनमें न्यूनतम 10 कम्प्यूटर हों, में बेहतर तरीके से किया जावेगा। इस हेतु भारत शासन स्तर पर गत वर्ष हुये निर्णय अनुसार प्रति प्रतिभागी महाविद्यालय हेतु रुपये 25000/- का शुल्क देय होगा।

• इंडस्ट्रीज एकेडमिक एलाइनमेंस एवं CSR

यह प्रयास किया जायेगा कि विभिन्न वृहद एवं मध्यम उद्योग कुछ महाविद्यालयों को अकादमिक रूप से गोद ले लें एवं इन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए महाविद्यालय प्रबंधन को सलाह दें कि- कैसे विद्यार्थियों को कौशल से परिपूर्ण बनाया जाये ताकि हमारे विद्यार्थी पाठ्यक्रम पूरा होते ही रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त कर सकें।

CSR के तहत TCS Affirmative Action के अंतर्गत स्नातक अंतिम वर्ष के SC/ST/OBC/Minority/BPL वर्ग के विद्यार्थियों को TCS द्वारा 80 से 100 घंटे का प्रशिक्षण महाविद्यालयों में ही दिया जाकर उनके प्लेसमेंट का भी प्रयास किया जायेगा। यह प्रशिक्षण विद्यार्थियों, महाविद्यालयों एवं विभागों के लिए निःशुल्क रहेगा।

- पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय हरित कोर योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों में पर्यावरणीय शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से मंत्रालय के निर्देशानुसार वर्ष 2020-21 में मध्यप्रदेश के 50 अन्य शासकीय महाविद्यालयों में ईको क्लबों का गठन किया जायेगा जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों में समझ विकसित करना, समाज में जागरूकता पैदा करना है।

• जिला ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी (टी.पी.ओ)

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों द्वारा प्रकोष्ठ प्रभारी/टी.पी.ओ. के रूप में भी कार्य किया जा रहा है। इनके कार्य को ओर अधिक प्रभावी एवं परिणाम मूलक बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ

नैतिकमूल्य एवं भारतीय संस्कृति पर आधारित कार्य योजना

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वप्रेरित करने, उनमें सकारात्मक विचार ल सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जागृत करने, रोजगार अवसरों की समझ बढ़ाने एवं उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिये प्रदेश के प्रत्येक शासकीय महाविद्यालयों में व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ के माध्यम प्रतिमाह प्रबोधन का कार्यक्रम सुचारु रूप से आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में अभिप्रेरणा (मोटीवेशन) से संबंधित विषय विशेषज्ञों, वक्ताओं एवं रोल मॉडल के व्याख्यान आयोजित कराये जा रहे हैं।

वर्तमान सत्र में अभिनव प्रयोग के तहत महाविद्यालयीन विद्यार्थियों (युवा पीढ़ी) में पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को कम करने, अपनी गौरवशाली संस्कृति, संस्कार, परम्परा एवं नैतिक मूल्यों के अंकुरण के भावजागृत करने के लिये गुरु-शिष्य के मध्य बढ़ती हुई दूरी को कम करने के उद्देश्य से दिनांक 28.07.2018 को गुरुपूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ की महाविद्यालयीन इकाई के द्वारा "गुरुवे नमः महोत्सव" आयोजित किया गया जिसमें महाविद्यालयों में पदस्थ गुरु जनों (शिक्षकों) का विद्यार्थियों द्वारा सम्मान किया गया।

प्रदेश के महाविद्यालयों में व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले व्याख्यान निरंतर जारी हैं। महाविद्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्र 2017-18 में प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किये गये व्याख्यान से 269641 विद्यार्थी एवं सत्र 2018-19 में 118909 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ के अंतर्गत सत्र 2019-20 में 11 जिलों में जिला स्तरीय गांधी संवाद का आयोजन किया जा चुका है शेष जिलों में 31 मार्च 2020 तक गांधी संवाद का आयोजन किया जाएगा।

(5) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ

i. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

प्रदेश में उच्च शिक्षा में मेधावी विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री मेधावी योजना वर्ष 2017 से प्रारम्भ की गई है, जिसका नोडल विभाग तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग है। इस योजना में सत्र 2016 या उसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख तक हो तथा जो म.प्र. का मूल निवासी हों, इस योजना के लिए पात्र हैं। यह योजना उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्नातक कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए नियमानुसार लागू है। योजना के अंतर्गत प्रवेश शुल्क एवं नियमानुसार निर्धारित शुल्क (मैस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) का भुगतान किया जाता है।

कुल आवेदन	वर्ग	पुरुष लाभान्वितों की कुल संख्या	महिला लाभान्वितों की कुल संख्या
61738	सामान्य	9092	17754
	अ.जा.	1446	2387
	अ.ज.जा.	550	709
	अ.पि.व.	8606	15712

ii. मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

प्रदेश में उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

2016-17 से प्रारम्भ की गई है, जिसका नोडल विभाग तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए विद्यार्थी के माता/पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है। यह योजना उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए नियमानुसार लागू है। योजना के अंतर्गत प्रवेश शुल्क एवं नियमानुसार निर्धारित शुल्क (मैस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) का भुगतान किया जाता है। ✓

कुल आवेदन	वर्ग	पुरुष लाभान्वितों की कुल संख्या	महिला लाभान्वितों की कुल संख्या
12569	सामान्य	2065	2861
	अ.जा.	173	218
	अ.ज.जा.	61	51
	अ.पि.व.	927	1367

iii. उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना

प्रदेश में निम्न आय के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण प्राप्त करने में बैंकों द्वारा निर्धारित सीमा रु. 4.50 लाख से अधिक ऋण प्राप्त करने पर कॉलेटरल सिक्यूरिटी की आवश्यकता के प्रावधान के कारण कठिनाई होती है। अतः मेधावी विद्यार्थियों को, जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु ऋण की आवश्यकता है और वे कॉलेटरल सिक्यूरिटी के अभाव में बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें इस योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की गारण्टी पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। यह योजना संस्थागत वित्त विभाग के अंतर्गत संचालित है।

९९ अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत हैं। यह आदमी द्वारा तैयार विनाश के ताकतवर हथियार से अधिक शक्तिशाली हैं। ९९

— महात्मा गांधी

की कुल संख्या
4
7
2

साहन) योजना वर्ष

केन्द्र की योजनाएँ

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना

योजना की पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि में चिंतन की धारा भी सक्रिय रही है। एक आम विद्यार्थी को उच्च शिक्षा से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समाज को बहुत कुछ व्यय करना पड़ता है, अतः यह ऋण उतारने के लिए उसे से कम अपने आसपास के समुदाय में कुछ समाज - सेवा कार्य अवश्य करना चाहिए। जिस समाज में हम रहते उसके प्रति भी हमें अपना दायित्व निभाना होता है। स्वतंत्र राष्ट्र में राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, आर्थिक विषमताओं एवं सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना भी आवश्यक है। इसमें शिक्षित युवा वर्ग की अहम भूमिका यदि पर्याप्त अवसर एवं मार्गदर्शन मिले तो शिक्षित युवा वर्ग ग्रामीण एवं शहरी बुद्धिजीवी एवं कर्मजीवी कमजोर सामर्थ्यवान के बीच बढ़ती हुई खाई को पाटने का कार्य भी कर सकता है। यह भी आवश्यक है कि भविष्य देश की बागडोर संभालने वाली पीढ़ी को समाज के विभिन्न वर्गों तथा दलित एवं शोषित लोगों की समस्याओं पर प्रत्यक्ष एवं व्यवहारिक बोध हो, ताकि वह उनकी एवं अपनी समस्याओं के हल की दिशा में प्रवृत्त हो सके। 18 वर्ष की उम्र में आदर्शवाद, देशप्रेम और कुछ कर गुजरने की उमंग से भरी हुई तरुणाई को ऐसे संस्कार दिये जा चाहिए, जो उन्हें श्रम की निष्ठा, प्रजातांत्रिक विचारधारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा स्वप्रेरित अनुशासन में रख सकें।

योजना के क्रियान्वयन में प्रशासनिक एवं सामाजिक एवं सामाजिक सरोकारों की महती भूमिका है। राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में देश में अग्रणी रहा है। यह सब युवा पीढ़ी के सकारात्मक सोच से ही हो सका है। भारत में युवा प्रवर्तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी 24 सितम्बर वर्ष 1969 से राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई थी।

उद्देश्य— समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास।

थीम — स्वास्थ्य-जनस्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य।

लक्ष्य — शिक्षा द्वारा समाज सेवा एवं समाज सेवा द्वारा शिक्षा है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे:-

1. जिस समाज में काम करते हैं उसे समझने का प्रयास करें।
2. समाज की मूलभूत आवश्यकताओं का अनुभव करें, उनकी कठिनाइयों को समझें और यथासंभव समस्या समाधान के लिए सक्रिय हों।
3. स्वयं में सामाजिक और नागरिक दायित्व बोध की भावना का विकास करें।
4. शिक्षा का उपयोग व्यक्ति तथा समाज की कठिनाई के व्यावहारिक हल ढूंढने में करें।
5. सामाजिक सहभागिता को गतिमान करने के लिए निपुणता प्राप्त करें।
6. नेतृत्व के गुणों को धारण करें और प्रजातांत्रिक अभिवृत्ति स्वीकार करें।
7. आपातकाल और दैवीय आपदाओं का सामना करने की क्षमता का विकास करें।
8. राष्ट्रीय एकता को क्रियात्मक स्वरूप दें।

प्रतीक चिह्न

राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिह्न उड़ीसा के कोणाक्र स्थित सूर्य मंदिर के रथ के चक्र पर आधारित सूर्य मंदिर के ये विशाल चक्र सृजन, संरक्षण, आवर्तन, गतिशीलता तथा ऊर्जा के प्रतीक हैं, जो काल और स्थान परे जीवन में गति का महत्व बताते हैं। इस प्रतीक चिह्न में मुख्य रूप से दो रंग और आठ अंश हैं। पृष्ठभूमि नीला रंग, ब्रम्हाण्ड का प्रतीक है तथा लाल रंग उत्साह एवं स्फूर्ति का। इस प्रकार राष्ट्रीय सेवा योजना का

चिह्न यह दर्शाता है कि युवकों को ऊर्जावान होकर, ब्रम्हाण्ड में परिवर्तन लाने और उसे उन्नत करने के लिए आठों प्रहर गतिमान रहना चाहिये।

सिद्धान्त वाक्य

राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धान्त वाक्य है—“नाहं वै भवान्” (मैं नहीं आप) “Not me but you” जो प्रजातांत्रिक ढंग से रहने का सार बताता है। निःस्वार्थ सेवा की आवश्यकता का समर्थन करता है। यह बताता है कि हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की सराहना करने वाले बनें तथा प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखें। यह घोषणा करता है कि व्यक्ति का कल्याण अंतिम रूप से समाज का कल्याण होने पर ही निर्भर करता है।

गतिविधियाँ

अ. नियमित गतिविधि	वर्ष में कम से कम 120 घण्टे कार्य करना अनिवार्य है।
ब. विशेष शिविर	इकाई के 50 स्वयंसेवकों को गोदग्राम या अन्य किसी ग्राम में 7 दिवसीय शिविर अनिवार्य है।

अ. नियमित गतिविधि

योजना से पंजीबद्ध स्वयंसेवकों को समाज की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाये। वर्ष में कम से कम 120 घण्टे कार्य करना अनिवार्य है।

समस्त गतिविधियों को अनिवार्य गतिविधि एवं चयनात्मक गतिविधियों में विभक्त किया गया है। अनिवार्य गतिविधि में अभिमुखीकरण के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना का दर्शन, प्रेरणा गीत, नागरिकता बोध, यातायात नियमों का पालन, पी.टी., योग और खेल जैसी गतिविधियों को श्रेणीबद्ध किया गया है, जबकि चयनात्मक गतिविधियाँ निम्नांकित हैं :-

- क. पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण
- ख. शिक्षा
- ग. स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं पोषण आहार
- घ. आर्थिक विकास के लिए विविध उत्पादनोन्मुखी कार्यक्रम
- ङ. समाज सेवा के कार्य
- च. अन्य गतिविधियाँ

ब. विशेष शिविर

रासेयो नियमित गतिविधियों के तहत विद्यार्थियों को अपने रिक्त समय का सदुपयोग रचनात्मक कार्यों में करने का अवसर मिलता है, वहीं वर्ष में एक बार गोद या अन्य ग्राम में आयोजित शिविर उन्हें जीवन का अमूल्य अनुभव प्रदान करता है। इकाई के 50 प्रतिशत स्वयंसेवकों के लिए गोदग्राम या अन्य किसी ग्राम में 7 दिवसीय शिविर अनिवार्य है।

प्रमाण पत्र योजना-

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रासेयो युक्त शिक्षण संस्थाओं में वर्ष 1990-91 से ए.बी.सी. प्रमाण-पत्र योजना प्रारंभ की गई :-

‘ए’ प्रमाण पत्र

यह प्रमाण पत्र स्कूल स्तर पर +2 कक्षाओं में अध्ययनरत रासेयो स्वयंसेवक जब एक वर्ष में 120 घण्टे और दो वर्षों में 240 घण्टे का निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेते हैं, तथा मूल्यांकन में सफल होते हैं उन्हें यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। अनिवार्य गतिविधियों के अतिरिक्त प्रत्येक स्वयं सेवक को चयनित गतिविधियों

के प्रत्येक समूह से कम से कम एक गतिविधि का चयन कर पूर्ण करना होता है। इस प्रकार दो वर्षों 240 घण्टे पूर्ण करने के लिए कम से कम दो गतिविधियों के क्षेत्र में योगदान देकर ज्ञानार्जन करता साथ ही मूल्यांकन रासेयो दर्शन एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा किया जाता

‘बी’ प्रमाण पत्र

यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक की उपाधि/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन स्वयंसेवकों के लिए है। “बी” प्रमाण पत्र भी दो वर्षों में 240 घण्टे निर्धारित गतिविधि के अनुसार कार्य क पर प्राप्त होता है। किन्तु यदि स्वयंसेवक “ए” प्रमाण पत्र धारक है तो उसे केवल एक वर्ष में 120 घ कार्य पूर्ण करने और मूल्यांकन में सफल होने पर यह प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। साथ ही मूल्यांकन रा दर्शन एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा किया जाता है।

‘सी’ प्रमाण पत्र

पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने हेतु स्वयं का “बी” प्रमाण पत्र धारक होना आवश्यक है। “बी” प्रमाण पत्र के साथ-साथ उसके पास कम से कम एक सात दिवसीय पूर्ण कालिक शिविर अनुभव भी होना चाहिये। “सी” प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये स्वयंसेवक द्वारा चयनित गतिविधियों में गये कार्य से संबंधित सामाजिक प्रासंगिकता से संबंधित उसके द्वारा प्रस्तुत विषय पर संस्था की रा सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदन उपरांत वह 20 से 30 टंकित पृष्ठों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करे यह मूल्यांकन विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा साथ ही मूल्यांकन रासेयो दर्शन सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा किया जाता है।

वित्त व्यवस्था

योजना में रासेयो नियमित गतिविधि के लिए रु. 250/- प्रतिछात्र एवं विशेष शिविर कार्यक्रम के लिये रु. 450/- प्रतिछात्र (सात दिन की अवधि) के लिये व्यय की दरें मान्य है। योजना पर आने वाला व्यय 2016-17 से सेण्ट्रल सेक्टर स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

पुरस्कार

राज्य स्तर

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों, जिला संग रासेयो की इकाइयों द्वारा तथा विश्वविद्यालयों द्वारा की गई स्वैच्छिक सेवा को मान्यता प्रदान करने के वर्ष 2000-01 से राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार/प्रशस्ति शुरू की। पुरस्कार प्रति वर्ष 05 श्रेणि दिये जाते हैं। विश्वविद्यालय स्तर (कार्यक्रम समन्वयक) 01, जिला स्तर (जिला संगठक) 02, संस्था/प्राचार कार्यक्रम अधिकारी-12, स्वयंसेवक-18, अब तक 11 पुरस्कार समारोह में प्रदेश के 262 रासेयो सेवा कर्मि सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के पुरस्कार प्रस्ताव हेतु चयन प्रक्रिया जारी है

राष्ट्रीय स्तर- राष्ट्रीय एन.एस.एस. पुरस्कार

NSS

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों/कार्यक्रम अधिकारि राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों तथा विश्वविद्यालय परिसर द्वारा की गई स्वैच्छिक सेवा की मान्यता करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार शुरू किये हैं।

ये पुरस्कार वर्ष 1993-94 (रासेयो रजत जयंती वर्ष) में शुरू किये गये थे। प्रति वर्ष 04 स्तरों पर जाते हैं। पुरस्कार राशि में अलग-अलग चयनित पुरस्कार प्राप्त कर्ता/संस्था को मेडल/ट्रॉफी एवं पत्र प्रतिवर्ष 19 नवंबर को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में भारत के महा राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है।

राष्ट्रीय मेगा (विशाल) शिविर, राष्ट्रीय साहसिक गतिविधि शिविर, राष्ट्रीय युवा महोत्सव (सुविचार) कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय एकता शिविरों में भागीदारी

भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर योजना की गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं सांस्कृतिक तथा साहित्यिक गतिविधियों के आदान-प्रदान हेतु एवं साहसिक गतिविधियों के प्रशिक्षण हेतु शिविरों का आयोजन देश के विभिन्न भागों में करवाया जाता है। इन शिविरों में भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्राप्त आवंटन के अनुसार राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तर प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के रासेयो युक्त विश्वविद्यालयों को कोटा आवंटित कर सम्पूर्ण प्रदेश से प्रतिभाशाली स्वयंसेवकों द्वारा शत-प्रतिशत सहभागिता की गई है।

पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर नई दिल्ली में सहभागिता

भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की अभिनव पहल गणतंत्र दिवस परेड शिविर के चयन हेतु देश में 05 पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिसमें मध्य प्रदेश राज्यों सेण्ट्रल जोन के अन्तर्गत आता है। जिसमें मध्य प्रदेश सहित अन्य 05 राज्यों के स्वयंसेवक सहभागिता करते हैं। इस वर्ष का पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर मध्य प्रदेश रासेयो क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2019 से 08 नवम्बर, 2019 तक ग्वालियर में आयोजित किया गया। जिसमें सभी रासेयोयुक्त विश्वविद्यालयों से प्राप्त कोटे अनुसार 21 छात्र एवं 21 छात्रा स्वयंसेवकों एवं 02 कार्यक्रम अधिकारियों ने सहभागिता की।

गणतंत्र दिवस परेड शिविर नई दिल्ली में सहभागिता

भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा 01 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित इस शिविर हेतु कोटे अनुसार 04 छात्र एवं 04 छात्रा स्वयंसेवकों द्वारा सहभागिता की गयी।

राज्य स्तरीय रासेयो नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर

राष्ट्रीय सेवा योजना उच्च शिक्षा जगत के लिये एक महत्वपूर्ण आयाम है, तथा विस्तार सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मंच निश्चित रूप से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को अपने ज्ञानविज्ञान को समाज की वास्तविकताओं की कसौटी पर जाँचने का काम करता है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना, राज्य प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सम्पूर्ण देश में प्रशिक्षण की दृष्टि से वर्ष 1973 में राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना के नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किये गये। राष्ट्रीय सेवा योजना के ये शिविर छात्रों में सच्चरित्रता, साहस, विश्वास, मैत्री, निर्णय की क्षमता, प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था, चातुर्य, अनुभूति, प्रबंधन और नेतृत्व के गुणों का विकास करने में सहायक होते हैं। शिविरों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का अनुभव रहा है कि राज्य स्तर शिविरों में गतिविधियों के संचालन से जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है वह जीवन का अमूल्य अनुभव है। समय बद्धता एवं नये प्रकल्पों की तलाश करने का अद्भुत अवसर इन शिविरों में प्राप्त होता है। वर्ष 2019-20 में उक्त शिविर ग्राम पंचायत -झोंत (झोंतेश्वर), तहसील एवं जनपद पंचायत-गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के निर्माणाधीन शासकीय चिकित्सालय परिसर (संस्कृत पाठशाला के सामने) में दिनांक 03.01.2020 से दिनांक 09.01.2020 तक आयोजित किया गया।

जागरूकता के कार्यक्रमों में रासेयो का सहयोग

बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत जागरूकता के कार्यक्रम में सहयोग, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के कार्यक्रमों में सहयोग, पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत इकाई स्तर राज्य स्तर की क्विज, पोस्टर, नारे लेखन एवं परिचर्चा प्रतियोगिता आयोजन सहभागिता, खाद्यान्न के दुरुपयोग को रोकने हेतु जागरूकता के कार्यक्रम, एड्स जागरूकता हेतु रेड रिबन क्लबों का संचालन, स्वच्छ भारत अभियान हेतु गतिविधियों का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित एवं विशेष शिविर गतिविधियों में किया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य गतिविधियाँ

खेलकूद

प्रदेश के महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन हेतु 22 खेल विधाओं में संस्था, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं।

वर्ष 2008-09 से प्रदेश के कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं को जूडो-कराते एवं मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रतियोगिताएं विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार आयोजित होती हैं तथा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खेल कैलेंडर जारी किया जाता है। ये प्रतियोगिताएं खेल प्रतियोगिता विभाग द्वारा जारी खेल कैलेंडर अनुसार सम्पन्न की जाती हैं।

युवा उत्सव

प्रदेश के महाविद्यालयों में सांस्कृतिक, साहित्यिक, सांगीतिक तथा चित्रांकन की 22 विधाओं में संस्था, जिला, विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। ये प्रतियोगिताएं विभागीय मार्गदर्शिका अनुसार आयोजित होती हैं। वर्ष 2018-19 का राज्य स्तरीय युवा उत्सव रानी दुर्गा विश्वविद्यालय, जबलपुर की संगठन व्यवस्था में आयोजित किया गया था। वर्ष 2019-20 का राज्य स्तरीय युवा उत्सव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की संगठन व्यवस्था में आयोजित हुआ।

सूच्यांकित प्रशिक्षण संस्थान (ई.टी.आई.)

राष्ट्रीय सेवा योजना में नवागत कार्यक्रम अधिकारियों में राष्ट्रीय सेवा योजना के ज्ञान, संगठनात्मक परिचय एवं गतिविधियों के आयोजन की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की अनिवार्यता को देखते हुए वर्ष 2011-12 में भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय रासेयो भोपाल में ई.टी.आई. की स्थापना की गई, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के अप्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों को रासेयो पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी तक 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। जिसमें 343 अप्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी दो वर्षों हेतु एम.ओ.यू. भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली से निरन्तरता हेतु हुआ है।

छात्र संख्या आवंटन

वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से प्रदेश के लिए 1,53,700 की छात्र संख्या आवंटित की गई है। प्रदेश के रासेयोयुक्त विश्वविद्यालयों में स्थापित राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रदेश में 764 महाविद्यालयों तथा 637+2 विद्यालयों में इस प्रकार 1401 संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की 1686 इकाइयाँ संचालित हैं। भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार गतिविधियों के विस्तार के अन्तर्गत प्रदेश के उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थाओं के निजी महाविद्यालयों में वर्ष 2014-15 से स्वपोषित इकाइयाँ प्रारंभ की गई हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना : एक नजर में (वर्ष 2019-2020)

क्र.	रासेयो विद्यार्थियों की संख्या एवं इकाई	संख्या / विवरण	योग
1	रासेयो युक्त विश्वविद्यालयों की संख्या	07	07
2	वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा आवंटित छात्रसंख्या	—	1,53,700
3	महाविद्यालय	764	—
4	विद्यालय	637	—
	कुल शिक्षण संस्थाओं का योग	—	1401
5	महाविद्यालय की छात्रसंख्या—		
	छात्र	62650	—
	छात्रा	24950	87600
6	विद्यालय की छात्रसंख्या—		
	छात्र	52900	
	छात्रा	13200	66100
	कुल छात्रसंख्या का योग	—	1,53,700
7	महाविद्यालय में इकाई		
	छात्र	696	
	छात्रा	275	971
8	विद्यालय में इकाई		
	छात्र	572	
	छात्रा	143	715
	कुल रासेयो युक्त इकाईयों का योग		1686

(2) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

- रूसा चरण-2 के अंतर्गत 16 वीं पीएबी की बैठक, दिनांक 9.9.2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी। इसमें राज्य के 2 विश्वविद्यालयों एवं 16 महाविद्यालयों की स्थापना हेतु रूसा के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 83.00 करोड़ की अनुदान राशि हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ।
- रूसा चरण-1 के अंतर्गत स्थापित नवीन आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर, नवीन आदर्श महाविद्यालय, झाबुआ, पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल में अकादमिक कार्य आरंभ किये गये।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की पहुँच बढ़ाना, गुणवत्ता में वृद्धि करना एवं समानता के अवसर सुनिश्चित करना है। रूसा के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान कर अधोसंरचना विकसित करते हुये अकादमिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
- रूसा के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता वृद्धि के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुँच बढ़ाना है। इसके साथ ही कमजोर वर्गों तथा महिलाओं को समान रूप से उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना भी इसका एक लक्ष्य है।

- इस योजना में शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन, स्वशासक महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय में उन्नयन, आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना, नवीन प्रोफेशनल महाविद्यालय की स्थापना, ग्रंथालय, प्रयोगशाला, छात्रावास इत्यादि का उन्नयन किया जाना है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत राज्य सरकार को विभिन्न कम्पोनेंट्स में शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान दिये जाने की योजना है।
- रूसा परियोजना के माध्यम से वित्त पोषण किया जाना है, जिसमें शासकीय संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के लिये केन्द्रीय अनुदान 60% एवं राज्य अनुदान 40% का प्रावधान है।
- योजना 03 अक्टूबर 2013 से प्रभावशाली हुई है। मार्च 2018 से इसका द्वितीय चरण आरंभ हो चुका है जो अगले 02 वर्षों तक जारी रहेगा।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग की अनुमति से मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली को अभियान में शामिल होने का सहमति पत्र दिया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद (SHEC) :-

विधान सभा द्वारा दिनांक 28.07.2018 को मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2018 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है। परिषद में विभिन्न क्षेत्रों से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदेन सदस्य साथ 10 अन्य सदस्यों एवं 5 पदेन सदस्य मनोनीत हैं।

मध्य प्रदेश स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट (SPD) :-

परियोजना के त्वरित एवं सुचारु क्रियान्वयन के लिये दिनांक 10.10.2014 को राज्य स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट की गठन प्रक्रिया पूर्ण की गई। राज्य प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट में परियोजना संचालक, अतिरिक्त परियोजना संचालक, उप परियोजना संचालक, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं वित्त अधिकारी की पदस्थापना एवं 05 सलाहकारों की संविदा नियुक्ति की गई है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अधीन राज्य प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट सतत् रूप से योजना का क्रियान्वयन एवं विश्वबैंक परियोजना के उच्च शिक्षा सुधार से संबंधित योजना का समन्वय कर रहा है।

रूसा चरण-I

स्टेट हायर एजुकेशन पर्सपेक्टिव प्लान (SHEP) :-

रूसा अंतर्गत स्टेट हायर एजुकेशन पर्सपेक्टिव प्लान निर्धारित कम्पोनेंट के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में 2014-15 से 2016-17 तीन वर्ष के लिये तैयार किया गया। नवम्बर 2014 में उपरोक्त प्लान एवं योजना का प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। तीन वर्ष की योजना के लिये कुल राशि रुपये 995.0 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित PAB बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार में दिनांक 28.03.2015 को आयोजित बैठक एवं दिनांक 13.04.2015 के बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार विभाग द्वारा स्टेट हायर एजुकेशन पर्सपेक्टिव प्लान (SHEP) का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें कुल 06 कम्पोनेंट्स सम्मिलित किये गये थे। PAB बैठक

उपरोक्त 06 कम्पोनेंट में कुल 207.00 करोड़ रुपये की राशि का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जिसका प्रावधान निम्नानुसार किया गया है :-

रूसा कम्पोनेंट	रूसा कम्पोनेंट विवरण	भौतिक इकाई	वित्तीय योजना (करोड़ रुपये में)			
			अनुमोदित राशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
कम्पोनेंट-1	स्वशासी महाविद्यालय का विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन	01	55.00	33	22	55.00
कम्पोनेंट-3	विश्वविद्यालय की अधोसंरचना विकास के लिये अनुदान	03	60.00	33	22	55.00
कम्पोनेंट-4	नवीन आदर्श महाविद्यालय की स्थापना	02	24.00	14.40	9.60	24.00
कम्पोनेंट-5	विद्यमान स्नातक महाविद्यालय का आदर्श स्नातक महाविद्यालय में उन्नयन	02	08.00	4.80	3.20	8.00
कम्पोनेंट-7	महाविद्यालय को अधोसंरचना विकास अनुदान	30	60.00	30.00	20.00	50.00
	कुल योग (करोड़ रुपये में)	38	207.00	124.00	82.80	207

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

रूसा चरण II

स्टेट हायर एजुकेशन पर्सपेक्टिव प्लान :-

रूसा चरण II में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन CLF (Challenge Level Funding) पोर्टल पर संस्थाओं से अनुदान हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गए। पोर्टल पर केवल उन पात्र संस्थाओं द्वारा आवेदन किया गया जो MHRD द्वारा तय किये गए मानकों को पूर्ण करती थीं। मई 2018 में स्टेट हायर एजुकेशन पर्सपेक्टिव प्लान निर्धारित कर प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। दो वर्ष की योजना के लिये कुल राशि रुपये 347.00 करोड़ का प्रस्ताव बारहवीं, चौदहवीं एवं सोलहवीं पी.ए.बी. में प्रेषित किया गया जिस पर स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त हुआ। केन्द्रांश की राशि रु 98.40 करोड़ प्राप्त हो चुकी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित PAB बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार में दिनांक 25.05.2018 को आयोजित बैठक के अनुसार विभाग द्वारा ऑनलाइन CLF पोर्टल पर आवेदन किया गया। साथ ही स्टेट हायर एजुकेशन पर्सपेक्टिव प्लान (SHEP) का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें कुल 05 कम्पोनेंट्स सम्मिलित किये गये थे। PAB बैठक में उपरोक्त 05 कम्पोनेंट में 49 संस्थानों हेतु कुल 264.00 करोड़ रुपये की राशि का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार में दिनांक 9.9.2019 को आयोजित सोलहवीं पीएबी बैठक में 04 कम्पोनेंट में 18 संस्थानों हेतु कुल 83.00 करोड़ रुपये की राशि का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

PAB बैठक में 06 अनुमोदित कम्पोनेंट में कुल 347.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान (4) निम्नानुसार किया गया है।

रूसा कम्पोनेंट	रूसा कम्पोनेंट विवरण	भौतिक इकाई	वित्तीय योजना (करोड़ में)
कम्पोनेंट-3	विश्वविद्यालय की अधोसंरचना विकास के लिये अनुदान	03	60.00
कम्पोनेंट-5	नवीन आदर्श महाविद्यालय की स्थापना	08	96.00
कम्पोनेंट-6	विद्यमान स्नातक महाविद्यालय का आदर्श स्नातक महाविद्यालय में उन्नयन	04	16.00
कम्पोनेंट-7	नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय (व्यावसायिक)	01	26.00
कम्पोनेंट-8	स्वशासी महाविद्यालयों की गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता में वृद्धि	03	15.00
कम्पोनेंट-9	महाविद्यालय को अधोसंरचना विकास अनुदान	33	66.00
	कुल योग (करोड़ रुपये में)	67	347.00

- कम्पोनेंट-3 में 05 विश्वविद्यालयों को अधोसंरचना विकास अनुदान हेतु MHRD से 30 करोड़ की राशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त।
- कम्पोनेंट-5 में 08 नवीन आदर्श महाविद्यालय की स्थापना हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 20 करोड़ की राशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हो चुकी है।
- कम्पोनेंट-6 में 05 विद्यमान स्नातक महाविद्यालय का आदर्श स्नातक महाविद्यालय में उन्नयन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 04.80 करोड़ की राशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हो चुकी है।
- कम्पोनेंट-7 में 01 नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय (व्यावसायिक) की स्थापना हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 07.80 करोड़ की राशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हो चुकी है।
- कम्पोनेंट-9 में 45 महाविद्यालय को अधोसंरचना विकास अनुदान हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 27 करोड़ की राशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हो चुकी है।

(3) अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण

- देश में उच्च शिक्षा के परिदृश्य को जानने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (ALL INDIA SURVEY ON HIGHER EDUCATION) सत्र 2010-11 से प्रारम्भ किया गया है। इस सर्वेक्षण के तहत वे सभी शिक्षण संस्थाएँ जो बारहवीं कक्षा पश्चात् शिक्षा प्रदान कर रही हैं, को AISHE के पोर्टल पर प्रतिवर्ष ऑन-लाइन जानकारी दर्ज कराना होता है। इस सर्वेक्षण के तहत शिक्षकों की संख्या, विद्यार्थियों का पंजीयन, परीक्षा परिणाम, शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध अधोसंरचना, सकल पंजीयन अनुपात, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात आदि जानकारी देनी होती है।
- मध्यप्रदेश में AISHE सर्वेक्षण वर्ष 2017-18 के अनुसार 52 विश्वविद्यालयों से डी.सी.एफ-I फार्म पंजीयन अपेक्षा थी जिसमें से 42 विश्वविद्यालयों के फॉर्म पंजीयन हेतु स्वीकृत किये गये हैं, अर्थात् 81% फार्म पंजीयन हेतु स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार 2811 महाविद्यालयों में से 2320 महाविद्यालयों के डी.सी.एफ-II फार्म पंजीयन हेतु स्वीकृत किये गये हैं अर्थात् 83% द्वारा पंजीयन करा लिया गया है। डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली 320 संस्थाओं में से 138 संस्थाओं द्वारा ही डी.सी.एफ-III फार्म पंजीयन हेतु स्वीकृत किये गये हैं जिन्हें स्वीकृत किया गया अर्थात् 43% संस्थाओं द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।
- सर्वेक्षण वर्ष 2018-19 की जानकारी संबंधी कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है।

(4) विश्व बैंक पोषित मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना

इस परियोजना की अवधि मार्च 2016 से अगस्त 2021 तक की है। परियोजना की कुल लागत अनुमानित रूप से रु. 2666 करोड़ है जिसमें रु. 1866 करोड़ का ऋण विश्वबैंक का होगा एवं रु. 800 करोड़ का अंशदान राज्य शासन का होगा। यह योजना वित्त पोषण परिणाम आधारित है एवं विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त संकेतों को प्राप्त करने के उपरांत विभाग को तय राशि विश्वबैंक से प्राप्त होगी। परियोजना का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी के लिए शिक्षा तक पहुँच, गुणवत्ता तथा समानता सुनिश्चित करना एवं शासकीय शिक्षण संस्थाओं के गवर्नेंस तथा वित्तीय प्रबंधन में सुधार करना है। इस योजना के 03 कम्पोनेंट हैं। कम्पोनेंट-1 के तहत 50 भवनविहीन महाविद्यालयों के भवन का निर्माण तथा 200 चयनित महाविद्यालयों को उनकी संस्थागत विकास योजना की पूर्ति के लिए कार्यवाही एवं विश्वविद्यालयों के विभागों का उत्कृष्ट विभाग के रूप में उन्नयन किया जाना है। कम्पोनेंट-02 के तहत राज्य स्तर से उपक्रम के अंतर्गत SIHETR (State Institute of Higher Education Training & Research) की स्थापना एवं रोजगारमूलकता हेतु अकादमिक/उद्योग गठबंधन को सुदृढ़ किया जाना है। कम्पोनेंट -3 के अंतर्गत परियोजना मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन, MIS System एवं PMU की स्थापना की जानी है।

परियोजना की प्रगति निम्नानुसार है-

- विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु 200 महाविद्यालयों का चयन किया गया। इन महाविद्यालयों का आई.डी.पी. तैयार कर महाविद्यालयों एवं एस.पी.डी. के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है।
 - 200 महाविद्यालयों द्वारा संस्थागत विकास योजना (IDP), अनुमानित राशि रु. 1873.64 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया।
 - महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिये कम्प्यूटर लैब-153, स्मार्ट क्लासेस-2000, लैंग्वेज लैब-200, ई-लाइब्रेरी-200, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र प्रयोगशालाओं आदि की तैयारी पूर्ण की गई।
 - महाविद्यालयीन लेखा पद्धति में सुधार के लिये "यूनिफॉर्म चार्ट ऑफ अकाउंट" तैयार किया गया।
- विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत प्रदेश के चयनित 200 महाविद्यालयों में कमजोर छात्रों को अध्ययन अध्यापन सहायता हेतु रेमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।
- 50 भवन विहीन नवीन महाविद्यालयों हेतु 328.50 करोड़ के लागत के भवन निर्माणधीन है, जिसमें से 08 शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अतिरिक्त 25 भवन मार्च-2020 तक पूर्ण होने की संभावना है। शेष निर्माणाधीन भवन जून-2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य किया गया है।
 - परियोजना अंतर्गत चिह्नित 200 महाविद्यालयों में साइट प्रिपरेशन हेतु राशि रु. 2 लाख का आवंटन किया गया।
 - गुणवत्ता सुधार गतिविधियों के अंतर्गत प्रदेश के महाविद्यालयों (लगभग 95 महाविद्यालय) को नैक द्वारा मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन शुल्क उपलब्ध कराया गया।
 - प्रदेश के महाविद्यालयों में सुशासन को मजबूत करने हेतु विश्व बैंक द्वारा की गई पहल गवर्नेंस बेंचमार्किंग का प्रयोग 100 महाविद्यालयों में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।
 - महाविद्यालयों में वर्ष 2019-20 के सत्र में नव प्रवेशित छात्रों को उच्च शिक्षा एवं म.प्र. शासन द्वारा छात्रहित में किये जा रहे विभिन्न योजनाओं से अवगत कराने हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार 03 दिवसीय इंडक्शन कार्यक्रम दिनांक 17,18 एवं 19 सितम्बर 2019 को अयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया गया।
 - लगभग 3,300 प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापकों को प्रोक्तोरमेंट नीति, रेमेडियल कक्षाओं का संचालन, लीडरशिप एवं मैनेजमेंट, गवर्नेंस बेंचमार्किंग, नैक मूल्यांकन पद्धति, स्मार्ट क्लॉस, लैंग्वेज लैब एवं अध्यापन के नवीन तकनीक संबंधी आदि विषयों की क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया गया।

- 05 महाविद्यालयों के एनर्जी ऑडिट हेतु पायलेट के रूप में चिन्हित कर कार्य प्रारंभ किया गया।
- 73 महाविद्यालयों (समस्त कन्या महाविद्यालय एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के) में सेनेटरी नैपकिन तथा वैंडिंग मशीन लगाया जा रहा है।
- गुणवत्ता सुधार गतिविधियों के तहत विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत ट्रांजिशन रेट, स्टूडेंट सेटिसफेक्शन सर्वे, स्टूडेंट ट्रेकिंग, एकेडमिक एक्सिलेंस हेतु कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश ट्रेनिंग पायलट प्रोग्राम

मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध है। इसके लिए युवाओं को कौशल युक्त शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है। चाहे वह आई.टी. स्किल युक्त शिक्षा हो अथवा कम्प्युनिकेशन स्किल्स। आज के वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी भाषा का महत्व बहुत बढ़ गया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अंग्रेजी भाषा के प्रचार-प्रसार में पिछले सौ से भी अधिक सालों से अपने स्थापित मानकों के लिए प्रसिद्ध एवं अग्रणी रहा है। इसी उद्देश्य से कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यू.के. के साथ 17 जुलाई 2019 को उच्च शिक्षा विभाग ने एक अनुबंध/एम.ओ.यू. किया गया। अनुबंधानुसार एक पायलट प्रोग्राम मध्य प्रदेश के चयनित ग्यारह जिलों भोपाल, रायसेन, इंदौर, धार, देवास, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर तथा सिंगरौली में संचालित किया गया।

पायलट प्रोग्राम के प्रथम चरण में अंग्रेजी के 110 शिक्षकों एवं 06 इंटरर्स को कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी गई। A2 लेवल के चयनित विद्यार्थियों को बी 1 स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए लगभग तीन महीने के दौरान 60 घंटे तक का प्रशिक्षण प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के 11 जिलों के 33 महाविद्यालयों के 1853 विद्यार्थियों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। बी 1 सर्टिफिकेशन के लिए कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यू.के. का ऑनलाइन लिंग्वा स्किल टेस्ट दिनांक 3 फरवरी 2020 से विभिन्न महाविद्यालयों में आयोजित किया गया। कुल 1,614 विद्यार्थी लिंग्वा स्किल परीक्षा के प्रथम चरण में सम्मिलित हुये जिनमें से 53 विद्यार्थियों ने सी-1 एवं इससे उच्च प्रोफेशनल स्तर अर्जित किया है। 366 विद्यार्थियों ने बी-2 स्तर प्राप्त किया है जो लिंग्वा स्किल हेतु आवश्यक बी-1 स्तर से ऊपर का स्तर है। टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों लिये पर्याप्त बी-1 स्तर 1133 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा बी 1 प्रमाणपत्र को अंग्रेजी में एक स्वतंत्र स्तर का प्रमाण पत्र माना जाता है। उत्तीर्ण छात्रों को बी 1 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।

पायलट प्रोग्राम में विद्यार्थियों की रुचि, संलग्नता एवं उनके प्रदर्शन को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग एवं कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यू.के. के मध्य इस कार्यक्रम को प्रदेश के अन्य जिलों के महाविद्यालयों में संचालित करने हेतु सहमति हो चुकी है।

ऑनलाइन लिंग्वा स्किल टेस्ट

सम्मिलित विद्यार्थी	बी-1 स्तर अर्जित विद्यार्थी संख्या	बी-2 स्तर अर्जित विद्यार्थी संख्या	सी-1 एवं इससे उच्च प्रोफेशनल स्तर अर्जित विद्यार्थी संख्या
1,614	1133	366	53

या गया।
री नैपकिन तथा
डेंट सेटिसफेक्शन
ये जा रहे हैं।

के लिए युवाओं में
थवा कम्युनिकेशन
ज विश्वविद्यालय
ों के लिए प्रसिद्ध
साथ 17 जुलाई
थलट प्रोग्राम मध्य
बलपुर, छिंदवाड़ा,

असेसमेंट इंग्लिश,
बी 1 स्तर प्राप्त
शिक्षित अध्यापकों
1853 विद्यार्थियों
इंग्लिश, केंब्रिज
महाविद्यालयों में
भलित हुये जिनमें
र्थियों ने बी-2 स्तर
में उत्तीर्ण होने के
क्षेत्र की इकाइयों
र्ण छात्रों को बी 1

प्रदेश शासन, उच्च
र्थक्रम को प्रदेश के

उच्च प्रोफेशनल
द्यार्थी संख्या

भाग-पाँच

प्रशासनिक विषय

प्रशासनिक कार्य

विश्वविद्यालय समन्वय
प्रकोष्ठ

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ
अकादमी

राज्य महिला नीति

प्रशासनिक विषय

(1) सामान्य प्रशासनिक कार्य

अकादमिक शाखा

प्रदेश में समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में वार्षिक सेमेस्टर पद्धति लागू है। सतत् आन्तरिक मूल्यांकन तथा रोजगारोन्मुखी परियोजना कार्य जैसे नवाचारी तत्त्वों को शामिल कर पाठ्यक्रम को व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाया गया है। अकादमिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु एक दृष्टिपत्र (Vision Document) जारी किया गया ताकि प्राचार्यों के नेतृत्व में प्राध्यापकों, विद्यार्थियों के सहयोग से महाविद्यालय का बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के सर्वांगीण विकास हो सके। प्रदेश के महाविद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन के साथ ही "स्वच्छता" को एक अभियान के रूप में तरह लिया गया है।

महाविद्यालयों में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये "शोध एवं विकास समन्वय प्रकोष्ठ" गठन किया गया है। विभाग द्वारा महाविद्यालयीन स्तर पर न्यूजलेटर तथा शोध जर्नल के प्रकाशन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अग्रणी तथा स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा शोध जर्नल तथा महाविद्यालयीन न्यूज लेटर का चतुर्मासिक प्रकाशन होता है।

महाविद्यालय में प्रेरक वातावरण के निर्माण तथा प्राध्यापकों की अंशकालीन पूर्ति हेतु "एम्बेसेडर प्राध्यापक योजना का संचालन" होता है। महाविद्यालयों में प्रतिभा बैंक का भी गठन किया गया है जिससे महाविद्यालय के साथ स्थानीय कम्युनिटी को जोड़े जाने से विद्यार्थियों और संस्था के हित में इसका लाभ उठाने में मदद मिली है।

राष्ट्रीय/अन्तर राष्ट्रीय संस्थानों से साझेदारी

प्रदेश के 12 चुनिन्दा महाविद्यालयों को राष्ट्रीय/अन्तर राष्ट्रीय संस्थानों से साझेदारी करने की योजना लागू की गई है। इसके लिये उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल को नोडल संस्था बनाया गया है। चयनित महाविद्यालयों ने मिलकर अपना एक क्लस्टर (Cluster) बना लिया है तथा संस्थाओं के बीच विभिन्न विषयों के ख्याति प्राप्त शिक्षकों एवं स्रोत विद्वानों के एक्सचेंज की योजना आरम्भ की है।

ऑनलाइन प्रवेश

प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। इसके लिये विकसित पोर्टल पर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रमों, सीट संख्या एवं शुल्क की जानकारी उपलब्ध कराई गई है जिससे यह प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी, जवाबदेह, स्पष्ट और निष्पक्ष बनी है। इस प्रक्रिया को अपनाने से विद्यार्थियों को प्रवेश के समान अवसर मिले हैं तथा घर बैठे प्रवेश की सुविधा प्राप्त हुई है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2019-20 में प्रथम वर्ष में कुल 5,36,309 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

केन्द्रीय अध्ययन मण्डल

राज्य शासन द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में जुलाई 2017 से स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली के स्थान पर वार्षिक प्रणाली प्रारम्भ की गई है जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली यथावत प्रचलन में है। साथ ही राज्य शासन के निर्णय पर केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा 78 विषयों के स्नातक स्तर हेतु वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार किये गये। जिनमें 22 व्यवसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं।

स्वशासी योजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वशासी योजना का क्रियान्वयन किया गया। इस योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के 24 शासकीय महाविद्यालयों एवं 10 अशासकीय महाविद्यालयों को स्वशासी महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है। महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टीम द्वारा महाविद्यालयों की अकादमिक उपलब्धियों, सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी, परीक्षा परिणाम, स्टाफ एवं फैकल्टी की अकादमिक रुचियों, छात्रों के चयन, अधोसंरचना एवं वित्तीय संसाधनों की समीक्षा और परीक्षण कर शासन तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय की अनुशंसा पर महाविद्यालय को स्वशासी घोषित किया जाता है। स्वशासी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वशासी अनुदान दिया जाता है।

उत्कृष्ट प्राचार्यों, प्राध्यापकों एवं मेधावी छात्रों को पुरस्कार

स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्राचार्यों, शिक्षकों व विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है। यह राज्य-स्तरीय पुरस्कार है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने तथा गुणात्मक अभिवृद्धि के उद्देश्य से इस पुरस्कार को संभाग स्तर तक विस्तारित किया जा रहा है, स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार योजना में संशोधन कर पुरस्कारों की संख्या में 30 से वृद्धि करते हुए 248 की गई, जिसमें 08 प्राचार्यों, 40 शिक्षकों एवं 200 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिये जा रहे हैं। सत्र 2016-17 में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया परीक्षण करने पर कोई भी आवेदक पात्र नहीं पाया गया।

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता सम्मान योजना-

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पृष्ठांकित पत्र की प्रति क्र.1003/179/सीसी/19/38, दिनांक 02.12.2019 के द्वारा मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा में महाविद्यालयीन स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थान/महाविद्यालयों एवं अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु "उच्च शिक्षा उत्कृष्टता सम्मान योजना" प्रारंभ की जा रही है। इस योजना में वार्षिक रूप से अधिकारी एवं संस्थागत वर्गों में अधिकारियों/इकाइयों का चयनकर उन्हें सम्मानित किया जायेगा।

पेंशन शाखा

अ. शासकीय महाविद्यालय

1. महाविद्यालय स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निराकृत किये जाते हैं।
2. संचालनालय स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के पेंशन प्रकरण का निराकरण संचालनालय द्वारा किया जाता है।

ब. अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयीन पेंशन योजना

1. यह पेंशन योजना स्ववित्त पेंशन योजना है जो नियोक्ता अंशदान व शासन के अनुदान से संचालित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पेंशन प्रकरणों का निराकरण संचालनालय स्तर पर किया जाता है।
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा विगत 17 वर्षों से लम्बित अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के पेंशनरों को पांचवे वेतनमान में पेंशन पुनरीक्षण की मांग के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुये दिनांक 05.2.2014 को आदेश

प्रसारित किया गया इसके अन्तर्गत पेंशनरों को पांचवें वेतनमान में नियमानुसार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में पेंशन योजना हेतु शासन से 57.84 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। पांचवें वेतनमान सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन एरियर का भुगतान किया जा चुका है।

स. विश्वविद्यालयीन पेंशन योजना

मध्यप्रदेश के पारम्परिक 06 विश्वविद्यालयों में लागू उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों की मांग पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्णय लेते हुये छठे वेतनमान अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण/समेकन आदेश दिनांक 31.10.2014 तथा आदेश दिनांक 13.11.2017 को जारी किये गये थे। तदनुसार प्रदेश उक्त विश्वविद्यालयों के पेंशनरों को छठवें वेतनमान में नियमानुसार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। विगत वर्षों में निराकृत किये गये शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों के पेंशन प्रकरणों की स्थिति निम्नवत् है।

वर्ष	शासकीय महाविद्यालयों के पेंशन प्रकरणों की संख्या	अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशन प्रकरणों की संख्या	विश्वविद्यालयों के पेंशन प्रकरणों की संख्या	कुल निराकृत प्रकरणों की संख्या
2012-13	15	200	135	350
2013-14	11	372	86	469
2014-15	27	—	111	1221
2015-16	25	137	1437	1599
2016-17	26	105	216	347
2017-18 (दिसम्बर 2017 की स्थिति में)	11	65 नवीन 226 पुनरीक्षित	97 नवीन 250 पुनरीक्षित	649
2018-19	21	52 नवीन 418 पुनरीक्षित 152 समेकित	93 713 पुनरीक्षित 408 समेकित	1857
2019-20	18	40 नवीन 62 पुनरीक्षित	81 नवीन 249 पुनरीक्षित	450

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय एवं महाविद्यालयों के सी.ए. से प्राप्त प्रतिवेदनों पर कार्यवाही।
2. प्रदेश के महाविद्यालयों से प्राप्त वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की जांच/अंकेक्षण।
3. महालेखाकार, ग्वालियर द्वारा किये गये ऑडिट का परीक्षण और निराकरण।
4. लोक लेखा समिति के प्रकरणों पर कार्यवाही।
5. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कार्यवाही।

भुगतान किया

वेतनमान में

/अधिकारियों

/समेकन के

सार प्रदेश के

जा रहा है।

यों के पेंशन

कुल निराकृत
प्रकरणों की
संख्या

350

469

1221

1599

347

649

1857

450

कार्यवाही।

/अंकेक्षण।

योजना शाखा

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विगत वर्षों में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत नई-नई योजनाओं को संचालित कर नये आयाम स्थापित किये गये। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में विद्यमान शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 517 है। प्रदेश के गुना जिला अंतर्गत बमोरी में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई।

प्रयोगशाला उन्नयन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 350.19 लाख का आवंटन हुआ है तथा इस योजना का लाभ 26 महाविद्यालयों को हुआ है।

शासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों की अंधोसंरचना विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये राशि रुपये 221.00 लाख का आवंटन किया गया है जिससे 31 शासकीय महाविद्यालय लाभान्वित हुए हैं।

विद्यार्थियों के हितार्थ अनेक हितग्राही योजनाओं का संचालन शासन द्वारा किया जाता है। इन समस्त योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभाग द्वारा प्रबोधिनी पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तिका के माध्यम से विद्यार्थी शासन द्वारा संचालित समस्त हितग्राही योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह यह पुस्तिका विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

निर्माण शाखा

मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में निर्माण कार्य हेतु योजना क्रमांक 7643 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभाग को आवंटन प्राप्त होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महाविद्यालयों द्वारा आवश्यकता के अनुसार एवं भूमि तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य के प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किए जाते हैं। प्रस्ताव उपयुक्त शासकीय निर्माण एजेंसी द्वारा प्राक्कलन, मानचित्र एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के साथ तैयार किए जाते हैं एवं महाविद्यालय उसे विभाग को प्रेषित करता है।

वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर प्राथमिकता निर्धारित कर समेकित प्रस्ताव स्थाई वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। स्थाई वित्त समिति का अध्यक्ष विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव होता है।

स्थाई वित्त समिति, विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का पुनः परीक्षण करती है एवं जो प्रस्ताव इस समिति द्वारा स्वीकृत कर दिए जाते हैं उनकी प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती हैं।

प्रशासकीय स्वीकृतियों के अनुसार निर्माण एजेंसी को राशि स्थानान्तरित की जाती है एवं निर्माण एजेंसी निर्धारित मापदंड के अनुसार समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होती है।

निर्माण शाखा की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है:-

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 134.00 करोड़ का बजट प्रावधानित था, जो निर्माण एजेंसियों को हस्तांतरित की जा चुकी है।
2. वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 हेतु शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु राशि 489.00 करोड़ की निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों के 16 मुख्य भवनों के निर्माण कार्य एवं 86 अन्य निर्माण कार्य कुल 102 निर्माण कार्यों के लिए राशि 35362.08 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु राशि 10000.00 करोड़ बजट प्रावधानित है। भवन निर्माण कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु राशि 8453.37 करोड़ का

व्यय एवं राशि 1546.63 करोड़ शेष है।

5. वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नानुसार राशि का आवंटन एवं निर्माण एजेंसियों द्वारा राशि व्यय किया गया

क्रं.	वर्ष	प्रावधानित राशि (करोड़ में)	निर्माण एजेंसियों द्वारा की गई व्यय राशि (करोड़ में)
1	2017-18	110.00	42.06
2	2018-19	134.00	69.34

6. वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में भवन/क्लासरूम/प्रयोगशाला/बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष 2017-18					वर्ष 2018-19				
महा. की संख्या	भवन	क्लासरूम	प्रयोगशाला	बाउण्ड्रीवाल	महा. की संख्या	भवन	क्लासरूम	प्रयोगशाला	बाउण्ड्रीवाल
25	18	03	01	03	76	13	49	02	13

7. हितग्राहियों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
9 लाख	10 लाख

समन्वय शाखा

- वर्ष 2019-2020 में आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से प्राचार्यों/कुल सचिवों/प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों एवं अधिकारियों के लिए 15 प्रशिक्षण आयोजित कराये गये। यह प्रशिक्षण ई.एल.टी. संबंधी प्रशिक्षण, एसीआर मॉडयूल संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, "उत्कृष्ट शिविर", टीम बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम, डी.टी.एस., जेंडर समानता अंतर्गत विभागीय जेंडर डिजाईन ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग स्किल संबंधी प्रशिक्षण, डी.ओ.टी. प्रशिक्षण कार्यक्रम, टी.एन.ए. कार्यक्रम, वन संसाधनों की चुनौतियों संबंधी प्रशिक्षण, आर.टी. आई संबंधी प्रशिक्षण, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटबिलिटी संबंधी प्रशिक्षण, Ethics and Values, आर.टी.आई संबंधी प्रशिक्षण आदि विषयों पर आयोजित कराये गये। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से 199 अधिकारी लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2019-2020 में विधान सभा प्रकरणों की कुल संख्या 282 है, जिसमें तारांकित प्रश्न 122, अतारांकित प्रश्नों की संख्या 125, ध्यानाकर्षण सूचना की संख्या 12, शून्यकाल की सूचना 05, याचिका 20 लोकसभा प्रश्न-1, राज्यसभा प्रश्न-1 प्राप्त हुए।
- केन्द्रीय आवक में प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही हेतु अन्य शाखाओं से समन्वय किया गया।
- सूचना का अधिकार के तहत वर्ष 2019 में कुल 119 आवेदन एवं प्रथम अपील में 77 आवेदन प्राप्त सभी प्रकरणों पर समय-सीमा में कार्यवाही की गयी।

प्रशिक्षण की जानकारी -

स.क्र.	विषय	दिनांक	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	ई.एल.टी. संबंधी प्रशिक्षण	26.03.19 से 30.03.19	05
2	एसीआर मॉड्यूल संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	27.05.19 से 27.05.19	59
3	एसीआर मॉड्यूल संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	28.05.19 से 28.05.19	49
4	"आनंद शिविर"	27.05.19 से 30.05.19	06
5	टीम बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम	24.06.19 से 26.06.19	05
6	डी.टी.एस.	26.08.19 से 30.08.19	04
7	जेंडर समानता अंतर्गत विभागीय जेंडर सेल	24.09.19 से 24.09.19	01
8	डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग स्किल संबंध प्रशिक्षण	09.09.19 से 09.09.19	01
9	डी.ओ.टी. प्रशिक्षण कार्यक्रम	03.09.19 से 07.09.19	05
10	टी.एन.ए. कार्यशाला	09.09.19 से 09.09.19	01
11	वन संसाधनों की चुनौतियों संबंधी प्रशिक्षण	14.10.19 से 18.10.19	02
12	आर.टी.आई संबंधी प्रशिक्षण	11.12.19 से 13.12.19	31
13	ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटबिलिटी संबंधी प्रशिक्षण	02.01.20 से 04.01.20	04
14	Ethics and Values	27.01.20 से 29.01.20	04
15	आर.टी.आई संबंधी प्रशिक्षण	29.01.20 से 31.01.20	22
कुल			199

न्यायालयीन शाखा

1. शासकीय अधिवक्ता से प्राप्त पत्रों एवं नोटिस का उत्तर देना।
2. जिला उपभोक्ता फोरम/जिला न्यायालय/श्रम न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में संबंधित को पत्र लिखकर प्रकरण का निराकरण करवाना। माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त निर्णयों में आवश्यक कार्यवाही करवाना। पालन न होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध विधि विभाग की ओर नस्ती भेजकर अपील की अनुमति प्राप्त करवाना तथा प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करवाना।
3. माननीय न्यायालय से प्राप्त याचिकाओं में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की कार्यवाही करना।
4. प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात नस्ती विधि विभाग को प्रेषित कर प्रतिरक्षण आदेश प्राप्त करना।
5. प्रभारी अधिकारी को जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजना।
6. जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु वांछित अभिलेख प्रभारी अधिकारी को संबंधित शाखा के माध्यम से उपलब्ध हो, सुनिश्चित करना।
7. प्रस्तुत जवाबदावों को नस्ती में संधारित करना।
8. माननीय न्यायालय के निर्णय को सम्बन्धित शाखा को भेजकर पालन करवाना।
9. याचिकाकर्ता द्वारा मूल प्रकरण में पालन न होने पर यदि अवमानना प्रकरण दायर किया जाता है तो

- प्रथमतः मूल प्रकरण का पालन करवाने की कार्यवाही करवाना।
10. मूल प्रकरण का पालन होने पर प्रकरण प्रभारी प्राचार्य/अतिरिक्त संचालकों की ओर पालन आदेश प्रति भेजकर अवमानना प्रकरण में जबाबदावा प्रस्तुत करवाना। अवमानना में पारित निर्णय की प्रति संबंधित शाखाओं की ओर भेजकर अवगत कराना।
 11. यदि कोई आदेश पालन योग्य प्रतीत नहीं होता है तो शासकीय अधिवक्ता का अभिमत प्राप्त कर अभिमतानुसार रिट अपील के आधार सहित नस्ती विधि विभाग को भेजकर रिट अपील की अनुमति प्राप्त करना।
 12. रिट अपील की अनुमति प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी को अपील करने हेतु निर्देश देना।
 13. रिट अपील में माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर शाखा से उसका पालन सुनिश्चित कराना।
 14. माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध रिट्यू अपील की अनुमति प्राप्त कर रिट्यू अपील करने हेतु निर्देश देना।
 15. यदि शासन प्रकरण में रिट अपील/रिट्यू के आदेश के विरुद्ध एस.एल.पी. दायर करना चाहता है शासकीय अधिवक्ता का अभिमत प्राप्त कर अभिमतानुसार वांछित प्रस्ताव विधि विभाग की ओर भेजकर एस.एल.पी. की अनुमति हेतु प्रेषित करना।
 16. माननीय न्यायालय से एस.एल.पी. का आदेश प्राप्त होने पर आदेश का पालन सुनिश्चित करना।
 17. न्यायालयीन शाखा से संबंधित प्रकरणों में सूचना के अधिकार की जानकारी/न्यायालयीन प्रकरण की समीक्षा की बैठक करवाना/सी.एम./सी.एस. मॉनिटरिंग/विधान सभा आदि की जानकारी तथा सामान्य प्रशासन विभाग को त्रैमासिक जानकारी उपलब्ध कराना/प्रशासकीय प्रतिवेदन/वी.कॉन्फ्रेंसिंग आदि की जानकारी देना।
 18. अन्य सभी अनुषांगिक कार्य जिनका उल्लेख नहीं किया गया है और यह शाखा से सम्बन्धित है।
 19. उच्च शिक्षा विभाग के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के प्रभावी प्रबंधन तथा उनकी संख्याओं में करने के उद्देश्य से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने आवश्यक है। अतः मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 11 मई 2018 प्रकाशित) की कंडिका 20 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग में परिहार्य मुकदमेबाजी का निवारण/निपटारे करने के प्रयोजन से, "आंतरिक शिकायत निवारण समिति" (Internal grievance Redressal committee) की स्थापना म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक एफ 23-13/2018/38-2 भोपाल दिनांक 16.09.2018 के दो स्तरों पर की गई है।
 - (i) राज्य स्तर पर राजपत्रित अधिकारियों (प्राचार्य, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीडाधिकारी एवं ग्रंथपाल) के प्रकरणों/शिकायतों के निराकरण हेतु।
 - (ii) संभाग (क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा) स्तर पर अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रकरणों/शिकायतों के निराकरण हेतु।

उपरोक्त शिकायत निवारण समितियों द्वारा व्यथित पक्षकार के निवेदन पर समस्त मामले शिकायत के उचित निराकरण के लिये पुनर्विलोकित किये जाते हैं। इस संबंध में आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होने की व्यवस्था की गई है।

अभ्यावेदनों के निराकरण हेतु सामान्यतः तीन माह की समय सीमा विनिश्चित की गई है।
 20. वर्तमान में महाधिवक्ता कार्यालय से संचालित CMTS (Case Management & Tracking System) सॉफ्टवेयर से उच्च शिक्षा विभाग को जोड़ा है। अतः न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी उक्त सॉफ्टवेयर से निरंतर अद्यतन की जाती है।

न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी

क्र.	विवरण	भोपाल	जबलपुर	सागर	रीवा	उज्जैन	इंदौर	ग्वालियर	कुल प्रकरण
1	मान्या. में दर्ज कुल प्रकरणों की संख्या	199	1396	137	169	117	166	355	2539
2	जवाबदावा प्रस्तुत	166	1171	129	132	84	142	324	2148
3	जवाबदावा हेतु लम्बित प्रकरण	33	225	08	37	33	24	31	391
4	पालन हेतु लम्बित निर्णयों की संख्या	01	37	01	02	23	38	43	145
5	अवमानना के कुल प्रकरणों की संख्या	25	29	07	31	03	06	28	129
6	प्रकरणों में प्रस्तुत जवाबदावों की संख्या	21	27	07	28	02	04	24	113
7	अवमानना प्रकरणों में जवाबदावे हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या	04	02	00	03	01	02	04	16

गोपनीय प्रकोष्ठ

1. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों/ ग्रंथपालों/ क्रीड़ा अधिकारियों एवं रजिस्ट्रारों के गोपनीय प्रतिवेदनों के फोल्डरों का संधारण किया जाता है, साथ ही उपरोक्त सभी अधिकारियों के वेतनमान स्थानन का कार्य नियमानुसार प्रशासकीय अनुमोदन के उपरान्त किया जाता है।
2. गोपनीय प्रकोष्ठ द्वारा अप्रैल, 2019 से अब तक लगभग 126 प्रकरणों में प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत स्थानन संबंधी आदेश जारी किये गये।
3. परिवीक्षा अवधि समाप्त संबंधी प्रकरणों पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त उपरांत शासन द्वारा 73 प्रकरणों पर आदेश जारी किये गये।
4. दिनांक 1.1.2009 से 1.1.2014 की स्थिति में लगभग 795 सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक पदनाम दिये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किये गये।

सम्बद्धता शाखा

सत्र 2019-20 में अशासकीय महाविद्यालयों में एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रमों (बी.एड., एम.एड., एम.पी.एड., बी.पी.एड. एवं बी.एड.-एम.एड., बी.ए.-बी.एड., बी.एस.सी.-बी.एड., बी.एल.एड.) में ऑनलाइन काउंसलिंग उपरान्त 55643 प्रवेश दिये गये।

पाठ्यक्रम का नाम	महाविद्यालयों की संख्या	कुल सीट संख्या	ऑनलाइन काउंसलिंग उपरान्त प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या
बी.एड.	602	52950	50161
एम.एड.	59	2950	1238
बी.पी.एड.	15	1450	915
एम.पी.एड.	11	315	281
बी.एड.एम.एड.	05	250	161
बी.ए. बी.एड.	45	3200	1545
बी.एस.सी. बी.एड.	37	2600	1286
बी.एल.एड.	04	200	56
योग:-	—	63915	55643

1. प्रदेश में सत्र 2019-20 से संचालन हेतु 69 नवीन अशासकीय महाविद्यालयों को प्रारंभ किये जाने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये।
2. प्रदेश में सत्र 2019-20 में नवीन एवं विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों से राज्य शासन के कोष में रु. के रूप में कुल राजस्व राशि रुपये 6,45,74,500/- (रुपये छः करोड़ पैतालीस लाख चौहत्तर हजार पांच सौ मात्र) अर्जित की गई है।
3. प्रदेश में सत्र 2019-20 में कुल 816 गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं।
4. प्रदेश में सत्र 2019-20 में कुल 74 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय संचालित है।

राजपत्रित शाखा-शिकायत प्रकोष्ठ

1. शिकायत प्रकोष्ठ में विगत वर्ष में प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राप्त शिकायतों के आधार पर महाविद्यालयों में अनुशासनहीनता को रोकने तथा कसावट की दृष्टि से लगभग 37 सहायक प्राध्यापकों विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु प्रथम श्रेणी अधिकारी होने के कारण आरोप पत्र तैयार कर शासन को भेजे गए। इसी प्रकार 29 सहायक प्राध्यापकों को कारण बताओं नोटिस जारी करने हेतु नस्ती उच्च शिक्षा विभाग भेजी गई तथा 6000 ए.जी.पी. होने के कारण तीन सहायक प्राध्यापकों के विरुद्ध इस कार्य से विभागीय जाँच संस्थित की जिसमें एक विभागीय जाँच समाप्त की जा चुकी है।
2. चार प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों के निलंबन प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग भेजे गये।
3. शिकायत प्रकोष्ठ में प्राप्त सी.एम.हेल्पलाईन लगभग 10 प्रकरण निराकरण कर विलोपित किये गये।
4. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ प्राचार्य/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/क्रीडा अधिकारी/ग्रंथपाल के विरुद्ध विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायत की जाँच कार्यवाही प्रारंभ कर यथा समय कार्यवाही की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ

सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ द्वारा निम्न कार्यों को सम्पादित किया गया।

- विभागीय वेबसाइट highereducation.mp.gov.in का संधारण।
- ई-प्रवेश के ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया का संचालन।
- प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन कौंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश।
- विदेश यात्रा के ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन।
- महाविद्यालय संबंधी ऑनलाइन जानकारी एवं पदांकितों की ई-आर शीट।
- 01 सितम्बर 2019 से प्रदेश के 100 महाविद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं का निरंतर संचालन।
- विभागीय योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग।
- अतिथि विद्वान ऑनलाइन आमंत्रण प्रक्रिया।
- विभाग में पहली बार ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से वर्ष 2017-18 के वार्षिक गोपनीय स्वमूल्यांकन पत्रक का क्रियान्वयन।

(2) विश्वविद्यालय समन्वय प्रकोष्ठ

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम-2007 के प्रावधान अनुसार वर्ष 2019-20 में निम्न 04 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हुये हैं:-

1. संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल
2. हिमालयन विश्वविद्यालय, जबलपुर
3. आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, भोपाल
4. सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन

(3) मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

सामान्य हिन्दी सहित अन्य प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथों के निर्माण की, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) की केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत 1970 में स्थापित एक पंजीयत स्वशासी संस्था है। अकादमी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी माध्यम से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य एवं संदर्भ ग्रंथों के प्रणयन, प्रकाशन एवं विक्रय का कार्य करती है। अकादमी का कार्य संचालन प्रबंधक मण्डल एवं कार्यसमिति के द्वारा किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री अकादमी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी, अध्यक्ष एवं प्रो. रामराजेश मिश्र, संचालक/ पदेन सचिव हैं। अकादमी के प्रबंधक मण्डल में मध्यप्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति पदेन सदस्य होते हैं। सचिव, उच्च शिक्षा एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा अकादमी के प्रबंधक मण्डल एवं कार्यसमिति के पदेन सदस्य हैं। प्रबंधक मण्डल में 11 सदस्यों का मनोनयन, 3 वर्ष की अवधि के लिए मंत्री, उच्च शिक्षा की स्वीकृति से म.प्र. शासन, उच्च विभाग द्वारा किया जाता है। कार्य समिति के 3 सदस्यों का मनोनयन अकादमी के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नये हिन्दी भाषी प्रदेश झारखण्ड एवं उत्तराखण्ड को छोड़कर अन्य सभी हिन्दी भाषी प्रदेशों यथा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं हरियाणा में हिन्दी ग्रन्थ अकादमियाँ कार्यरत हैं। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत "हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय" संचालित है जो इसी

योजना पर कार्य कर रहा है। अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों में इस योजनांतर्गत “यूनिवर्सिटी लेवल टेक्स्ट बुक बोर्ड” कार्यशील है। इनके बीच समन्वय का कार्य वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया जा रहा है। लेखन, अनुवाद, टंकण, समीक्षण, सम्पादन के साथ पुस्तकों की बिक्री पर देय कमीशन की दरें इस आयोग द्वारा तय की जाती हैं।

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर लागू एकीकृत पाठ्यक्रम, आधार पाठ्यक्रम एवं साहित्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू साहित्य) की अनिवार्य पाठ्यपुस्तकों का संपादन मानक एवं इनकी बिक्री पर देय कमीशन की दर अकादमी द्वारा निर्धारित की गई। पुस्तकों की लेखन-प्रकाशन कार्य योजना अनुशंसित करने के लिए विषय सलाहकार समितियाँ हैं। विषय के वरिष्ठ अध्यापक इस सदस्य हैं। अकादमी द्वारा निर्धारित मुद्रण दरों पर भोपाल के पंजीयत प्रेसों से पुस्तकों की छपाई का कराराया जाता है। पुस्तकों के बिक्री मूल्य “न लाभ न हानि” के सिद्धांत पर लागत मूल्य से 2.5 से 3 गुना रखा जाता है ताकि विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। अकादमी ने स्नातक स्तर के लगभग सभी विषयों पर पुस्तकें तैयार की हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर स्तर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित होने वाले विषयों में राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, भूगोल, वाणिज्य, रसायन विज्ञान विषय की पुस्तकें हैं। लेखन कार्य में युवा लेखकों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सीमित संसाधनों के फलस्वरूप अकादमी ने वर्ष 2019-20 में 15 जनवरी 2020 तक कुल 165 शीर्षक पुस्तकें 1658000 प्रतियाँ प्रकाशित की गयी, जिनमें से लगभग 67 पुस्तकें प्रथम संस्करण की 956500 प्रतियाँ एवं 98 पुस्तकें द्वितीय/तृतीय संस्करणों की 701500 प्रतियाँ प्रकाशित करायी गयी। व्यवसायिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अकादमी दूरवर्ती शिक्षा केन्द्रों म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय-भोपाल, को पुस्तकें के प्रदाय किये जा रहे हैं।

॥ अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को हितग्राही मूलक योजना के अन्तर्गत निःशुल्क पुस्तकों का प्रदाय

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन के आदेश क्रमांक 708/38/अनु/आउशि/ योजना/2019 भोपाल दिनांक 08.08.2019 के अनुपालन में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग की हितग्राही मूलक योजना ग्लोबल बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शासन के आदेश के अनुपालन में म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त शासन महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लगभग 1,58,664 विद्यार्थियों विभिन्न विषयों की पाठ्यसामग्री एवं संदर्भित ग्रंथों का प्रदाय कर लाभान्वित किया गया है। 15 जनवरी 2020 तक पुस्तकों का प्रदाय एवं बिक्री से रु 4,52,28,548.00 शुद्ध व्यवसाय किया गया है। इसके अलावा ही अकादमी को विभिन्न विश्वविद्यालयों/दूरवर्ती शिक्षा केन्द्रों, महाविद्यालयों, पुस्तक विक्रेताओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त क्रयादेशों का प्रदाय कर 15 जनवरी 2020 तक कुल रु 3,62,82,052.00 व्यापार किया गया, इस प्रकार से 01 अप्रैल 2019 से 15 जनवरी 2020 तक कुल रु. 8,15,10,600.00 व्यापार किया गया। मध्यप्रदेश के संभागों में स्थित पुस्तक विक्रेताओं से सम्पन्न कर क्रयादेश प्राप्त कर नगर बैंक के माध्यम से भी क्रयादेश प्राप्त करती है। उक्त खरीद पर निश्चित व्यवसायिक कमीशन दिया जा

महात्मा गांधी जी के 150 वें शताब्दी वर्ष का आयोजन :-

महात्मा गांधी जी के 150 वें जनशताब्दी वर्ष में गांधी जी के जंतर “शांति अहिंसा, सशक्तीकरण महानायक गांधी का जंतर” का प्रकाशन पोस्टर के रूप में प्रत्येक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय निःशुल्क शिक्षा सत्र के आरंभ में किया गया। गांधी के जीवन दर्शन पर आधारित तीन पुस्तकें “कि गांधी”, “वन्दनीय बापू” (गांधी का संसार), “हिन्द स्वराज”, एवं बलिदानी गांधी (महात्मा गांधी, इ

गांधी तथा राजीव गांधी) पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन सहित “भारतीय सांस्कृतिक धरोहर”, तथा “आज भी खरे हैं तालाब” पुस्तक का प्रकाशन कर प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी गयी।

महात्मा गांधी जी के 150 वें जनशताब्दी वर्ष में गांधी के जीवन दर्शन पर आधारित दो पुस्तकें “चित्रोपम गांधी”, “वंदनीय बापू” (गांधी का संसार) पुस्तक का प्रकाशन कार्य किया गया, उक्त पुस्तकों का लोकार्पण दिनांक 02 अक्टूबर 2019 को भव्य समारोह में माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश एवं माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन एवं अध्यक्ष मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल द्वारा किया गया। उक्त पुस्तकें प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों को अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को हितग्राहीमूलक योजना के अन्तर्गत प्रदाय की जा रही है। साथ ही सुधि पाठकों द्वारा भी क्रय की जा रही है।

महात्मा गांधी 150वें जयंती वर्ष में अकादमी प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ आदर्श प्राध्यापक को ‘महात्मा गांधी सम्मान’ एवं प्रत्येक सामान्य विश्वविद्यालय के कुल 4 सर्वोत्तम विद्यार्थियों (दो छात्र एवं दो छात्रा) को पुरस्कृत करने की योजना/सम्मान राशि रुपये 51 हजार एवं पुरस्कार राशि रुपये 21 हजार होगी। छात्रों को दिये जाने वाला पुरस्कार ‘राजीव गांधी युवा पुरस्कार’ एवं छात्राओं को दिये जाने वाला ‘इंदिरा गांधी’ पुरस्कार के नाम से दिया जायेगा। प्रदेश के सबसे उत्कृष्ट एक विद्यार्थी को रुपये 31 हजार का ‘एकलव्य सम्मान’ दिया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय की व्यवस्था अकादमी अपने संसाधनों से करेगी। यह आयोजन अकादमी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में होगी।

अकादमी की वेबसाइट

क्रिस्प संस्थान के माध्यम से मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की वेबसाइट mp.hindigranthacademy.org में अकादमी के नवीन प्रकाशनों की अद्यतन जानकारी के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ की जानकारी उपलब्ध है।

अकादमी की द्वैमासिक पत्रिका “रचना”

अकादमी तथा उच्च शिक्षा विभाग के समवेत उपक्रम के रूप में अकादमी द्वैमासिक पत्रिका “रचना” का प्रकाशन विगत बीस वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। महात्मा गांधी 150 वें शताब्दी वर्ष में रचना पत्रिका को नये कलेवर में गांधी विशेषांक नाम से प्रकाशित किया जा रहा है जिसमें महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन एवं उनके व्यक्तित्व –कृतित्व में आधारित देश के प्रख्यात लेखकों/विचारकों के आलेख आमंत्रित कर प्रकाशित किये जा रहे हैं।

अकादमी 1996 से द्विमासिक पत्रिका ‘रचना’ उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रकाशित कर रही है। पत्रिका को सर्वथा नये कलेवर के साथ इसमें विभाग द्वारा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जारी सभी आदेश/निर्देश पत्रों का समावेश किये जाने की योजना है, जिससे प्राध्यापक एवं अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली में भागीदारी

नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2020 (4-12 जनवरी 2020) में अकादमी अपने प्रकाशनों के साथ सम्मिलित हुई। मेले में अकादमी प्रकाशनों का प्रचार-प्रसार वृहत रूप में किया गया। मेले के दौरान विभिन्न विषयों की पुस्तकों की बिक्री का कार्य भी किया गया। विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में अकादमी के स्टाल में केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, अध्यक्ष, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दिल्ली सहित अन्य अकादमियों के निदेशक, प्रख्यात लेखक, साहित्यकारों ने भ्रमण कर अकादमी प्रकाशनों का अवलोकन किया।

विशेष-

1. प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या, पुस्तकों की बिक्री, रिवाल्विंग फण्ड में जमा राशि एवं अधोसंरचना विकास के मामले में इस अकादमी की उपलब्धियाँ, योजनांतर्गत कार्यरत समस्त अकादमियों/बोर्ड की तुलना में सबसे ऊपर है।
2. अकादमी ने कम्प्यूटर विज्ञान विषय में अब तक कुल 51 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इस विषय में हिन्दी पहली पुस्तक "कम्प्यूटर एक परिचय" प्रकाशित करने का श्रेय अकादमी को है।
3. मध्यप्रदेश की जीवन रेखा "नर्मदा" पर श्री अमृतलाल बेगड़ की तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित करने का गौरव अकादमी को प्राप्त हुआ है। इनका अनुवाद अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है।
4. भूविज्ञान विषय में प्रकाशित पुस्तकें सभी हिन्दी भाषी राज्यों में समान रूप से लोकप्रिय हैं।
5. लोकप्रिय विज्ञानमाला के अंतर्गत प्रकाशित डॉ. जयंत नार्लीकर की पुस्तक "ब्रह्माण्ड की झलकें" अकादमी के प्रकाशनों में विशेष स्थान रखती है। इसी क्रम में डॉ. कपूरमल जैन की पुस्तक "जिज्ञासाओं के प्रश्नों" पुस्तक भी महत्वपूर्ण है।
6. अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों एवं संस्कृत के प्राचीन विद्वानों के प्रकाशित मोनोग्राफ्स की शृंखला अति विशिष्ट स्थान रखती है।
7. स्नातक स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने पर प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम की पुस्तक "भारत सांस्कृतिक विरासत" अकादमी का बहुप्रशंसित संपादित ग्रंथ है।
8. अकादमी के द्वारा पूर्व में प्रकाशित महत्वपूर्ण ग्रंथों/पुस्तकों में से महत्वपूर्ण कृतियाँ सौन्दर्य, संस्कृत स्रोतस्विनी नर्मदा, बेतवा, सोन के पानी का रंग, यूरोप का इतिहास, समकालीन यूरोप, राबिंद्र सिरपुर, सांची, महाराज छत्रसाल बुंदेला, भारतीय पुरातत्त्व, प्राचीन भारतीय मूर्तिकला, चित्रकला, मध्यप्रदेश में आजादी की लड़ाई और आदिवासी, फोटोग्राफी सीखें, पर्यावरण प्रदूषण, मानव संस्कृति और समाज, भारतीय कला, भारतीय परम्परा, इत्यादि महत्वपूर्ण कृतियों के पुनर्प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है।

आगामी कार्ययोजना -

1. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल की स्थापना 1969 में हुई है। संस्था के सफलतम 50 वर्ष होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती वर्ष का आयोजन तथा विभिन्न स्वरूपों में कार्यक्रम आयोजित किये जाने की योजना।
(क) स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में अकादमी के प्रारंभकाल से अब तक के उत्कृष्ट प्रकाशनों की पुस्तक माला का पुनः प्रकाशन।
(ख) तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली के सहयोग के कार्यशाला/सेमीनार का आयोजन अकादमी प्रकाशन को ई-बुक योजना में सम्मिलित कराना।
(ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के सहयोग से पुस्तक मेले का आयोजन।
(घ) देश की सभी अकादमियों के निदेशकों की बैठक का भोपाल में आयोजन।
(ङ.) देश के सभी पुस्तक प्रकाशन बोर्डों एवं अकादमियों की बैठक का आयोजन।
उपर्युक्त 'घ' एवं 'ङ.' के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग से अनुरोध किया जायेगा।
2. स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकों को सेमेस्टर पद्धति से परिवर्तन कर पद्धति के आधार पर पुस्तकों के प्रकाशन की योजना।
3. पाठ्यक्रम आधारित तथा संदर्भ पुस्तकों के लेखन की शृंखला में नवीन लेखकों को सम्मिलित किये जाने की योजना।
4. हिन्दी में स्तरीय एवं मानक पाठ्य/संदर्भ पुस्तकों को पुरस्कृत करने की योजना का पुनर्निर्धारण

(4) रा

बिन्दु
क्र.

51

53

56

64

75

76

77

78

79

5. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर आधारित विभिन्न विषयों विशेषकर विज्ञान विषयों की पुस्तकों/ मोनोग्राफों का निर्माण एवं प्रकाशन।
6. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विषय पर उच्च स्तरीय रिफर्ड, 6 माही शोध पत्रिका का प्रकाशन (वर्तमान में प्रकाशित रचना के स्थान पर) जिसमें मौलिक लेखों के साथ चुनिन्दा अनूदित शोध लेख होंगे।
7. प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के हितार्थ विशेषकर सेट-गेट जैसी परीक्षाओं के लिये पुस्तकें तैयार करने की योजना है।
8. परीक्षणोपरांत अकादमी की कतिपय पुस्तकों की छँटनी का प्रस्ताव है।

(4) राज्य की महिला नीति/जेण्डर मुद्दों के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित जानकारी

बिन्दु क्र.	बिन्दु	अद्यतन स्थिति
51	रोजगार की शर्तों एवं नियमों को जेण्डर संवेदी बनाना/बालिकाओं के प्रवेश की स्थिति।	सभी शासकीय महाविद्यालयों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित हैं, सत्र 2019-20 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 791776 है, जिसमें से छात्राओं की संख्या 463887 है जो लगभग 58.59% है।
53	महिला कर्मियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना	सभी महाविद्यालयों में कॉमन रूम एवं महिला टॉयलेट बनाये गये एवं सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई तथा समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग के निर्देश प्राचार्यों को दिए गए। विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत 73 महाविद्यालयों (समस्त कन्या महाविद्यालय एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के) में सेनेटरी नैपकिन तथा वैंडिंग मशीन लगाया जा रहा है। कन्या शैक्षणिक संस्थाओं तथा महिला काम काजी क्षेत्रों को चिह्नित कर महिला पुलिस चौकी की स्थापना तथा महिला पुलिस गस्त की व्यवस्था शुरू की गई।
56	महिला महाविद्यालयों में परामर्श प्रकोष्ठ	सभी महाविद्यालयों में महिला परामर्श प्रकोष्ठ गठित किए गए।
64	गैर-तकनीकी स्नातक स्तर तक लड़कियों के लिये मुफ्त शिक्षा	गैर-तकनीकी स्नातक स्तर पर शासन द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाली छात्राओं से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता।
75	महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये बालिकाओं को आयु में पूरी छूट	महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्राओं को आयु सीमा में पूर्ण छूट प्रदान की गई है।
76	कन्या महाविद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श के लिये प्रकोष्ठ	सभी कन्या महाविद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।
77	सभी महाविद्यालयों में जनभागीदारी समितियों में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी	जनभागीदारी समिति में महिलाओं को यथोचित स्थान दिया गया है।
78	कन्या महाविद्यालयों में एन.एस. एस. एवं एन.सी.सी. का जुड़ाव	मध्यप्रदेश के प्रमुख नगरों जैसे-भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर स्थित कन्या महाविद्यालयों में एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. की इकाइयाँ पूर्व से ही कार्यरत हैं, अन्य जिला स्तरीय कन्या महाविद्यालयों में एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. की इकाइयाँ संचालित की जा रही हैं।
79	विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जेंडर पर अनिवार्य बुनियादी पाठ्यक्रम	सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को महिलाओं के घटते अनुपात के विषय पर सेमीनार आयोजित करने एवं समाज में जागरूकता लाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

बिन्दु क्र.	बिन्दु	अद्यतन स्थिति
80	एक चयनित विश्वविद्यालय में राज्य के सहयोग से महिला अध्ययन पर स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	जीवाजी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत महिला अध्ययन पर पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ए शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय भोपाल में महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई।
81	उत्कृष्टता महाविद्यालयों में से एक महिला महाविद्यालय का होना	मध्यप्रदेश में दो महिला महाविद्यालयों को उत्कृष्टता का दर्जा दिया गया है। (1) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर (2) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन
144	जिन संस्थाओं में महिलाएँ रहती हैं, या काम करती हैं, या पढ़ती हैं, उनमें 2007 तक शौचालय एवं पीने के पानी की व्यवस्था करना	सभी शासकीय महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल एवं महिला टॉयलेट की व्यवस्था की गई है।
177	महिलाओं पर अत्याचार रोकने के सम्बन्ध में शिक्षित करने के लिये शिक्षा संस्थाओं को सहयोग	सभी महाविद्यालयों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम लिये सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार समितियाँ गठित की जा चुकी हैं एवं इनके द्वारा किए जा रहे कार्य की सतत समीक्षा की जाती है। महाविद्यालयीन छात्राओं को आत्मरक्षार्थ जूडो-काता का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
212	नीति और कार्य योजना का क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन एवं प्रचार	सभी महाविद्यालयों को सत्र के आरम्भ में महिला नीति के क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन एवं प्रचार के व्यापक निर्देश दिए गये।
214	सभी विभागों के अधिकारियों को जेण्डर संवेदनशीलता का प्रशिक्षण	प्रशासन अकादमी के माध्यम से अधिकारियों / कर्मचारियों को जेण्डर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
218	हर विभाग में एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाना	डॉ पूर्णिमा लोदवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।
224	जेण्डर संवेदनशीलता को सभी कार्यक्रमों में जोड़ना	जेण्डर संवेदनशीलता को सभी कार्यक्रमों में जोड़ा गया है।
225	विभिन्न विभागों के लिये विस्तृत जेण्डर कार्यक्रम	विभाग द्वारा जेण्डर संवेदनशीलता लाने के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।
227	विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में महिला नीति सम्बन्धी जानकारी का प्रकाशन	विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन में महिला नीति सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित की गई है।
232	महिलाओं के नाम पर्याप्त आवंटन	प्रदेश में 59 महिला महाविद्यालय संचालित हैं एवं महिला महाविद्यालयों को पर्याप्त बजट आवंटन किया जाता है।
233	सभी विभागीय नीतियों और योजनाओं में महिलाओं के लिये समतामूलक परिणामों को मापना	उच्च शिक्षा विभाग में लगभग 31.28 प्रतिशत महिलाएँ शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। समस्त छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की गई है एवं विभाग महिलाओं को समानता का दर्जा देने का पक्षधर है।

शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में हुए कुल 791776 प्रवेश बालिकाओं की संख्या 463887 (58.59 प्रतिशत) है। जेण्डर मुद्दों पर विभाग द्वारा की गयी पहल में गरीबों की बेटी, प्रतिभा किरण, आदि योजनाएं लागू की गयी हैं जिनका अनुकूल प्रभाव पड़ा है। विभाग के समस्त योजनाओं के सरलीकरण की चुनौती है। विभाग की आगामी रणनीति के रूप में ऐसी अन्य योजनाओं को लागू किया जाना एवं इन योजनाओं के सरलीकरण हेतु मोबाइल आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाना है।

पाठ्यक्रम
भोपाल एवं
में महिला

दर्जा दिया

हेला टॉयलेट

रोकथाम के
मेतियां गठित
सतत् समीक्षा
जूड़ो-कराटे

क्रियान्वयन,
गये।

यों को जेण्डर

ालय आयुक्त
है।

है।

स्तुत कार्यक्रम

स्थी जानकारी

महाविद्यालयों

शिक्षक के रूप
छूट प्रदान की
का पक्षधर है।

91776 प्रवेश में
पहल में गांव
वेभाग के समक्ष
अन्य योजनाओं
उपयोग किया

भाग-छः

महाविद्यालयों की जानकारी

शासकीय महाविद्यालय

517

अनुदान प्राप्त

अशासकीय

महाविद्यालय

74

अनुदान अप्राप्त

अशासकीय

महाविद्यालय

816

अग्रणी शासकीय

महाविद्यालय

52

स्वशासी शासकीय

महाविद्यालय

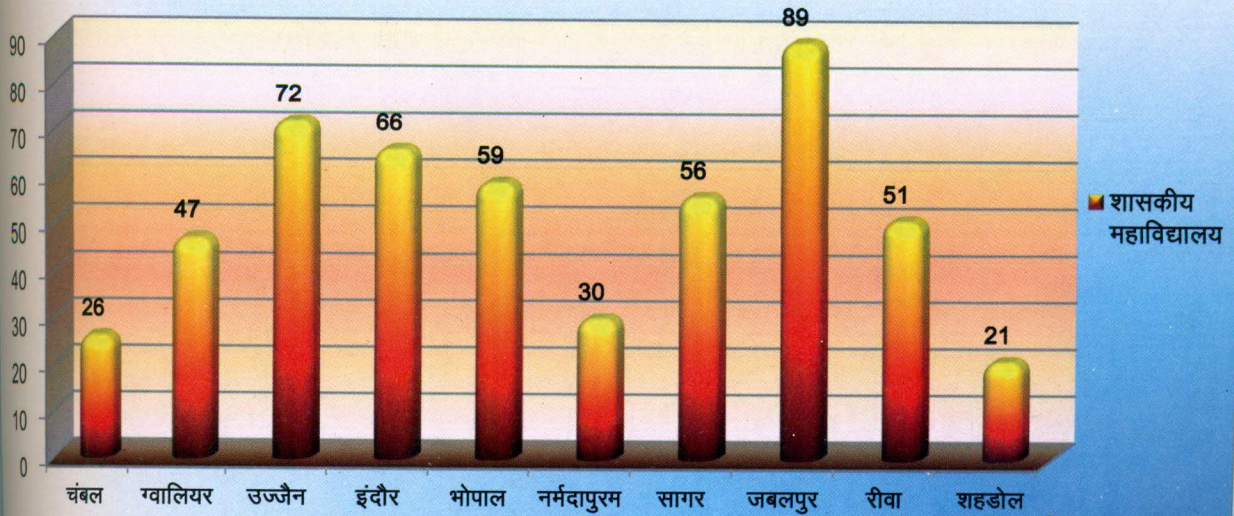
19

संभागवार महाविद्यालयों की संख्या

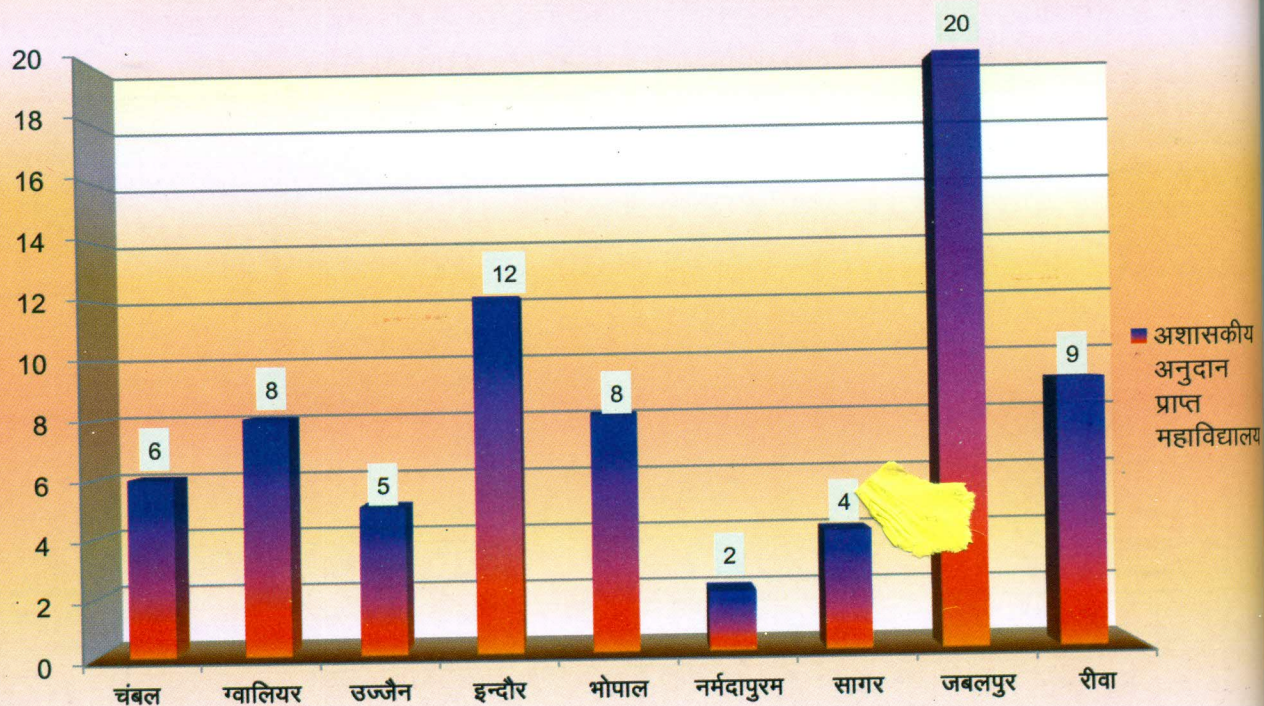
कुल	संभाग	शासकीय महाविद्यालय	अशासकीय गैर अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय	अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय
1.	चंबल	26	102	06
2.	ग्वालियर	47	87	08
3.	उज्जैन	72	59	05
4.	इंदौर	66	133	12
5.	भोपाल	59	134	08
6.	नर्मदापुरम्	30	45	02
7.	सागर	56	48	04
8.	जबलपुर	89	89	20
9.	रीवा	51	100	09
10.	शहडोल	21	19	00
योग		517	816	74

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल को सम्मिलित करने पर।

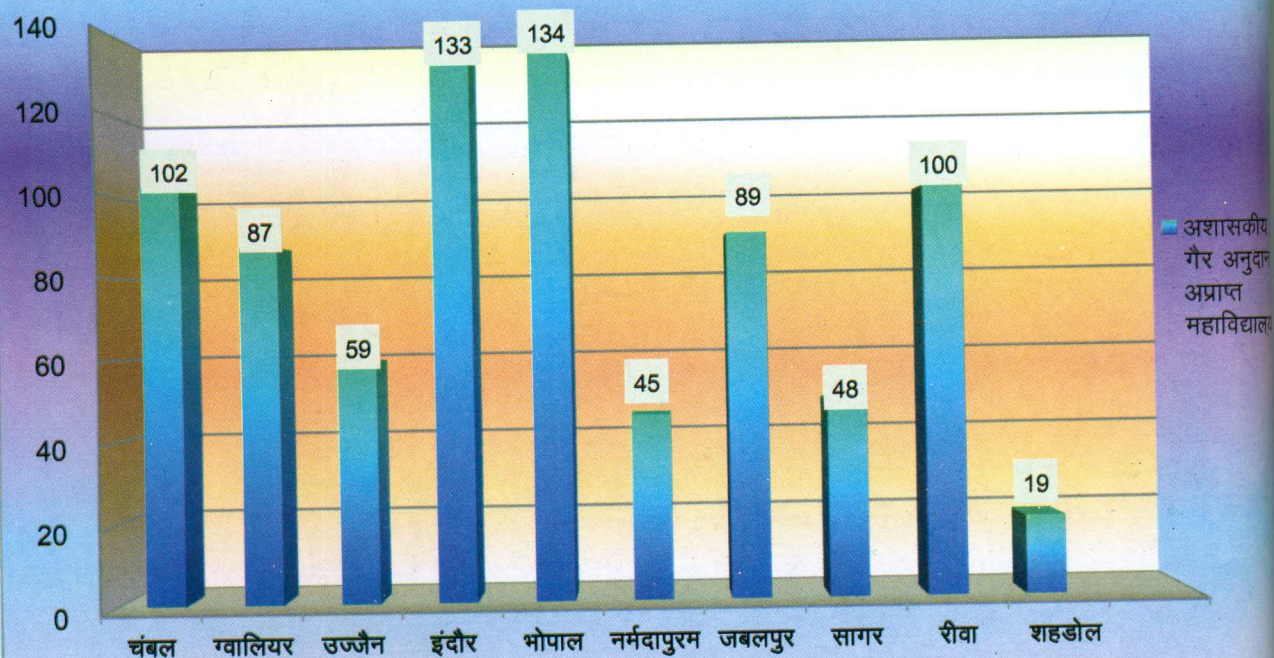
संभागवार शासकीय महाविद्यालयों की संख्या



संभागवार अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या



संभागवार अशासकीय गैर अनुदान अप्राप्त महाविद्यालयों की संख्या



जिलेवार शासकीय महाविद्यालयों की संख्या

क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय संख्या
1	अलीराजपुर	5
2	अनूपपुर	7
3	अशोकनगर	8
4	आगर मालवा	5
5	बड़वानी	10
6	बालाघाट	14
7	बैतूल	11
8	भिण्ड	12
9	भोपाल	13*
10	बुरहानपुर	4
11	छतरपुर	11
12	छिन्दवाड़ा	16
13	दमोह	7
14	दतिया	6
15	देवास	12
16	धार	15
17	डिण्डोरी	10
18	गुना	9
19	ग्वालियर	13
20	हरदा	5
21	होशंगाबाद	14
22	इन्दौर	11
23	जबलपुर	13
24	झाबुआ	8
25	कटनी	10
26	खंडवा	5
27	खरगौन	8
28	मंदसौर	10

क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय संख्या
29	मुरैना	8
30	मंडला	9
31	नरसिंहपुर	8
32	नीमच	7
33	निवाड़ी	1
33	पन्ना	9
34	रायसेन	12
35	राजगढ़	10
36	रतलाम	12
37	रीवा	16
38	सागर	19
39	सतना	16
40	सीहोर	14
41	सिवनी	9
42	शहडोल	8
43	श्यामपुर	6
44	शिवपुरी	11
45	सीधी	9
46	सिंगरौली	10
47	शाजापुर	9
48	टीकमगढ़	9
49	उज्जैन	17
50	उमरिया	6
51	विदिशा	10
	कुल	517

*उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल को सम्मिलित करने पर।

शासकीय महाविद्यालयों की सूची

क्र.	महाविद्यालय कोड	महाविद्यालय एवं नाम	स्थान	जिला	स्तर	संकाय	विद्यार्थी संख्या	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल पता
1.	1904	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय	आगर मालवा	आगर मालवा	PG	ACSH	2188	7362258033	hegnpgcagasha@mp.gov.in
2.	1994	शासकीय महाविद्यालय	बडौद	आगर मालवा	UG	A	99		
3.	1908	शासकीय महाविद्यालय	नलखेड़ा	आगर मालवा	UG	AC	591		
4.	1913	शासकीय महाविद्यालय	सोयतकला	आगर मालवा	UG	AS	228		
5.	1906	स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय	सुसनेर	आगर मालवा	UG	ASC	976		
6.	2103	शासकीय महाविद्यालय	अलीराजपुर	अलीराजपुर	PG	ACSLN	3445	7394222222	hegcalijha@mp.gov.in
7.	2108	शासकीय विधि महाविद्यालय	अलीराजपुर	अलीराजपुर	UG	L		7392243349	
8.	2107	शासकीय महाविद्यालय	भावरा	अलीराजपुर	UG	ACS	424	7393271250	hegcbhaali@mp.gov.in
9.	2104	शासकीय महाविद्यालय	जोबट	अलीराजपुर	UG	ACS	833	7393288279	hegcjobjha@mp.gov.in
10.	2112	शासकीय महाविद्यालय	सोन्डवा	अलीराजपुर	UG	AS	272		hegcsonali@mp.gov.in
11.	1408	शासकीय तुलसी स्नातक महाविद्यालय	अनूपपुर	अनूपपुर	UG	ACS	2092	7659222040	hegtldcano@mp.gov.in
12.	1414	शासकीय महाविद्यालय	बिजुरी	अनूपपुर	UG	ACS	495	7659222040	hegcbijano@mp.gov.in
13.	1316	शासकीय महाविद्यालय	वेंकटनगर	अनूपपुर	UG	A	28		
14.	1413	शासकीय महाविद्यालय	जैतहरी	अनूपपुर	UG	ASC	514	7659262413	hegcjaiano@mp.gov.in
15.	1409	शासकीय महाविद्यालय	कोतमा	अनूपपुर	UG	ACS	1358	7658233175	hegckotano@mp.gov.in
16.	1412	शासकीय महाविद्यालय	पुष्पराजगढ़	अनूपपुर	UG	ACS	1570	7629268721	hegcpusano@mp.gov.in
17.	1420	शासकीय महाविद्यालय	राजनगर	अनूपपुर	UG	A	17		hegcrajanu@mp.gov.in
18.	0603	शासकीय नेहरू महाविद्यालय	अशोकनगर	अशोकनगर	PG	ACS	4613	7543220834	hegndcash@mp.gov.in
19.	0611	शासकीय विधि महाविद्यालय	अशोकनगर	अशोकनगर	UG	L		7543220834	
20.	0605	शासकीय माधव महाविद्यालय	चंदेरी	अशोकनगर	UG	ACS	946	7547253226	hegmccaash@mp.gov.in
21.	0610	शासकीय माधव महाविद्यालय	ईसागढ़	अशोकनगर	UG	A	554	7541243305	hegcisaash@mp.gov.in

परिशिष्ट-3

ई-मेल पता
hegnpgcagasha@mp.gov.in
egcalijha@mp.gov.in
gcbhaali@mp.gov.in
gcjobjha@mp.gov.in
gconali@mp.gov.in
tdcano@mp.gov.in
cbijano@mp.gov.in
jaiano@mp.gov.in
kotano@mp.gov.in
busano@mp.gov.in
ajanu@mp.gov.in
lcash@mp.gov.in
chaash@mp.gov.in
ash@mp.gov.in

क्र.	महाविद्यालय कोड	महाविद्यालय एवं नाम	स्थान	जिला	स्तर	संकाय	विद्यार्थी संख्या	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल पता
22.	0604	शासकीय गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय	मुंगावली	अशोकनगर	UG	ACS	1696	7548272072	heggsvcmunash@mp.gov.in
23.	0619	शासकीय महाविद्यालय	पिपरई	अशोकनगर	UG	AC	128		
24.	0617	शासकीय महाविद्यालय	शाढोरा	अशोकनगर	UG	A	159		
25.	0618	शासकीय महाविद्यालय	सहरई	अशोकनगर	UG	A	54		
26.	2408	शासकीय महाविद्यालय	अंजड़	बड़वानी	UG	ACS	874	7284251102	hegcjanjbad@mp.gov.in
27.	2403	शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	बड़वानी	बड़वानी	PG	ACSLN	7447	7290222035	hegnpgcbad@mp.gov.in
28.	2404	शासकीय कन्या महाविद्यालय	बड़वानी	बड़वानी	UG	ACSH	1732	7290222511	heggcbad@mp.gov.in
29.	2415	शासकीय विधि महाविद्यालय	बड़वानी	बड़वानी	UG	L			
30.	2418	शासकीय महाविद्यालय	बलवाडी	बड़वानी	UG	A	75		hegcnatvid@mp.gov.in
31.	2412	शासकीय महाविद्यालय	निवाली	बड़वानी	UG	ACS	720	7286273220	hegcniwbad@mp.gov.in
32.	2414	शासकीय महाविद्यालय	पानसेमल	बड़वानी	UG	AS	707	7286241208	hegcpanbad@mp.gov.in
33.	2417	शासकीय महाविद्यालय	पाटी	बड़वानी	UG	A	58		hegcnatvid@mp.gov.in
34.	2409	शासकीय महाविद्यालय	राजपुर	बड़वानी	UG	A	716	7284256311	hegcrajbad@mp.gov.in
35.	2411	शासकीय महाविद्यालय	सेंधवा	बड़वानी	PG	ACS	2027	7281222109	hegcscenbad@mp.gov.in
36.	3803	शासकीय अरण्य भारती महाविद्यालय	बैहर	बालाघाट	PG	ACS	1540	7636256620	hegabcbalbal@mp.gov.in
37.	3801	शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय	बालाघाट	बालाघाट	PG	ACSLN	4958	7632241588	hegjtcbal@mp.gov.in
38.	3802	शासकीय कमला नेहरू महाविद्यालय	बालाघाट	बालाघाट	UG	ACSH	3350	7632239167	hegknacbal@mp.gov.in
39.	3813	शासकीय विधि महाविद्यालय	बालाघाट	बालाघाट	UG	L			
40.	3806	राजा भोज शासकीय महाविद्यालय	कटंगी	बालाघाट	UG	ACS	1946	7630250087	hegckatbal@mp.gov.in
41.	3811	वीरांगना रानी अवंति बाई शासकीय महाविद्यालय	खैरलांजी	बालाघाट	UG	AS	454	7633272535	hegckhebal@mp.gov.in
42.	3810	शासकीय महाविद्यालय	किरनापुर	बालाघाट	UG	AS	477	7632246910	hegckirbal@mp.gov.in
43.	3808	शासकीय महाविद्यालय	लालबर्सा	बालाघाट	UG	AS	865	7633276300	hegclalbal@mp.gov.in
44.	3814	शासकीय महाविद्यालय	लामता	बालाघाट	UG	AS	129		

क्र.	महाविद्यालय कोड	महाविद्यालय एवं नाम	स्थान	जिला	स्तर	संकाय	विद्यार्थी संख्या	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल पता
45.	3807	रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय	लांजी	बालाघाट	UG	AS	805	7635255338	hegclanbal@mp.gov.in
46.	3809	डॉ० शुधन्वासिंह नेताम शासकीय महाविद्यालय	मलाजखण्ड	बालाघाट	UG	AS	746	7637257290	hegcmalbal@mp.gov.in
47.	3805	रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय	परसवाड़ा	बालाघाट	UG	AS	900	7636275726	hegcparbal@mp.gov.in
48.	3812	वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कला महाविद्यालय	तिरोड़ी	बालाघाट	UG	AS	200	7630294271	hegctirbal@mp.gov.in
49.	3804	शासकीय शंकरलाल पटेल कला एवं विधि महाविद्यालय	वारासिवनी	बांलाघाट	UG	ACS	2937	7633253065	hegspalcwarbal@mp.gov.in
50.	3105	शासकीय डॉ भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय	आमला	बैतूल	UG	ACS	1253		hegdbacambet@mp.gov.in
51.	3106	शासकीय महाविद्यालय	आठनेर	बैतूल	UG	AS	820	7144286553	hegcathbet@mp.gov.in
52.	3101	शासकीय जयवन्ती हक्सर स्नातकोत्तर महाविद्यालय	बैतूल	बैतूल	PG	ACSLN	5241	7141234244	hegjhpqcbet@mp.gov.in
53.	3102	शासकीय कन्या महाविद्यालय	बैतूल	बैतूल	UG	AH	1313	7141238446	heggcbet@mp.gov.in
54.	3709	शासकीय विधि महाविद्यालय	बैतूल	बैतूल	UG	L			
55.	3104	शासकीय महाविद्यालय	भैंसदेही	बैतूल	UG	ACSH	973	7143287359	hegcbhabet@mp.gov.in
56.	3711	शासकीय महाविद्यालय	भीमपुर	बैतूल	UG	AS	662		hegcbhibet@mp.gov.in
57.	3712	शासकीय महाविद्यालय	घोड़ाडोंगरी	बैतूल	UG	AS	118		hegcghobet@mp.gov.in
58.	3103	शासकीय महाविद्यालय	मुलताई	बैतूल	PG	ACS	2585	7147224153	hegcmulbet@mp.gov.in
59.	3107	शासकीय महाविद्यालय	सारणी	बैतूल	UG	A	2015	7146251144	hegcsarbet@mp.gov.in
60.	3708	शासकीय महाविद्यालय	शाहपुर	बैतूल	UG	ACS	1050	7146273033	hegcshabet@mp.gov.in
61.	0209	शासकीय महाविद्यालय	अकोड़ा	भिण्ड	UG	A	151	7534236134	hegcakobhi@mp.gov.in
62.	0205	शासकीय महाविद्यालय	आलमपुर	भिण्ड	UG	ASN	1021		hegcalabhi@mp.gov.in
63.	0208	शासकीय महाविद्यालय	अटेर	भिण्ड	UG	A	220	7534282401	hegcatebhi@mp.gov.in
64.	0203	शासकीय गांधी महाविद्यालय	बालाजी मिहोना	भिण्ड	UG	ACSN	763	7529250211	heggcbalbhi@mp.gov.in
65.	0201	शासकीय एम.जे.एस. महाविद्यालय	भिण्ड	भिण्ड	PG	ACSL	2460	7534236134	hegmjsgcbhi@mp.gov.in
66.	0202	शासकीय कन्या महाविद्यालय	भिण्ड	भिण्ड	UG	AH	312	7534230533	heggcbhi@mp.gov.in

क्र.	महावि को
67.	02
68.	02
69.	02
70.	02
71.	03
72.	02
73.	28
74.	28
75.	28
76.	28
77.	28
78.	28
79.	28
80.	28
81.	28
82.	28
83.	28

क्र.	महाविद्यालय कोड	महाविद्यालय एवं नाम	स्थान	जिला	स्तर	संकाय	विद्यार्थी संख्या	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल पता
67.	0210	शासकीय विधि महाविद्यालय	भिण्ड	भिण्ड	UG	L		7534236134	
68.	0206	शासकीय महर्षि अरविंद महाविद्यालय	गोहद	भिण्ड	UG	ASN	713	7539221246	hegmachbhi@mp.gov.in
69.	0204	शासकीय महाविद्यालय	लहार	भिण्ड	UG	AS	717	7529252515	prnhgclahbhi@mp.gov.in
70.	0207	शासकीय महाविद्यालय	मेहगाँव	भिण्ड	UG	A	403	7527255406	hegcmehbhi@mp.gov.in
71.	0310	शासकीय महाविद्यालय	मोहना	भिण्ड	UG	A	236		hegcmoubhi@mp.gov.in
72.	0211	शासकीय महाविद्यालय	फूप	भिण्ड	UG	A	188		hegcphobhi@mp.gov.in
73.	2810	शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय	बैरसिया	भोपाल	UG	ACS	608	7565282211	hegsdcbberbho@mp.gov.in
74.	2812	उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान	भोपाल	भोपाल	संस्थान	ACS	3242	075522433	iehebhpal@mp.gov.in
75.	2801	शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय	भोपाल	भोपाल	PG	S	3764	7552551460	hegamvmbho@mp.gov.in
76.	2802	शासकीय एम एल बी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	भोपाल	भोपाल	PG	ACSHN	5234	7552661783	hegmibgpgcbho@mp.gov.in
77.	2803	शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	भोपाल	भोपाल	PG	ACSHN	5166	7552552560	hegsngpgcbho@mp.gov.in
78.	2804	शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	भोपाल	भोपाल	PG	ACN	4092	7552660447	heghaaccbho@mp.gov.in
79.	2805	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बी एच ई एल	भोपाल	भोपाल	PG	ACSH	1580	7552620133	hegpgcbhelbho@mp.gov.in
80.	2806	शासकीय गीतांजलि कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	भोपाल	भोपाल	PG	ACSH	2116	7552733166	heggpgcbho@mp.gov.in
81.	2807	शासकीय डॉ० श्यामा मुखर्जी विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय	भोपाल	भोपाल	PG	ASHC	1880	7552551837	hegbscbho@mp.gov.in
82.	2808	शासकीय नवीन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मालवीया होस्टल	भोपाल	भोपाल	UG	AC	1758	7552555326	hegaccbho@mp.gov.in
83.	2811	शासकीय राज्य स्तरीय विधि महाविद्यालय	भोपाल	भोपाल	PG	L	521	7552766256	heslcbho@mp.gov.in

क्र.	महाविद्यालय कोड	महाविद्यालय एवं नाम	स्थान	जिला	स्तर	संकाय	विद्यार्थी संख्या	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल पता
84.	2809	शासकीय रामानन्द संस्कृत महाविद्यालय, लालघाटी	भोपाल	भोपाल	UG	AN	107	7552748850	hegrscbho@mp.gov.in
85.	2813	शासकीय महाविद्यालय, नरेला	भोपाल	भोपाल	UG	ACS	414	7552742912	hegcnalbpl@mp.gov.in
86.	2505	शासकीय महाविद्यालय	बुरहानपुर	बुरहानपुर	UG	A	330	7325251533	hegcburbur@mp.gov.in
87.	2508	शासकीय महाविद्यालय	धूलकोट	बुरहानपुर	UG	A	79	7325222243	hegcdhubur@mp.gov.in
88.	2509	शासकीय महाविद्यालय	खकनार	बुरहानपुर	UG	AS	76	7325222243	hegckhabur@mp.gov.in
89.	2503	शासकीय जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय	नेपानगर	बुरहानपुर	UG	ACS	678	7325222243	hegincnepbur@mp.gov.in
90.	0807	शासकीय महाविद्यालय	बड़ामलेहरा	छतरपुर	UG	ACN	845	760140	hegcbadcha@mp.gov.in
91.	0811	शासकीय महाविद्यालय	बकस्वाहा	छतरपुर	UG	AS	490		hegcbuxchh@mp.gov.in
92.	0806	शासकीय महाविद्यालय	बिजावर	छतरपुर	UG	A	851	7608253203	hegcbijcha@mp.gov.in
93.	0808	शासकीय महाविद्यालय	चंदला	छतरपुर	UG	A	665		hegcchachh@mp.gov.in
94.	0801	शासकीय महाराजा महाविद्यालय	छतरपुर	छतरपुर	PG	ACSN	6538	7682246508	hegmcca@mp.gov.in
95.	0802	शासकीय कन्या महाविद्यालय	छतरपुर	छतरपुर	PG	ASHN	1610	7682248647	heggchat@mp.gov.in
96.	0804	राजा हरपालसिंह शासकीय महाविद्यालय	हरपालपुर	छतरपुर	UG	A	1270	7685261657	herhgcharcha@mp.gov.in
97.	0805	शासकीय महाविद्यालय	लौड़ी	छतरपुर	UG	A	1504	7687251281	hegclaucha@mp.gov.in
98.	0803	शासकीय छत्रसाल महाराजा महाविद्यालय	महाराजपुर	छतरपुर	UG	ACSN	651	7685272227	hegcmcmahchi@mp.gov.in
99.	0810	शासकीय महाविद्यालय	नौगांव	छतरपुर	UG	ACSN	1944	7685256359	hegcnavcha@mp.gov.in
100.	0809	शासकीय महाविद्यालय	राजनगर	छतरपुर	UG	A	677		hegcrajchh@mp.gov.in
101.	3606	शासकीय महाविद्यालय	अमरवाड़ा	छिंदवाड़ा	UG	ACS	2192	7167222411	hegcamachi@mp.gov.in
102.	3610	शासकीय महाविद्यालय	बिछुआ	छिंदवाड़ा	UG	ACS	1910	7162259715	hegcbicchh@mp.gov.in
103.	3614	शासकीय महाविद्यालय	चांद	छिंदवाड़ा	UG	A	423	7166272372	hegcchandchh@mp.gov.in
104.	3616	शासकीय महाविद्यालय	चौरई	छिंदवाड़ा	UG	AS	131		
105.	3601	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	PG	ACSLN	6190	7162236477	hepggchi@mp.gov.in
106.	3602	स्व.श्रीमती राजमाता सिंधि या शासकीय कन्या महाविद्यालय	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	PG	ACSHN	5138	7162242118	hersggcchi@mp.gov.in
107.	3613	शासकीय विधि महाविद्यालय	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	UG	L	90	7162236477	

पता	क्र.	महाविद्यालय कोड	महाविद्यालय एवं नाम	स्थान	जिला	स्तर	संकाय	विद्यार्थी संख्या	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल पता
mp.gov.in	108.	3611	शासकीय महाविद्यालय	दमुआ	छिंदवाड़ा	UG	AC	316	7160264340	hegcdamchi@mp.gov.in
	109.	3612	शासकीय महाविद्यालय	हरई	छिंदवाड़ा	UG	AS	660	7168220234	hegcharchi@mp.gov.in
mp.gov.in	110.	3605	शासकीय महाविद्यालय	जुन्नारदेव	छिंदवाड़ा	UG	ACSH	1578	7160231050	hegcjunchi@mp.gov.in
	111.	3608	शासकीय महाविद्यालय	लोधीखेड़ा	छिंदवाड़ा	UG	A	231	7165295114	hegclodchi@mp.gov.in
mp.gov.in	112.	3609	शासकीय विज्ञान महाविद्यालय	पांडुर्ना	छिंदवाड़ा	UG	ACS	1264	7164220338	hegcpanchi@mp.gov.in
mp.gov.in	113.	3604	शासकीय पेंच वैली स्नातकोत्तर महाविद्यालय	परासिया	छिंदवाड़ा	PG	ACSH	2186	7161220116	hegpvcparchi@mp.gov.in
@mp.gov.in	114.	3607	शासकीय कला महाविद्यालय	सौंसर	छिंदवाड़ा	UG	AS	616	7165220179	hegacsauchi@mp.gov.in
mp.gov.in	115.	3603	शासकीय महाविद्यालय	तामिया	छिंदवाड़ा	UG	AC	508	7149272284	hegctamchi@mp.gov.in
mp.gov.in	116.	3615	शासकीय महाविद्यालय	उमरनाला	छिंदवाड़ा	UG	A	225	7162275100	hegcumrchh@mp.gov.in
mp.gov.in	117.	1107	शासकीय महाविद्यालय	वटियागढ़	दमोह	UG	A	471	7601	hegcbatdam@mp.gov.in
mp.gov.in	118.	1101	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	दमोह	दमोह	PG	ACSN	4442	7812222461	hegpgcdam@mp.gov.in
p.gov.in	119.	1102	शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय	दमोह	दमोह	UG	ACSHN	4829	7812222385	hegkngcdam@mp.gov.in
@mp.gov.in	120.	1103	शासकीय महाविद्यालय	हटा	दमोह	UG	ACS	1442	7604262277	hegchatdam@mp.gov.in
	121.	1105	शासकीय महाविद्यालय	जबेरा	दमोह	UG	ACSH	886	7606255279	hegcjabdam@mp.gov.in
mp.gov.in	122.	1104	शासकीय महाविद्यालय	पथरिया	दमोह	UG	ASNC	2186	7601281402	hegcpatdam@mp.gov.in
i@mp.gov.in	123.	1106	शासकीय कला विज्ञान महाविद्यालय	तेंदूखेड़ा	दमोह	UG	ACS	869	7603263688	hegctendam@mp.gov.in
@mp.gov.in	124.	0309	शासकीय विजयराजे सिंधिया महावि०	भांडेर	दतिया	UG	ASN	722	7523242330	hegvscbhadat@mp.gov.in
mp.gov.in	125.	0401	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	दतिया	दतिया	PG	ACSLN	6978	7522234538	hegpgcdat@mp.gov.in
@mp.gov.in	126.	0402	शासकीय कन्या महाविद्यालय	दतिया	दतिया	UG	ACH	356	7522233289	heggcdat@mp.gov.in
h@mp.gov.in	127.	0405	शासकीय विधि महाविद्यालय	दतिया	दतिया	UG	L	104		
mp.gov.in	128.	0404	शासकीय महाविद्यालय	इंदरगढ़	दतिया	UG	A	844	7521274273	hegcinddat@mp.gov.in
mp.gov.in	129.	0403	शासकीय गोविन्द स्नातक महाविद्यालय	सेवड़ा	दतिया	UG	AN	609	7521271250	heggdcsewdat@mp.gov.in
	130.	2006	शासकीय महाविद्यालय	बागली	देवास	UG	A	418	7271275518	hegcbagdew@mp.gov.in
	131.	2001	शासकीय कृष्णाजीराव पवार महाविद्यालय	देवास	देवास	PG	ACSN	3338	7272221826	hegkppgcdew@mp.gov.in

क्र.	महाविद्यालय कोड	महाविद्यालय एवं नाम	स्थान	जिला	स्तर	संकाय	विद्यार्थी संख्या	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल पता
132.	2002	महारानी पुष्पमाला राजे शासकीय कन्या महाविद्यालय	देवास	देवास	UG	ACSH	150	7272228211	heggcdew@mp.gov.in
133.	2011	शासकीय विधि महाविद्यालय	देवास	देवास	UG	L	265	7272297049	heglawcdew@mp.gov.in
134.	2012	शासकीय विज्ञान महाविद्यालय	देवास	देवास	UG	S	1991	7272297047	hegcdewdew@mp.gov.in
135.	2007	शासकीय महाविद्यालय	हाटपिपल्या	देवास	UG	A	1133	7271290916	hegchatdew@mp.gov.in
136.	2004	शासकीय महाविद्यालय	कन्नौद	देवास	UG	ACS	951	7273222202	hegckandew@mp.gov.in
137.	2005	शासकीय महाविद्यालय	खातेगांव	देवास	UG	ACS	1279	7274232532	hegckhadew@mp.gov.in
138.	2013	शासकीय महाविद्यालय	पीपलरावां	देवास	UG	AS	74		
139.	2010	शासकीय महाविद्यालय	सतवास	देवास	UG	A		7273263201	hegcsatdew@mp.gov.in
140.	2003	शासकीय महाविद्यालय	सोनकच्छ	देवास	UG	ACS	699	7270222768	hegcsondew@mp.gov.in
141.	2009	शासकीय महाविद्यालय	टोंकखुर्द	देवास	UG	A	195	7270270230	hegctondew@mp.gov.in
142.	2205	शासकीय महाविद्यालय	बदनावर	धार	UG	ACS	777	7295234004	hegcbaddha@mp.gov.in
143.	2214	शासकीय महाविद्यालय	बाग	धार	UG	A	610	7297277088	hegcbagdha@mp.gov.in
144.	2208	शासकीय महाविद्यालय	धामनोद	धार	UG	ACS	792	7291233572	hegcdhmdha@mp.gov.in
145.	2201	महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय	धार	धार	PG	ACSLN	6282	7292222572	hegpgcdha@mp.gov.in
146.	2202	शासकीय कन्या महाविद्यालय	धार	धार	UG	ACSH	1493	7292222634	heggcdha@mp.gov.in
147.	2213	शासकीय विधि महाविद्यालय	धार	धार	UG	L			
148.	2215	शासकीय महाविद्यालय	बिडवाल	धार	UG	A	65		hegcnatvid@mp.gov.in
149.	2216	शासकीय महाविद्यालय	कानवन	धार	UG	A	70		hegcnatvid@mp.gov.in
150.	2207	शासकीय महाविद्यालय	धरमपुरी	धार	UG	AC	617		hegcdhardha@mp.gov.in
151.	2212	शासकीय महाविद्यालय	गंधवानी	धार	UG	A	271	7294261283	hegcgandha@mp.gov.in
152.	2204	शासकीय महाविद्यालय	कुक्षी	धार	UG	ACS	2405	7297234020	hegckukdha@mp.gov.in
153.	2203	शासकीय महाविद्यालय	मनावर	धार	UG	ACS	2142	7294232337	hegcmandha@mp.gov.in
154.	2211	शासकीय महाविद्यालय	पीथमपुर	धार	UG	AC	135	7292252170	hegcpcitdha@mp.gov.in
155.	2206	श्री राजेन्द्र सूरी शासकीय महाविद्यालय	सरदारपुर	धार	UG	ACS	1376	7296244353	hegcsardha@mp.gov.in
156.	2217	शासकीय महाविद्यालय	उमरवन	धार	UG	AS	143		
157.	3517	शासकीय महाविद्यालय	अमरपुर	डिण्डौरी	UG	ASC	86		

पता	क्र.	महाविद्यालय कोड	महाविद्यालय एवं नाम	स्थान	जिला	स्तर	संकाय	विद्यार्थी संख्या	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल पता
mp.gov.in	158.	3504	शासकीय चन्द्रविजय महाविद्यालय	डिंडोरी	डिण्डौरी	UG	ASN	2598	7644234008	hegccdin@mp.gov.in
mp.gov.in	159.	3509	शासकीय महाविद्यालय	गाड़ासरई	डिण्डौरी	UG	A	199	7644234008	hegcgaddin@mp.gov.in
mp.gov.in	160.	3515	शासकीय महाविद्यालय	करांजिया	डिण्डौरी	UG	AS	49		
mp.gov.in	161.	3512	शासकीय महाविद्यालय	मेहदवानी	डिण्डौरी	UG	AS	200		hegcmehdin@mp.gov.in
mp.gov.in	162.	3511	शासकीय महाविद्यालय	बजाग	डिण्डौरी	UG	A	64		hegcbajdin@mp.gov.in
mp.gov.in	163.	3516	शासकीय महाविद्यालय	समनापुर	डिण्डौरी	UG	AS	93		
mp.gov.in	164.	3506	शासकीय महाविद्यालय	शहपुरा	डिण्डौरी	UG	AS	886		hegcshadin@mp.gov.in
mp.gov.in	165.	3514	शासकीय आदर्श महाविद्यालय	शहपुरा	डिण्डौरी	UG	ACS			
mp.gov.in	166.	3513	शासकीय आदर्श महाविद्यालय	डिण्डौरी	डिण्डौरी	UG	ACS			
mp.gov.in	167.	0608	शासकीय महाविद्यालय	आरोन	गुना	UG	ACSH	1264	7545258283	hegcargun@mp.gov.in
mp.gov.in	168.	0607	शासकीय महाविद्यालय	बीनागंज	गुना	UG	AS	961	7546240389	hegcbeegun@mp.gov.in
mp.gov.in	169.	0606	शासकीय कन्या महाविद्यालय	चांचोड़ा	गुना	UG	AH	442	7546240284	hegcgchagun@mp.gov.in
mp.gov.in	170.	0601	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	गुना	गुना	PG	ACSN	3683	7542251641	hegpgcgun@mp.gov.in
mp.gov.in	171.	0602	शासकीय कन्या महाविद्यालय	गुना	गुना	UG	AHN	501	7542226192	heggcgun@mp.gov.in
mp.gov.in	172.	0612	शासकीय विधि महाविद्यालय	गुना	गुना	UG	L	179	7542252341	heglawcgun@mp.gov.in
mp.gov.in	173.	0613	शासकीय महाविद्यालय	कुम्भराज	गुना	UG	A	407		hegckumgun@mp.gov.in
mp.gov.in	174.	0609	शासकीय महाविद्यालय	राघवगढ़	गुना	UG	ACS	1060	7544283361	hegcraggun@mp.gov.in
mp.gov.in	175.	0103	शासकीय महाविद्यालय	बमोरी	गुना	UG	A			
mp.gov.in	176.	0314	शासकीय महाविद्यालय	भितरवार	ग्वालियर	UG	A	410		hegcbhigwa@mp.gov.in
mp.gov.in	177.	0316	शासकीय महाविद्यालय	चिनौर	ग्वालियर	UG	ACS	231		hegcchigwa@mp.gov.in
mp.gov.in	178.	0311	शासकीय वृन्दा सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	डबरा	ग्वालियर	PG	ACS	2419	7524222926	hegvscdabgwa@mp.gov.in
mp.gov.in	179.	0303	शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय	ग्वालियर	ग्वालियर	PG	S	4194	7512323649	hegascgwa@mp.gov.in
mp.gov.in	180.	0304	शासकीय एम एल बी कला, वाणिज्य महाविद्यालय	ग्वालियर	ग्वालियर	PG	ACSLN	4494	7512372199	hegmibaaccgwa@mp.gov.in

क्र.	महाविद्यालय कोड	महाविद्यालय एवं नाम	स्थान	जिला	स्तर	संकाय	विद्यार्थी संख्या	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल पता
181.	0305	शासकीय कमला राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	ग्वालियर	ग्वालियर	PG	ACSHN	9857	7512625495	hegkpgcgwa@mp.gov.in
182.	0306	शासकीय वीरांगना झलकारी बाई कन्या महाविद्यालय	ग्वालियर	ग्वालियर	UG	ACHS	205	7512463713	hegvjbgcgwa@mp.gov.in
183.	0307	शासकीय भगवत सहाय महाविद्यालय	ग्वालियर	ग्वालियर	UG	ACS	1141	7512451379	hegbscgwa@mp.gov.in
184.	0308	शासकीय संस्कृत महाविद्यालय	ग्वालियर	ग्वालियर	UG	N	81	7512320964	hegscgwa@mp.gov.in
185.	0315	शासकीय विधि महाविद्यालय	ग्वालियर	ग्वालियर	UG	L			
186.	0310	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	मोहना	ग्वालियर	UG	AC	302		hegaaccmohgwa@mp.gov.in
187.	0301	शासकीय श्यामलाल पांडवीय महाविद्यालय	मुरार	ग्वालियर	PG	ACS	3072	7512368320	hegspcmorgwa@mp.gov.in
188.	0302	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	मुरार	ग्वालियर	PG	ACSHN	5120	7512368329	heggpgcmorgwa@mp.gov.in
189.	3207	शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय	हरदा	हरदा	PG	ACSHN	3331	7577222048	hegaacchar@mp.gov.in
190.	3215	शासकीय विधि महाविद्यालय	हरदा	हरदा	UG	L			
191.	3217	शासकीय आदर्श महाविद्यालय	हरदा	हरदा	UG	ACS	95		hegcnatvid@mp.gov.in
192.	3216	शासकीय महाविद्यालय	सिराली	हरदा	UG	AC	86		hegcsirhar@mp.gov.in
193.	3208	शासकीय महाविद्यालय	टिमरनी	हरदा	UG	ACS	2506	7573230269	hegctimhar@mp.gov.in
194.	3209	श्री माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय महाविद्यालय	बाबई	होशंगाबाद	UG	ACS	802	7574259305	hegcbabhos@mp.gov.in
195.	3213	शासकीय महाविद्यालय	बनखेड़ी	होशंगाबाद	UG	A	382	7576228355	hegcbanhos@mp.gov.in
196.	3218	शासकीय महाविद्यालय	डोलरिया	होशंगाबाद	UG	A	42		
197.	3201	शासकीय नर्मदा महाविद्यालय	होशंगाबाद	होशंगाबाद	PG	ACSLN	4646	7574254095	hegnchos@mp.gov.in
198.	3202	शासकीय गृह विज्ञान कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	होशंगाबाद	होशंगाबाद	PG	ASHN	3777	7574254072	heghsgpgchos@mp.gov.in
199.	3214	शासकीय विधि महाविद्यालय	होशंगाबाद	होशंगाबाद	UG	L			

पता	महाविद्यालय कोड	महाविद्यालय एवं नाम	स्थान	जिला	स्तर	संकाय	विद्यार्थी संख्या	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल पता
@mp.gov.in	3210	शासकीय महात्मा गांधी स्मृति महाविद्यालय	इटारसी	होशंगाबाद	PG	ACSHN	3011	7572240916	hegmgsctahos@mp.gov.in
@mp.gov.in	3211	शासकीय कन्या महाविद्यालय	इटारसी	होशंगाबाद	UG	ACSH	1172	7572237390	heggcctahos@mp.gov.in
mp.gov.in	3205	शासकीय महाविद्यालय	पचमढ़ी	होशंगाबाद	UG	A	134	7578252368	heggcpachos@mp.gov.in
mp.gov.in	3203	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	पिपरिया	होशंगाबाद	PG	ACSL	3445	7576220112	heggpcpipfos@mp.gov.in
mp.gov.in	3204	शासकीय कन्या महाविद्यालय	पिपरिया	होशंगाबाद	UG	AHC	580	7576220555	heggcpipfos@mp.gov.in
	3206	शासकीय कुसुम महाविद्यालय	सिवनी मालवा	होशंगाबाद	PG	ACSH	2998	7570224457	heggkcseohos@mp.gov.in
gwa@	3027	शासकीय कन्या महाविद्यालय	सिवनी मालवा	होशंगाबाद	UG	ACS	160		
wa@	3212	शासकीय कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय	सुखतवा	होशंगाबाद	UG	ACS	662	7572271303	heggcsukhos@mp.gov.in
gwa@	2308	शासकीय महाविद्यालय	देपालपुर	इंदौर	UG	AC	693	7322222247	heggcdepind@mp.gov.in
@mp.gov.in	2301	शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय	इंदौर	इंदौर	PG	S	5363	7312464074	heggscind@mp.gov.in
	2302	श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	इंदौर	इंदौर	PG	ACN	7804	7312460579	hegaaccind@mp.gov.in
@mp.gov.in	2303	माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला	इंदौर	इंदौर	PG	ACSHN	7020	7312366587	heggpgcmtind@mp.gov.in
@mp.gov.in	2304	शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई नूतन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किलाभवन	इंदौर	इंदौर	PG	ASHN	3292	7312411696	heggngpgckind@mp.gov.in
mp.gov.in	2305	शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय	इंदौर	इंदौर	UG	S	1568	7312761712	heggnspscind@mp.gov.in
os@mp.gov.in	2306	शासकीय संस्कृत महाविद्यालय	इंदौर	इंदौर	UG	AN	453	7312540569	heggscind@mp.gov.in
	2312	शासकीय विधि महाविद्यालय	इंदौर	इंदौर	UG	L	1028	7312400083	

क्र.	महाविद्यालय कोड	महाविद्यालय एवं नाम	स्थान	जिला	स्तर	संकाय	विद्यार्थी संख्या	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल पता
216.	2367	भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	महु	इंदौर	PG	ACSHN	4252	7324273691	hebpjpgcmhoind@mp.gov.in
217.	2313	शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय	राऊ	इंदौर	UG	ACS	1446	7312857070	hegcrauid@mp.gov.in
218.	2309	शासकीय महाविद्यालय	सांवेर	इन्दौर	UG	ACS	709	7321220365	hegcsawind@mp.gov.in
219.	3317	शासकीय महाविद्यालय	बरेला	जबलपुर	UG	AC	499		hegcbarjab@mp.gov.in
220.	3318	शासकीय महाविद्यालय	बरगी	जबलपुर	UG	A	452		hegcbargijab@mp.gov.in
221.	3301	शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय	जबलपुर	जबलपुर	PG	S	3658	7612678737	hegscjab@mp.gov.in
222.	3302	शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	जबलपुर	जबलपुर	PG	ACN	3016	7612678195	hegmaaccjab@mp.gov.in
223.	3303	शासकीय मोहनलाल हरगोविन्द दास गृह विज्ञान महाविद्यालय	जबलपुर	जबलपुर	PG	ASH	3462	7612407326	hegmhsgpgcjab@mp.gov.in
224.	3304	शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय	जबलपुर	जबलपुर	PG	ACSN	2892	7612401300	hegmkbaccjab@mp.gov.in
225.	3305	शासकीय महाविद्यालय, आर्डिनेंस फैक्ट्री	खमरिया	जबलपुर	UG	ACSH	758	7612337093	hegcokhajab@mp.gov.in
226.	3308	शासकीय महाविद्यालय	कुंडम	जबलपुर	UG	ACS	550	7623280022	hegckunjab@mp.gov.in
227.	3316	शासकीय महाविद्यालय	मझोली	जबलपुर	UG	ACS	775	7624280281	hegcmaijab@mp.gov.in
228.	3307	शासकीय महाविद्यालय	पनागर	जबलपुर	UG	ACS	1019	7612350558	hegcpanjab@mp.gov.in
229.	3313	शासकीय महाविद्यालय	पाटन	जबलपुर	UG	ACS	730	7621220504	hegcpatjab@mp.gov.in
230.	3306	शासकीय कन्या महाविद्यालय	रांझी	जबलपुर	UG	AH	563	7612332343	heggcranjab@mp.gov.in
231.	3309	शासकीय श्याम सुन्दर अग्रवाल महाविद्यालय	सिहोरा	जबलपुर	PG	ACS	1887	7624230087	hegssacsijab@mp.gov.in
232.	2101	शासकीय शहीद चन्द्रशेखर स्नातकोत्तर महाविद्यालय	झाबुआ	झाबुआ	PG	ACSL	5129	7392243349	hegscpgcjab@mp.gov.in
233.	2102	शासकीय कन्या महाविद्यालय	झाबुआ	झाबुआ	UG	ASH	951	7392244420	heggcjha@mp.gov.in
234.	2109	शासकीय विधि महाविद्यालय	झाबुआ	झाबुआ	UG	L			
235.	2113	शासकीय आदर्श महाविद्यालय	झाबुआ	झाबुआ	UG	ACS			

ई-मेल पता	महाविद्यालय कोड	महाविद्यालय एवं नाम	स्थान	जिला	स्तर	संकाय	विद्यार्थी संख्या	दूरभाष क्रमांक	ई-मेल पता
gcmhoind@mp.gov.in	2111	शासकीय महाविद्यालय	मेघनगर	झाबुआ	UG	AC	107		hegcmegjha@mp.gov.in
ind@mp.gov.in	2105	शासकीय महावीर महाविद्यालय	पेटलावद	झाबुआ	UG	ACS	1838	7391265030	hegmcpetjha@mp.gov.in
ind@mp.gov.in	2110	शासकीय महाविद्यालय	रानापुर	झाबुआ	UG	AC	133		hegcranjha@mp.gov.in
ind@mp.gov.in	2106	शासकीय महाविद्यालय	थांदला	झाबुआ	UG	ACS	1604	7390276161	hegcthajha@mp.gov.in
jab@mp.gov.in	3320	शासकीय महाविद्यालय	बड़वारा	कटनी	UG	ASC	371	7626276216	hegcbadkat@mp.gov.in
rgijab@mp.gov.in	3321	शासकीय महाविद्यालय	बहौरीबंद	कटनी	UG	A	220	7622235723	hegcbahkat@mp.gov.in
b@mp.gov.in	3312	शासकीय महाविद्यालय	बरही	कटनी	UG	ASC	762	7626274202	hegcbarkat@mp.gov.in
accjab@mp.gov.in	3322	शासकीय महाविद्यालय	ढीमरखेड़ा	कटनी	UG	AS	176		hegcdhikat@mp.gov.in
hsgpgcjab@mp.gov.in	3310	शासकीय तिलक महाविद्यालय	कटनी	कटनी	PG	ACSN	2340	7622235723	hegtckat@mp.gov.in
baaccjab@mp.gov.in	3311	शासकीय कन्या महाविद्यालय	कटनी	कटनी	UG	ASH	3131	7622230418	heggckat@mp.gov.in
khajab@mp.gov.in	3323	शासकीय महाविद्यालय	सिलोड़ी	कटनी	UG	AS	131		hegcsilkat@mp.gov.in
njab@mp.gov.in	3314	शासकीय महाविद्यालय बहौरीबन्द	स्लीमनाबाद	कटनी	UG	A	448	7624266061	hegcslekat@mp.gov.in
ajjab@mp.gov.in	3324	शासकीय महाविद्यालय	उमरियापान	कटनी	UG	AS	51		hegcumakat@mp.gov.in
anjab@mp.gov.in	3315	शासकीय महाविद्यालय	विजय राघवगढ़	कटनी	UG	A	217	7626277046	hegcragkat@mp.gov.in
atjab@mp.gov.in	2504	शासकीय महाविद्यालय	हरसूद	खंडवा	UG	ACS	867	7327272378	hegcharkhn@mp.gov.in
anjab@mp.gov.in	2501	शासकीय श्री नीलकण्ठेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय	खंडवा	खंडवा	PG	ACSN	3807	7332222206	hegsnpgckhn@mp.gov.in
csihjab@mp.gov.in	2502	शासकीय कन्या महाविद्यालय	खंडवा	खंडवा	PG	ACSH	2018	7332244097	heggckhn@mp.gov.in
gcjha@mp.gov.in	2506	शासकीय महाविद्यालय	मुंदी	खंडवा	UG	AS	276	7326286004	hegcmurkha@mp.gov.in
ha@mp.gov.in	2507	शासकीय महाविद्यालय	पंधाना	खंडवा	UG	A	219	7320237119	hegcpankha@mp.gov.in
	2405	शासकीय महाविद्यालय	बड़वाह	खरगौन	UG	ACS	1319	7280222861	hegcbadkhr@mp.gov.in
	2410	शासकीय महाविद्यालय	भीकनगांव	खरगौन	UG	AS	1305	7288292430	hegcbhikhr@mp.gov.in
	2413	शासकीय महाविद्यालय	कसरावद	खरगौन	UG	A	459	7285231600	hegckaskhr@mp.gov.in
	2401	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	खरगौन	खरगौन	PG	ACSLN	5987	7282241562	hegpgckhr@mp.gov.in
	2402	शासकीय कन्या महाविद्यालय	खरगौन	खरगौन	UG	ASH	1977		heggckhr@mp.gov.in